



Government of India

भारत सरकार



Ministry of Panchayati Raj

पंचायती राज मंत्रालय



**ATMANIRBHAR
PANCHAYAT**

Self - Reliant Panchayats Initiative



PROGRAMME GUIDELINES

कार्यक्रम दिशानिर्देश

For State Governments, Block Panchayats, Gram Panchayats

राज्य सरकारों, ब्लॉक पंचायतों, ग्राम पंचायतों के लिए

Under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

विषयसूची

1. परिचय	1
1.1 पृष्ठभूमि.....	1
1.2 दृष्टिकोण: आत्मनिर्भर पंचायत	2
1.3 दिशा-निर्देशों का दायरा.....	2
2. ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों के लिए पात्रता मानदंड	4
3. राज्य स्तर पर प्रस्तावों का चयन.....	5
4. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावों का चयन	6
5. चयनित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या	6
6. चयनित प्रस्तावों की घोषणा	7
7. पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका.....	7
8. राज्य सरकार की भूमिका	8
9. पंचायत/ब्लॉक पंचायत की भूमिका	8
10. तकनीकी एजेंसी (टीए) की भूमिका.....	9
11. आवधिक निगरानी और मूल्यांकन.....	10
12. समय सीमा	11
अनुलग्नक 1: ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव.....	12
A. प्रशासनिक विवरण.....	12
B. बीपी/जीपी के वित्तीय विवरण.....	12
C. प्रस्तावित परियोजना विवरण	13
अनुलग्नक 2: राज्य स्तर पर मूल्यांकन.....	15
अनुलग्नक 3: परियोजना वर्गीकरण.....	19
अनुलग्नक 4: नवाचारी वित्तपोषण की व्याख्या	21
अनुलग्नक 5: आत्मनिर्भर पंचायत के लिए दिशानिर्देशों का केस अध्ययन.....	32

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के समग्र विकास की रीढ़ है। जनसंख्या का दो-तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ स्थानीय संस्थाएँ आर्थिक अवसरों, सेवा प्रदायगी और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं में ग्राम पंचायतें केंद्रीय स्थान रखती हैं, क्योंकि ये नागरिकों के लिए शासन का निकटतम स्तर हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारियों से युक्त ग्राम पंचायतों से न केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में, ग्राम पंचायतें सरकारी योजनाओं की निष्क्रिय लाभार्थी होने से बढ़कर ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदार बन गई हैं। हालांकि, एक गंभीर चुनौती अभी भी बनी हुई है, यानी वित्तीय निर्भरता। अधिकांश ग्राम पंचायतें राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले अनुदानों और निधियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, और अपने स्वयं के राजस्व सृजन पर उनका ध्यान सीमित है। यह निर्भरता स्थानीय आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने, नवीन परियोजनाओं को शुरू करने और स्वशासी संस्थाओं के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने की उनकी क्षमता को बाधित करती है।

16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) के महत्व पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान स्थानीय निकायों की व्यय आवश्यकताओं, उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों और राज्य सरकारों द्वारा एसएफसी द्वारा निर्धारित अनुदानों के बीच अंतर को पाटने का काम करें। इसमें राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व जुटाने के प्रयासों में दिखाई गई उदासीनता पर भी टिप्पणी की गई है। अतः, 16वें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में राज्यों और राष्ट्रीय एवं स्थानीय निकायों (आरएलबी) दोनों के लिए प्रदर्शन अनुदान का प्रावधान किया है, जो ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि से जुड़ा है। इन अनुशंसाओं के अनुसार, आरएलबी के लिए निर्धारित कुल अनुदानों में से 80 प्रतिशत मूल अनुदान हैं, जबकि 20 प्रतिशत आरएलबी द्वारा राजस्व स्रोतों में वृद्धि से जुड़े प्रदर्शन अनुदान के रूप में निर्धारित किए गए हैं। प्रदर्शन अनुदान का 10 प्रतिशत आरएलबी द्वारा राजस्व स्रोतों में वृद्धि पर आधारित है और 10 प्रतिशत राज्य प्रदर्शन अनुदान होंगे। प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए, ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने ओएसआर में वृद्धि दर्शानी होगी। इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि देश भर की ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से ओएसआर उत्पन्न करने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान की जाए। इस संदर्भ में, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का विशेष महत्व है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं से भारी राजस्व उत्पन्न करना है, जो अंततः ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने और ओएसआर उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के माध्यम से, मंत्रालय पंचायतों को एक चुनौती प्रक्रिया से गुजारना चाहता है, ताकि वे स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावों के रूप में अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत कर सकें। मंत्रालय राष्ट्रव्यापी चुनौती प्रक्रिया के संचालन और ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसी होगी।

आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल धन से नहीं है—यह पंचायतों की स्वतंत्र निर्णय लेने, स्थानीय समाधान लागू करने और अपने समुदायों के लिए सतत विकास के मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता को दर्शाता है। जब पंचायतें अपना राजस्व स्वयं उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें अपने गांवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता मिलती है, चाहे वह बुनियादी ढांचे में सुधार हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो या सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाना हो।

इस आवश्यकता को पहचानते हुए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने उन पंचायतों को सहायता देने के लिए एक केंद्रित पहल की अवधारणा तैयार की है जो सुनियोजित, विश्वशनीय परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने की तत्परता और क्षमता प्रदर्शित करती हैं।

1.2 दृष्टिकोण: आत्मनिर्भर पंचायत

इस महत्वपूर्ण कमी को पहचानते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने "आत्मनिर्भर पंचायत" कार्यक्रम शुरू किया है - यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसे ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्व-निर्भर बनने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को सशक्त बनाना है, ताकि वे तकनीकी रूप से सुदृढ़, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की परिकल्पना, विकास और कार्यान्वयन कर सकें, जिससे उनकी स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि हो। पंचायतों में विश्वास जगाने के लिए, आत्मनिर्भर कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से पात्र प्रस्तावों के चयन हेतु एक चुनौती प्रक्रिया शामिल होगी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को अनुदानों पर पारंपरिक निर्भरता से आगे ले जाना है, ताकि वित्तीय स्वतंत्रता, पेशेवर परियोजना नियोजन और सतत राजस्व सृजन की एक प्रणाली विकसित की जा सके। संरचित तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और वित्तीय संस्थाओं, सीएसआर पहलों और निजी क्षेत्र के निवेश संस्थाओं के साथ साझेदारी को सुगम बनाकर, यह कार्यक्रम पात्र पंचायतों को आत्मनिर्भर पंचायतों यानी दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारों में परिवर्तित करना चाहता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्र पंचायतों को ऐसे नवोन्मेषी और स्थानीय प्रासंगिक परियोजना के विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्हें वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय, एक समर्पित तकनीकी एजेंसी (टीए) के माध्यम से, विचार-मंथन और व्यवहार्यता मूल्यांकन से लेकर परियोजना दस्तावेजों की तैयारी और वित्तीय समापन तक एंड-टू-एंड / संपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पंचायतों को न केवल परियोजना विकास में सहायता मिले, बल्कि उन्हें भविष्य में ऐसी पहलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से भी सशक्त बनाया जाए।

1.3 दिशा-निर्देशों का दायरा

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी देने के लिए ये दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, राज्य सरकारों और अन्य सभी हितधारकों

द्वारा कार्यक्रम को पूरी तरह समझने और प्रभावी ढंग से भाग लेने में सहायता करना है। दिशानिर्देशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है:

क. पात्रता मानदंड: कौन भाग ले सकता है — ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को किन शर्तों को पूरा करना होगा।

ख. राज्य स्तरीय प्रक्रिया: ग्राम पंचायतें प्रस्ताव कैसे तैयार और प्रस्तुत करेंगी, राज्य पंचायती राज विभाग उनका मूल्यांकन और चयन कैसे करेगा, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रक्रिया के बाद विजेताओं का चयन करके इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को कैसे भेजा जाएगा।

ग. मंत्रालय द्वारा चयन: राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रक्रिया के माध्यम से तकनीकी कार्यान्वयन सहायता के लिए चयनित किया जाएगा, जहां विजेताओं को परियोजना विकसित करने और उसे व्यवहार्य तरीके से लागू करने में तकनीकी सहायता मिलेगी।

यह एक नई तरह की चुनौती है, जिसमें पुरस्कार पैसा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए तकनीकी सहायता है। यह चुनौती अपने आप में अनूठी है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अंकों के आधार पर आयोजित खुली प्रतियोगिता में चयनित विजेताओं को परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से तकनीकी सहायता मिलेगी। चुनौती यह है कि पूरे भारत से आए कई अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करके मंत्रालय से तकनीकी सहायता प्राप्त की जाए।

घ. परियोजनाओं की संख्या: पूरे देश में प्रतिवर्ष चयनित परियोजनाओं की संख्या और चार वर्षीय कार्यक्रम अवधि के दौरान प्रति राज्य अधिकतम परियोजनाओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।

ङ. भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व: पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों, ग्राम पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों और तकनीकी एजेंसी की भूमिकाओं का स्पष्ट विवरण।

च. मौजूदा नियमों की प्रयोज्यता: इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की अवधारणा, विकास और कार्यान्वयन करते समय, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक, निजी या सामुदायिक निकायों को सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफ़आर) और समय-समय पर संशोधित तथा इस योजना से संबंधित गतिविधियों के समय पर लागू संबंधित राज्य के वित्तीय नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

छ. प्रक्रिया में पारदर्शिता: परियोजना के सभी स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार की होगी:

- i प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने के दौरान ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत को योजना प्रक्रिया में संबंधित ग्राम सभा को शामिल करना अनिवार्य है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा की लिखित सहमति एक अनिवार्य दस्तावेज होगी।

- ii प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विपक्षी समूह की सहमति वैकल्पिक दस्तावेज है। राज्य स्तर पर उन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिन्हें पूर्व सरपंच/सभापति द्वारा और/या सरपंच/सभापति के पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार द्वारा सहमति दी गई हो।
- iii मंत्रालय द्वारा प्रक्रियाओं को पारदर्शी और खुला रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं से भी इस कार्यक्रम के लिए इसी नीति का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- iv कार्यान्वयन एजेंसियों, ठेकेदारों और निवेशकों का सभी चयन पारदर्शी, खुली और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- v निवेशकों और एजेंसियों के अनुबंध की शर्तें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और संबंधित ग्राम सभा को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

ज. तकनीकी सहायता: तकनीकी एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता, जैसे परियोजना विचारों को विकसित करने में सहायता, व्यवहार्यता अध्ययन में तकनीकी सहायता, दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता, वित्तपोषण साझेदारों की खोज में सहायता और क्षमता निर्माण।

झ. निगरानी और मूल्यांकन: पारदर्शिता और समय पर कार्य पूरा करने के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी कैसे की जाएगी।

2. ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों के लिए पात्रता मानदंड

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों की भागीदारी के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड लागू होंगे:

क. स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) की आवश्यकता:

- i. **ग्राम पंचायतें*:** पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति वर्ष 50 लाख रुपये या उससे अधिक का स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) अर्जित करना अनिवार्य है।
हालांकि, विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में, ग्राम पंचायतों द्वारा पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष 10 लाख रुपये या उससे अधिक का स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) अर्जित करना अनिवार्य होगा।

**इन दिशा-निर्देशों के लिए, ग्राम पंचायत शब्द में ग्राम परिषद भी शामिल होगी।*

- ii. **ब्लॉक पंचायतें:** ब्लॉक पंचायत के पास पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कुल स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) होना अनिवार्य है।

हालांकि, विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में, ब्लॉक पंचायत के पास पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष 20 लाख रुपये या उससे अधिक का स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) होना आवश्यक है।

इसके लिए, पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का संदर्भ लिया जाएगा। यदि अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो अनंतिम वित्तीय विवरणों से केवल अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष के आंकड़े लिए जाएंगे।

ख. निर्वाचित निकाय:

- i. **ग्राम पंचायतें:** संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित ग्राम पंचायत निकाय का होना अनिवार्य है।
- ii. **ब्लॉक पंचायतें:** ब्लॉक स्तर की पंचायती राज संस्था में संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित निकाय होना अनिवार्य है।

ग. कार्यकाल:

- i. **ग्राम पंचायतें:** प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निर्वाचित ग्राम पंचायत निकाय का शेष कार्यकाल तीन (3) वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- ii. **ब्लॉक पंचायतें:** प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय, ब्लॉक पंचायत का शेष कार्यकाल तीन (3) वर्ष से कम नहीं होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए केवल वे ग्राम पंचायतें/ब्लॉक पंचायतें पात्र होंगी जो उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करती हैं। इन मानदंडों को पूरा करने से यह सुनिश्चित होता है कि सहभागी पंचायतों के पास राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय आधार और स्थिरता है। प्रस्ताव को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक-1** में दिए गए प्रारूप में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. राज्य स्तर पर प्रस्तावों का चयन

राज्य के अंतर्गत पात्र ग्राम पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों द्वारा **अनुलग्नक-1** के अनुसार प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन राज्य के पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। हालांकि, एक से अधिक ग्राम पंचायतें विशेष प्रयोजनमूलक साधन (एसपीवी) बनाकर या समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। इस प्रक्रिया में, सभी भाग लेने वाली ग्राम पंचायतों को सामूहिक रूप से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा।

राज्य सरकार प्राप्त प्रस्तावों का आकलन करने और विजेता प्रस्तावों को मंत्रालय को भेजने के लिए राज्य सरकार संयुक्त सचिव/निदेशक की रैंक का एक उपयुक्त राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करेगी। राज्य इन दिशानिर्देशों के **अनुलग्नक -2** में निर्धारित स्कोरिंग ढांचे और मूल्यांकन मापदंडों के अनुसार

प्रस्तावों का मूल्यांकन और अंकन करने के लिए कोई भी प्रक्रिया अपना सकती है, ताकि उन्हें आगे पंचायती राज मंत्रालय को भेजा जा सके।

राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन कर सकती है और नाबार्ड, हुडको आदि जैसे वित्तीय संस्थाओं को समिति में शामिल कर सकती है।

राज्य सरकार **अनुलग्नक-2** में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों और ढाँचे के अनुसार प्रस्तावों की समीक्षा और अंकन करेगी। मूल्यांकन और अंकन प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर, राज्य सरकार पंचायती राज मंत्रालय को आगे प्रस्ताव भेजने के लिए प्रस्तावों की सूची तैयार करेगी और उन्हें मंजूरी देगी। केवल वही प्रस्ताव अग्रेषित किए जाएँगे जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता स्कोरों को पूरा करते हों और सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए गए हों।

शॉर्टलिस्ट प्रस्तावों को, राज्य सरकार की सिफारिशों और निर्धारित सहायक दस्तावेजों के साथ, नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायती राज मंत्रालय को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव की गुणवत्ता में सुधार लाने और इन दिशानिर्देशों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भाग लेने वाली पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को पर्याप्त मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान की जाए।

4. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावों का चयन

राज्यों से प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

5. चयनित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से चार वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में देश भर से चयनित किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार होगी:

वर्ष	तकनीकी सहायता के लिए चयनित किए जाने वाले प्रस्तावों की अधिकतम संख्या
1	50
2	100
3	100
4	100

इसी प्रकार, किसी राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या चाहे कितनी भी हो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विशेष राज्य से चयनित किए जाने वाले प्रस्तावों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:

वर्ष	किसी राज्य से चयनित किए जाने वाले प्रस्तावों की अधिकतम संख्या
1	10
2, 3 और 4	20

6. चयनित प्रस्तावों की घोषणा

प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, पंचायती राज मंत्रालय कार्यक्रम के तहत चयनित प्रस्तावों की सूची जारी करेगा। प्रत्येक राज्य से चयनित प्रस्तावों की संख्या और पूरे देश में कुल प्रस्तावों की संख्या उपरोक्त पैरा 5 में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार होगी।

चयनित प्रस्तावों के अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय एक आरक्षित पूल में रखे जाने वाले प्रस्तावों की सूची भी तैयार करेगा। यदि किसी चयनित परियोजना को किसी कारणवश शुरू नहीं किया जा सकता है, तो पंचायती राज मंत्रालय ऐसी परियोजना को रद्द कर देगा और आरक्षित पूल से एक प्रतिस्थापन परियोजना का चयन करेगा। ऐसे मामले में, पैरा 5 में निर्दिष्ट राज्यवार सीमा लागू नहीं होगी।

7. पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की समग्र योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय मुख्य मंत्रालय है।

प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:

- क. इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या, अस्पष्टता या कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण, व्याख्या और परिचालन निर्देश प्रदान करना।
- ख. चयनित पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक तकनीकी एजेंसी (टीए) को नियुक्त करना।
- ग. कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्रालय स्तर पर एक समिति का गठन करना। मंत्रालय इस समिति में नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।
- घ. राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करना।
- ङ. चयनित परियोजनाओं की सूची जारी करना और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिस्थापन के लिए एक आरक्षित पूल बनाए रखना।
- च. चयनित परियोजनाओं की संख्या पर वार्षिक और राज्यवार सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना।
- छ. एनआईसी द्वारा संचालित रिपोर्टों और समर्पित पोर्टल के माध्यम से समग्र प्रगति की निगरानी करना।

ज. सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और समस्याओं का समाधान करना।

मंत्रालय की भूमिका पारदर्शिता, निष्पक्षता और आत्मनिर्भर पंचायतों की राष्ट्रीय विज्ञान के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है।

8. राज्य सरकार की भूमिका

राज्य सरकार, अपने पंचायती राज विभाग के माध्यम से, इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सहायक और सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका निभाती है।

प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:

क. ग्राम पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों को उपयुक्त प्रस्तावों की पहचान करने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

ख. यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम के लिए बाधा मुक्त परिसंपत्तियां उपलब्ध हों।

ग. अनुलग्नक-2 में दिए गए ढांचे के अनुसार सभी प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन और अंकन करना।

घ. शॉर्टलिस्ट प्रस्तावों को अनुशंसाओं सहित पंचायती राज मंत्रालय को भेजना।

ङ. कार्यान्वयन के दौरान पंचायतों, तकनीकी एजेंसी और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।

च. राज्य में चयनित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों और उनमें सफलता की प्रबल संभावना हो।

9. पंचायत/ब्लॉक पंचायत की भूमिका

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:

क. सतत स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) सृजन करने वाली व्यवहार्य परियोजना विचारों की पहचान करना।

ख. कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना।

ग. ग्राम सभा, पूर्व सरपंच और सरपंच के पिछले चुनाव के प्रथम उपविजेता उम्मीदवार (यदि उपलब्ध हो) सहित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

घ. परियोजना के लिए बाधा-मुक्त परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ड. व्यवहार्यता आकलन, दस्तावेज़ तैयार करने, परियोजना के विकास और निगरानी के दौरान तकनीकी एजेंसी को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

च. चयन के बाद, प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) प्रकाशित करना और सफल बोलीदाता द्वारा सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाना। आरएफपी संबंधित राज्य के खरीद नियमों और मानदंडों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

छ. इच्छित राजस्व और विकास परिणामों को हासिल करने के लिए परियोजना का प्रबंधन और उसे निरंतर बनाए रखना।

ज. हालांकि पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वर्तमान कार्यक्रम के उद्देश्य से ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत की किसी परिसंपत्ति की सीधी बिक्री या उस पर भार उत्पन्न करना वित्तपोषण विकल्प के रूप में अनुशंसित नहीं है।

पंचायत की सक्रिय भागीदारी विचारों को सफल, राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं में बदलने के लिए आवश्यक है, जिनसे पंचायत को लाभ हो।

10. तकनीकी एजेंसी (टीए) की भूमिका

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी एजेंसी, परियोजना चक्र के दौरान चयनित पंचायतों को विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:

क. चयनित पंचायतों को प्रारंभिक विचारों को विस्तृत, बैंक-योग्य परियोजना अवधारणाओं में परिष्कृत करने के लिए हैंडहॉल्लिंग करना। यहां बैंक-योग्यता का अर्थ यह नहीं है कि परियोजना को सख्ती से बैंक वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक-योग्यता से तात्पर्य परियोजना की वित्तीय सुदृढ़ता से है, जिसके मानक पर बैंक वित्तपोषण के लिए इच्छुक हों।

ख. इस दिशा-निर्देश के अनुसार तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय व्यवहार्यता का संचालन करना।

ग. परियोजना संबंधी दस्तावेजों की तैयारी में सहायता करना।

घ. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), सीएसआर योगदान, बैंक ऋण या अन्य योजनाओं के साथ समन्वय जैसे वित्तपोषण विकल्पों की खोज करना।

ड. चयन के बाद, संबंधित राज्य के खरीद नियमों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी करने हेतु मॉडल अनुबंध दस्तावेजों/समझौतों सहित प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) प्रदान करना।

च. पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को वित्तीय समापन प्राप्त करने में सहायता करना।

छ. पंचायत पदाधिकारियों को क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना।

ज. एक समर्पित केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी करना, रिपोर्ट तैयार करना और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना।

झ. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी गतिविधि में पंचायती राज मंत्रालय की सहायता करना।

तकनीकी एजेंसी विचारों और कार्यान्वयन के बीच एक सेतु का काम करती है, जिससे पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को न्यूनतम बाहरी निर्भरता के साथ पेशेवर रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि परियोजनाएं अंततः ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत सृजित करें।

11. आवधिक निगरानी और मूल्यांकन

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर प्रगति पर जोर देता है।

पंचायती राज मंत्रालय एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन करेगा, जो कार्यक्रम के सभी स्तरों में प्रगति पर नज़र रखने के लिए प्राथमिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी एजेंसी (टीए) मंत्रालय की ओर से पोर्टल के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होगी।

निगरानी ढांचे की प्रमुख विशेषताओं में शामिल होंगे:

- क. **वास्तविक समय में ट्रैकिंग:** पोर्टल विभिन्न स्तरों में सभी प्रस्तावों और परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखेगा – प्रारंभिक प्रस्तुति, राज्य स्तरीय जांच, केंद्रीय मूल्यांकन, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता आकलन, दस्तावेज़ तैयार करना, निविदा जारी करना, परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय समापन तक।
- ख. **स्तर-वार अद्यतन:** चयनित ग्राम पंचायतें/ब्लॉक पंचायतें, तकनीकी सहायता (टीए) के सहयोग से, पोर्टल पर स्तर-वार प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज़ और प्राप्त उपलब्धियों को अपलोड करेंगी।
- ग. **सत्यापन और डैशबोर्ड:** तकनीकी सहायता (टीए) अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन करेगी, दिशा-निर्देशों और समय-सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करेगी और आसान दृश्यता और प्रासंगिक डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए नियमित प्रगति रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करेगी।
- घ. **बाधाओं की पहचान:** यह प्रणाली विलंब, बाधाओं या कार्यान्वयन चुनौतियों की शीघ्र पहचान करने में मदद करेगी, जिससे तकनीकी सहायता (टीए), राज्य सरकार या पंचायती राज मंत्रालय द्वारा समय पर सुधार संभव हो सकेगा।

ड. पंचायती राज मंत्रालय को रिपोर्ट देना: साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और समग्र कार्यक्रम की निगरानी में सहायता के लिए पोर्टल से प्राप्त समेकित रिपोर्ट और जानकारियाँ समय-समय पर पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझा की जाएंगी।

यह निगरानी और मूल्यांकन ढांचा संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है, सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता बनाए रखता है, तथा आर्थिक रूप से टिकाऊ एवं आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण के कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है।

12. समय सीमा

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के लिए संभावित समयसीमाएँ निम्नानुसार होंगी:

गतिविधि	समयरेखा
राज्यों से परामर्श के बाद पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए (दिनांक 7 जनवरी 2026 के आ. सं. एम11015/368/2025-एफ़डी के अनुसार, मसौदा दिशानिर्देश राज्यों को भेजा गया और प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई। राज्यों के साथ 16 जनवरी 2026 को हुई वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के बाद दोपहर में परामर्श प्रक्रिया समाप्त हुई)।	टी
राज्य ने प्रस्तावों के लिए आह्वान जारी किया	दिशा-निर्देश जारी होने के 7 दिनों के भीतर (टी+7 दिन)
ग्राम पंचायतें राज्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं	अगले 45 दिनों के भीतर (टी+52 दिन)
राज्य द्वारा प्रस्तावों की संक्षिप्त सूची तैयार करना और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत करना।	अगले 45 दिनों के भीतर (टी+97 दिन)
राष्ट्रीय स्तर पर चयन और चयनित प्रस्तावों की सूची जारी करना	अगले 30 दिनों के भीतर (टी+127 दिन)
तकनीकी एजेंसी (टीए) का जीपी के साथ जुड़ाव शुरू होता है	तत्काल प्रभाव से (टी+127 दिन)
वित्तीय समापन (अनुबंध पर हस्ताक्षर)	चयनित प्रस्तावों की सूची जारी होने के 120 दिनों के भीतर (टी+247 दिन)

यह समयसीमा कार्यक्रम के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026-27) के लिए है। उपरोक्त समयसीमा में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, जिसकी सूचना तदनुसार दी जाएगी।

अनुलग्नक 1: ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम में भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

A. प्रशासनिक विवरण

क्र.सं.	मापदंड	प्रतिक्रिया
1	ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत का नाम	
2	एलजीडी कोड	
3	सरपंच/सभापति का नाम एवं संपर्क विवरण	
4	सचिव/ बीडीओ का नाम एवं संपर्क विवरण	
5	वर्तमान निर्वाचित निकाय के गठन की तिथि	
6	ग्राम सभा द्वारा परियोजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव	उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव या सहमति पत्र जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड/संलग्न करें।

B. बीपी/जीपी के वित्तीय विवरण

पिछले तीन अंतिम खातों से प्राप्त वित्तीय आंकड़े:

क्र.सं.	मापदंड	प्रतिक्रिया		
		वर्ष 1 (वर्ष बताएं)	वर्ष 2 (वर्ष बताएं)	वर्ष 3 (वर्ष बताएं)
1	स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर)			
क.	ओएसआर (कर)			
	i. संपत्ति कर			
	ii. अन्य कर			
ख.	ओएसआर (गैर-कर)			

नोट:

- आंकड़े पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से लिए जाने चाहिए। हालांकि, यदि पिछले वित्तीय वर्ष के खातों का लेखापरीक्षा नहीं हुआ है, तो उस वर्ष के आंकड़े अनंतिम खातों पर भी आधारित हो सकते हैं।
- अनंतिम आंकड़े केवल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ही स्वीकार्य होंगे, और यदि एक से अधिक पूर्व वित्तीय वर्षों के खातों की लेखापरीक्षा नहीं हुई है, तो प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सभी जीपी/बीपी को प्रस्ताव के साथ अनंतिम/लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

C. प्रस्तावित परियोजना विवरण

क्र.सं.	मापदंड	प्रतिक्रिया
सामान्य जानकारी		
1	परियोजना का शीर्षक	
2	परियोजना वर्गीकरण (अनुलग्नक 3 में सांकेतिक सूची देखें)	
3	संक्षिप्त विवरण (200-500 शब्द)	इस विचार/अवधारणा को सरल शब्दों में समझाएं
4	परियोजना के लिए आवश्यक परिसंपत्ति का प्रकार	<input type="checkbox"/> भूमि <input type="checkbox"/> भवन <input type="checkbox"/> अन्य परिसंपत्ति <input type="checkbox"/> किसी परिसंपत्ति की आवश्यकता नहीं
	यदि भूमि, भवन, भूमि और भवन	<अधिकारों का अभिलेख संलग्न करें>
	अन्य परिसंपत्तियों के मामले में	स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संलग्न करें, जैसे: पंजीकरण प्रमाण पत्र, खरीद बिल, परिसंपत्ति रजिस्ट्रों में प्रमाणित प्रविष्टि, 5 वर्ष से अधिक पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में सरपंच/सचिव/बीडीओ से घोषणा आदि।
पर्यावरण संबंधी जानकारी		
5	आरक्षित वन भूमि की भागीदारी	<input type="checkbox"/> आरक्षित वन भूमि पर निर्माण कार्य <input type="checkbox"/> आरक्षित वन भूमि की सफाई और <input type="checkbox"/> लागू नहीं
6	लंबे वृक्ष	<input type="checkbox"/> बिना प्रत्यारोपण के गिर जाएगा <input type="checkbox"/> प्रत्यारोपण किया जाएगा <input type="checkbox"/> एक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना है <input type="checkbox"/> लागू नहीं क्योंकि पेड़ों की कटाई नहीं होती है।
7	क्या आर्द्र भूमि को भरा जा रहा है या उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं
8	क्या निर्माण स्थल में कोई एएसआई प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल है?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं
प्रासंगिक परियोजना अनुभव		
9	पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत द्वारा कार्यान्वित की गई एकल सबसे बड़ी परियोजना का मूल्य	कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें
परियोजना की वित्तीय जानकारी (जीपी/बीपी द्वारा किए गए अनुभवजन्य आकलन)		

क्र.सं.	मापदंड	प्रतिक्रिया		
10	इस परियोजना के लिए आवश्यक निवेश (रुपये में)			
11	प्रति वर्ष अनुमानित लाभ कितना होगा? (रुपये में)	ब्रेक-ईवन के बाद पहला वर्ष	ब्रेक-ईवन के बाद दूसरा वर्ष	ब्रेक-ईवन के बाद तीसरा वर्ष
12	इस परियोजना से ग्राम पंचायत/ ब्लॉक पंचायत को कितनी आय होने की उम्मीद है? (रुपये में)	ब्रेक-ईवन के बाद पहला वर्ष	ब्रेक-ईवन के बाद दूसरा वर्ष	ब्रेक-ईवन के बाद तीसरा वर्ष
13	राजस्व स्रोत	<input type="checkbox"/> राजस्व/लाभ का हिस्सा समझौते द्वारा सुरक्षित है <input type="checkbox"/> इलाके में इसी तरह की परियोजना चल रही है <input type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना इस इलाके के लिए नई है		
14	इस परियोजना से प्राप्त आय से इसका विस्तार किया जा सकता है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
15	परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमानित अवधि (वर्ष और माह)			
16	परियोजना में वर्षवार निवेश (रुपये में)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
17	कार्यान्वयन शुरू होने की तिथि से लाभ उत्पन्न होने का अपेक्षित वर्ष (1/2/3 आदि)			

इस प्रपत्र के लिए, ग्राम पंचायत शब्द में ग्राम परिषद भी शामिल होगी।

अनुलग्नक 2: राज्य स्तर पर मूल्यांकन

ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाना है

(आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय मूल्यांकन के लिए स्क्रीनिंग और अंकन मानदंड)	
अनिवार्य मानदंड	
1	<p>यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है</p> <p><input type="checkbox"/> ग्राम पंचायत <input type="checkbox"/> ग्राम परिषद <input type="checkbox"/> ब्लॉक पंचायत <input type="checkbox"/> इनमें से कोई नहीं *</p>
2	<p>ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत का शेष कार्यकाल कितना है?</p> <p><input type="checkbox"/> कम से कम 3 साल <input type="checkbox"/> 3 साल से कम</p>
3	<p>पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में पंचायत का स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) कितना था?</p> <p>यदि ग्राम पंचायत:</p> <p><input type="checkbox"/> 50 लाख रुपये या उससे अधिक <input type="checkbox"/> 50 लाख रुपये से कम</p> <p>या</p> <p>यदि ब्लॉक पंचायत</p> <p><input type="checkbox"/> 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक <input type="checkbox"/> 1 करोड़ रुपये से कम</p>
3क	<p>केवल विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए</p> <p>पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में पंचायत का स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) क्या था?</p> <p>यदि ग्राम पंचायत:</p> <p><input type="checkbox"/> 10 लाख रुपये या उससे अधिक <input type="checkbox"/> 10 लाख रुपये से कम</p> <p>या</p> <p>यदि ब्लॉक पंचायत</p> <p><input type="checkbox"/> 20 लाख रुपये या उससे अधिक <input type="checkbox"/> 20 लाख रुपये से कम</p>
4	<p>क्या परियोजना को अपने स्वयं के राजस्व से संचालन और रखरखाव लागत को पूरा करने की संभावना है?</p> <p><input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं</p>
5	<p>प्रस्तावित परियोजना के लिए किस परिसंपत्ति का उपयोग किया जाएगा?</p> <p><input type="checkbox"/> भूमि</p> <p><input type="checkbox"/> भूमि और भवन</p> <p><input type="checkbox"/> भवन</p> <p><input type="checkbox"/> चल परिसंपत्तियां (संयंत्र, उपकरण और मशीनरी), कृपया निर्दिष्ट करें _____</p> <p><input type="checkbox"/> किसी परिसंपत्ति की आवश्यकता नहीं</p>

(आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय मूल्यांकन के लिए स्क्रीनिंग और अंकन मानदंड)	
6	क्या सभी परिसंपत्तियां (यदि आवश्यक हो) प्रस्तावक संस्था के स्वामित्व में हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या संबंधित ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
वैकल्पिक मानदंड	
8	क्या संबंधित पंचायत के तत्काल पूर्व सरपंच/प्रधान/मुखिया/प्रमुख या ब्लॉक पंचायत के तत्काल पूर्व निर्वाचित प्रमुख ने प्रस्ताव को सहमति दी है? (यदि लागू हो) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं
9	क्या ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत में राजनैतिक विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं
बिंदु 8 और 9 अनिवार्य नहीं हैं	
पर्यावरणीय स्क्रीनिंग	
10	क्या इस प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि पर निर्माण कार्य करना या उसे साफ करना शामिल है? <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हाँ
11	क्या इस परियोजना में आर्द्रभूमि की प्रकृति में परिवर्तन शामिल है? <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हाँ
12	क्या इस प्रस्ताव में किसी स्मारक के आसपास एएसआई द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य शामिल है? <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हाँ
13	क्या इस प्रस्ताव में वृक्षों को बिना प्रत्यारोपण/क्षतिपूरक वृक्षारोपण के काटने का प्रावधान है? <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हाँ

अंकन मानदंड				
क्र.	मानदंड	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक	टिप्पणी
1	राजनैतिक सहमति <input type="checkbox"/> ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत में राजनैतिक विपक्ष की सहमति (5 अंक) <input type="checkbox"/> पूर्व सरपंच या ब्लॉक स्तर के निर्वाचित प्रमुख की सहमति (5 अंक) <input type="checkbox"/> कोई नहीं (0 अंक)	10		
2	प्रासंगिक अनुभव	10		

अंकन मानदंड				
	<p>पिछले 5 वर्षों में जीपी/बीपी द्वारा संचालित समान परियोजनाओं का मूल्य</p> <p><input type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना मूल्य का 100% या उससे अधिक (10 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना मूल्य का 50% या उससे अधिक (5 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> प्रस्तावित परियोजना का मूल्य 50% से कम लेकिन सकारात्मक है (2.5 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> कोई नहीं (0 अंक)</p>			
3	वित्तीय स्थिरता	25		
3.1	<p>आत्मनिर्भर राजस्व स्रोत</p> <p>क्या यह परियोजना लाभ उत्पन्न करने में सक्षम होगी?</p> <p><input type="checkbox"/> हाँ (5 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं (0 अंक)</p>	5		
3.2	<p>क्या इस परियोजना से ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत के ओएसआर में वृद्धि होगी?</p> <p><input type="checkbox"/> हाँ (10 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं (0 अंक)</p>	10		
3.3	<p>राजस्व प्रवाह से जुड़े जोखिम</p> <p><input type="checkbox"/> परियोजना के लिए राजस्व का स्रोत सुनिश्चित है और किराया/पट्टा/राजस्व साझाकरण समझौते आदि जैसे समझौतों द्वारा इसकी रक्षा की जाएगी (5 अंक)</p> <p><input type="checkbox"/> इस परियोजना के लिए राजस्व का स्रोत अनिश्चित है और यह व्यवसाय की सफलता और इस प्रकार की गतिविधि जैसे जोखिम कारकों पर निर्भर करता है (0 अंक)</p>	5		
3.4	<p>स्थानीय कारोबारी माहौल से जुड़े जोखिम</p> <p><input type="checkbox"/> इस क्षेत्र में इसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के सफल संचालन के पूर्व उदाहरण मौजूद हैं। (5 अंक)</p>	5		

अंकन मानदंड				
	<input type="checkbox"/> इस इलाके में इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नई है (0 अंक)			
4	मापनीयता <input type="checkbox"/> परियोजना से प्राप्त राजस्व के साथ विस्तार योग्य (5 अंक) <input type="checkbox"/> इस परियोजना से प्राप्त राजस्व के साथ इसका विस्तार संभव नहीं है (0 अंक)	5		

नोट:

- i. प्रत्येक राज्य इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को संयुक्त सचिव/निदेशक के पद पर कार्यरत राज्य के अधिकारियों में से एक राज्य नोडल अधिकारी को नामित करेगा, जो अपने डिजिटल हस्ताक्षर के तहत मंत्रालय को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।
- ii. दस्तावेजों द्वारा समर्थित दावों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिया जाएगा।
- iii. कुल 50 अंकों में से, पात्र प्रस्ताव के लिए योग्यता स्कोर संबंधित राज्य द्वारा तय किया जाएगा।
- iv. ग्राम पंचायत शब्द में ग्राम परिषद भी शामिल होगी।

अनुलग्नक 3: परियोजना वर्गीकरण

ये परियोजनाओं के सांकेतिक प्रकार हैं। ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें संबंधित जीपी और बीपी के राजस्व सृजन करने की अनिवार्य शर्त को ध्यान में रखते हुए, अपने विचार और आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

परियोजना टाइपोलॉजी

क्र.	टाइपोलॉजी	उप- टाइपोलॉजी
1	ग्रीनफील्ड	
2	ब्राउनफील्ड	पुनर्विकास रेट्रोफ़िटिंग

परियोजना की श्रेणी

क्र.	श्रेणी	उप-श्रेणी	उदाहरण
1	सामाजिक/सॉफ्ट अवसंरचना	सामुदायिक सुविधाएं	बहुउद्देशीय / सामुदायिक हॉल
			पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रावास
			सार्वजनिक परिवहन सुविधा
2	नवोन्मेषी और सतत अवसंरचना	स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा	सौर ऊर्जा संयंत्र पवन चक्कियां ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा - (अपशिष्ट से ऊर्जा विकास)
		स्वच्छ एवं हरित गांव	बिक्री योग्य वस्तुओं की प्राप्ति सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/खाद बनाना
3	आर्थिक अवसंरचना	प्राथमिक क्षेत्र:	
		कृषि एवं संबद्ध अवसंरचना	कृषि बाजार विकास
			डेयरी उत्पाद
			भंडारण सह प्रसंस्करण इकाइयाँ
			मत्स्यपालन / वन संवर्धन / रेशम उत्पादन / पशुपालन
		मुर्गीपालन फार्म	
द्वितीयक क्षेत्र:			
औद्योगिक अवसंरचना			
ग्राम एवं कुटीर उद्योग	हस्तशिल्प, हथकरघा, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा		

क्र.	श्रेणी	उप-श्रेणी	उदाहरण	
		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	बाज़ार क्षेत्र विकास	
			व्यापारिक गतिविधियाँ - फल और सब्जियाँ, किराना सामान, कपड़े, स्टेशनरी और फोटोकॉपी मशीनें	
		तृतीयक क्षेत्र:		
		सेवा उद्योग	प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप: डिजिटल सेवाएं / सेवा केंद्र	
		यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य	सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन	
			धार्मिक पर्यटन	
			साहसिक पर्यटन	
			स्वास्थ्य/चिकित्सा पर्यटन	
			कृषि पर्यटन	
			इको पर्यटन	
	एमआईसीई पर्यटन			
4	फिजिकल/हार्ड अवसंरचना	डिजिटल अवसंरचना	दूरसंचार और नेटवर्किंग टावर	
		परिवहन नेटवर्क	पार्किंग और ट्रक टर्मिनल	

अनुलग्नक 4: नवाचारी वित्तपोषण की व्याख्या

A. पीपीपी: सार्वजनिक निजी भागीदारी

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निजी निवेशकों से धन जुटाने हेतु प्रयुक्त एक सामान्य शब्द है। यह सार्वजनिक कोष पर बोझ डाले बिना सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण का एक साधन है।

यहां, निजी निवेशक किसी सार्वजनिक परियोजना में पूर्व-निर्धारित या व्यवसाय पर निर्भर रिटर्न/ प्रतिफल के साथ एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करते हैं। इस अवधि के दौरान, निवेशक निर्मित परिसंपत्ति का संचालन करता है और अवधि समाप्त होने पर, वह परिसंपत्ति को संबंधित सार्वजनिक संस्था को सौंप देता है ताकि वे आगे के संचालन के तरीके पर निर्णय ले सकें।

पीपीपी के लिए विभिन्न मॉडल मौजूद हैं। कुछ लोकप्रिय मॉडल हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड ऑपरेट ओन (बीओओ), बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी), डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी)।

- i) **बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी):** बीओटी (BOT) के तहत, पारदर्शी बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी निवेशक सार्वजनिक लाभ के लिए संपत्ति सृजित करने हेतु किसी परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन में निवेश करता है। एक पूर्वनिर्धारित अवधि के दौरान, निवेशक परिसंपत्ति का संचालन/रखरखाव करते हुए अपने निवेश पर रिटर्न/प्रतिफल प्राप्त करता है। इस अवधि को रियायत अवधि कहा जाता है और निजी निवेशक को रियायतग्राही कहा जाता है। इस मॉडल के विभिन्न रूपों के तहत, निवेशक परियोजना में भागीदार सार्वजनिक संस्था को राजस्व/लाभ साझा करता है या परिसंपत्ति के लिए किराया अदा करता है। रियायत अवधि के अंत में, निवेशक परिसंपत्ति को सार्वजनिक संस्था को हस्तांतरित कर देता है।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

एक पंचायत ने अपनी ज़मीन पर कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निवेशक को आमंत्रित किया है। बोली का मानदंड बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित उच्चतम पट्टा किराया था। निर्माण फेज में निवेशक अपना पैसा लगाकर सभी आवश्यक मशीनों सहित इकाई का **निर्माण** करता है। इकाई तैयार हो जाने के बाद, संचालन फेज में दस वर्षों (रियायत अवधि) के लिए सुविधाओं का संचालन निवेशक द्वारा अपने खर्च पर किया जाता है। इस अवधि के दौरान, निवेशक इकाई से प्राप्त लाभ के माध्यम से अपना निवेश वसूल करता है। रियायत अवधि के दौरान, पंचायत को परियोजना में प्रयुक्त अपनी भूमि के लिए पट्टा किराया प्राप्त होता है। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, इकाई की सभी चल और अचल परिसंपत्तियां हस्तांतरण फेज में पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। संपूर्ण व्यवस्था एक समझौते के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें निवेशक और पंचायत के दायित्व, भुगतान प्रक्रिया और हस्तांतरण संबंधी औपचारिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं। यह समझौता **रियायत समझौता** कहलाता है और निवेशक **रियायतग्राही** होता है।

इस प्रकार, बीओटी प्रक्रिया के माध्यम से, पंचायत के लिए परिसंपत्तियां सृजित की जा सकती हैं और ओएसआर सृजित किया जा सकता है।

कुछ सुझाए गए क्षेत्र और परियोजनाएं जहां समान मॉडल लागू किया जा सकता है

1. ग्रामीण बाजार और कृषि मूल्य अवसंरचना

परियोजना

- आधुनिक **ग्रामीण हाट/ग्रामीण बाजार**
- दूध, फल और सब्जियों के संग्रहण एवं एकत्रीकरण केंद्र
- शीत भंडारण एवं पैकेजिंग गृह

राजस्व स्रोत

- उपयोगकर्ता शुल्क (विक्रेता, किसान)
- भंडारण और माल दुलाई शुल्क
- पार्किंग, विज्ञापन अधिकार

2. परिवहन और लॉजिस्टिक्स

परियोजना

- बस स्टैंड, ट्रक टर्मिनल
- ग्रामीण पार्किंग परिसर
- अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स हब

राजस्व स्रोत

- पार्किंग शुल्क
- प्रवेश/टर्मिनल शुल्क
- विज्ञापन अधिकार

3. विज्ञापन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण

परियोजना

- होर्डिंग्स, डिजिटल स्क्रीन
- पंचायत परिसंपत्तियों के लिए ब्रांडिंग अधिकार
- नामकरण अधिकार (पार्क, बाजार)

राजस्व स्रोत

- विज्ञापन शुल्क
- लाइसेंसिंग शुल्क

4. जल आपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन

परियोजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली
- ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण (कम्पोस्टिंग, एमआरएफ)
- मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी)

राजस्व स्रोत

- उपयोगकर्ता शुल्क (घरेलू संस्था)
- खाद/पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की बिक्री
- सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवा शुल्क का अभिसरण

5. पंचायत वाणिज्यिक परिसंपत्तियाँ

परियोजना

- दुकानें, कियोस्क, ग्रामीण मॉल
- विवाह हॉल/सामुदायिक केंद्र
- गोदाम

राजस्व स्रोत

- किराया, पट्टे के शुल्क
- कार्यक्रम बुकिंग शुल्क

- ii) **बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ):** इसके तहत, निजी निवेशक अपने निवेश से संपत्ति का निर्माण करता है, जो कुल आवश्यक निवेश का पूरा या आंशिक हिस्सा हो सकता है। परिसंपत्ति के निर्माण के बाद, निवेशक संपत्ति का लाइसेंसधारी बन जाता है और उसे सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने और राजस्व/लाभ में हिस्सेदारी करने और/या अंतर्निहित सरकारी परिसंपत्ति के लिए किराया चुकाने की अनुमति होती है। परिसंपत्ति का उपयोग सार्वजनिक निकाय/सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

अपने क्षेत्र में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन से संबंधित एक पंचायत, बीओओ आधार पर कचरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु खुली निविदा जारी करती है। पंचायत द्वारा परिभाषित परियोजना के दायरे में उच्चतम रॉयल्टी राशि की पेशकश के आधार पर बोलीदाता का चयन किया जाता है। चयनित निवेशक फिर कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का **निर्माण** करता है। निवेशक पंचायत के लाइसेंसधारी के रूप में संयंत्र का **मालिक** होता है। निवेशकर्ता संयंत्र का संचालन अपने स्वयं के धन से करता है और संयंत्र से प्राप्त गैस, खाद और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री (कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि) जैसे उत्पादों की बिक्री से निवेश की वसूली करता है। संयंत्र के संचालन के दौरान, निवेशक पंचायत को पूर्व-निर्धारित तरीके से रॉयल्टी का भुगतान करता रहता है। पंचायत और निवेशक के बीच एक रियायत समझौता होता है जिसमें दोनों पक्षों के दायित्वों और भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की राशि और तरीके का उल्लेख होता है।

सामान्यतः, ऐसे मामलों में शुरुआती 5 वर्षों के दौरान रॉयल्टी कम होती है और निवेशक एवं पंचायत दोनों के हितों की रक्षा के लिए रॉयल्टी में क्रमिक वृद्धि की जाती है। आमतौर पर समझौते में 15 वर्षों के बाद समीक्षा हेतु संशोधन खंड शामिल किया जाता है।

इसी प्रकार की परियोजनाएं पंचायतों द्वारा बीओओ पद्धति से ओएसआर (ओएसआर) सृजन करने के लिए भी शुरू की जा सकती हैं।

कुछ सुझाए गए क्षेत्र और परियोजनाएं जहां समान मॉडल लागू किया जा सकता है

1. पंचायत वाणिज्यिक परिसंपत्तियाँ

परियोजना

- दुकानें, कियोस्क, ग्रामीण मॉल
- विवाह हॉल/सामुदायिक केंद्र
- गोदाम

राजस्व स्रोत

- किराया, पट्टे के शुल्क
- कार्यक्रम बुकिंग शुल्क

2. डिजिटल अवसंरचना और सेवाएँ

परियोजना

- साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) का विस्तार
- ग्रामीण बीपीओ/डिजिटल सेवा केंद्र
- पंचायत भूमि पर दूरसंचार टावर

राजस्व स्रोत

- किराया शुल्क
- सेवा शुल्क (ई-गवर्नेंस, बैंकिंग आदि)

3. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

परियोजना

- रेत खनन (नियमित)
- पंचायत के तालाबों में मत्स्य पालन
- लघु वन उपज एकत्रीकरण

राजस्व स्रोत

- रॉयल्टी, पट्टा शुल्क
- नीलामी से संबंधित आय

4. पर्यटन और इको-पर्यटन

(चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च संभावना)

परियोजना

- इको-पर्यटन पार्क, झीलें, धरोहर स्थल
- होमस्टे समूह
- साहसिक पर्यटन (ट्रेकिंग, नौका विहार)

राजस्व स्रोत

- प्रवेश शुल्क, पार्किंग
- गतिविधि शुल्क
- संचालकों से राजस्व हिस्सा

5. विज्ञापन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण

परियोजना

- होर्डिंग्स, डिजिटल स्क्रीन
- पंचायत परिसंपत्तियों के लिए ब्रांडिंग अधिकार
- नामकरण अधिकार (पार्क, बाजार)

राजस्व स्रोत

- विज्ञापन शुल्क

- लाइसेंसिंग शुल्क

iii) **बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी):** इस मॉडल के तहत प्रारंभिक व्यवस्था बीओओटी के समान ही होती है। हालांकि, बीओओटी के तहत रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, निवेशक परिसंपत्ति को सार्वजनिक निकाय को हस्तांतरित कर देता है ताकि उस पर आगे निर्णय लिया जा सके।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

एक पंचायत अपने जल आपूर्ति नेटवर्क को सहायता प्रदान करने के लिए जल शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु बूट (बीओओटी) मॉडल के तहत निवेशक नियुक्त करने हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है। इस प्रयोजन के लिए भूमि पर उच्चतम पट्टा किराया देने वाले बोलीदाता का चयन किया जाता है। निवेशक पंचायत के साथ 20 वर्षों के लिए रियायत समझौता करता है और पंचायत द्वारा पहचाने गए कच्चे जल स्रोत का उपयोग करते हुए पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि पर संयंत्र का निर्माण करता है। यह कंपनी पंचायत के लाइसेंसधारी के रूप में संयंत्र का स्वामित्व रखते हुए (भूमि का नहीं) अपने स्वयं के खर्च पर संयंत्र का संचालन शुरू करती है। रियायत अवधि के दौरान यह पंचायत को किराया देती है, जबकि पंचायत पूर्व निर्धारित दर पर उपचारित जल खरीदती है। पंचायत इसे बाहर भी जल बेचने की अनुमति देती है। 20 वर्ष की रियायत अवधि समाप्त होने पर, निवेशक सभी संयंत्र और मशीनरी को कार्यशील स्थिति में पंचायत को हस्तांतरित कर देता है।

इसी प्रकार, पंचायतें गांवों में महत्वपूर्ण अवसंरचना स्थापित कर सकती हैं और साथ ही उनके लिए स्वयं के राजस्व स्रोत सुनिश्चित कर सकती हैं।

कुछ सुझाए गए क्षेत्र और परियोजनाएं जहां समान मॉडल लागू किया जा सकता है

1. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा परिसंपत्तियाँ

परियोजना

- पंचायत की भूमि/भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र
- सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली
- पशु अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस संयंत्र

राजस्व स्रोत

- बिजली की बिक्री (डीआईएससीओएम/स्थानीय उपयोग)
- भूमि के लिए पट्टा किराया

2. पर्यटन और इको-पर्यटन

परियोजना

- इको-पर्यटन पार्क
- होमस्टे समूह

- साहसिक पर्यटन (ट्रेकिंग, नौका विहार)

राजस्व स्रोत

- प्रवेश शुल्क, पार्किंग शुल्क
- गतिविधि शुल्क
- संचालकों से राजस्व हिस्सा

3. ग्रामीण बाजार और कृषि-मूल्य अवसंरचना

परियोजना

- आधुनिक ग्रामीण हाट/ग्रामीण बाजार
- दूध, फल और सब्जियों के संग्रहण एवं एकत्रीकरण केंद्र
- शीत भंडारण एवं पैकेजिंग गृह

राजस्व स्रोत

- उपयोगकर्ता शुल्क (विक्रेता, किसान)
- भंडारण और माल ढुलाई शुल्क
- पार्किंग, विज्ञापन अधिकार

4. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

परियोजना

- रेत खनन (नियमित)
- पंचायत के तालाबों में मत्स्य पालन
- लघु वन उपज एकत्रीकरण

राजस्व स्रोत

- रॉयल्टी, पट्टा शुल्क
- नीलामी से संबंधित आय

- iv) **डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी):** यह पीपीपी का ही एक और मॉडल है। इस मॉडल के तहत निवेशक सार्वजनिक भागीदार की अवधारणा या विचार के आधार पर परियोजना का डिजाइन तैयार करता है। वह अपने स्वयं के निवेश से परियोजना को कार्यान्वित करता है, जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। फिर वह परिसंपत्तियों का संचालन करता है और संचालन से राजस्व प्राप्त करता है, साथ ही राजस्व/लाभ साझा करता है और/या अंतर्निहित परिसंपत्ति के पट्टे के लिए किराया (उदाहरण के लिए, जिस भूखंड पर कोई सुविधा विकसित की गई है, उसका किराया) का भुगतान करता है। पूर्व निर्धारित रियायत अवधि के बाद, परिसंपत्ति सार्वजनिक निकाय को हस्तांतरित कर दी जाती है।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

एक पंचायत के पास गैर-कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है। वह इस पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहती है, जो स्ट्रीटलाइटों के लिए बिजली उत्पन्न करेगा और यदि अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होती है, तो उसे ग्रिड में भेजा जाएगा। उसने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तकनीकी विंग से इस भूखंड की बिजली क्षमता का आकलन कराया है और पाया है कि इस भूखंड पर सौर ऊर्जा संयंत्र सड़क की बत्तियों की जरूरतों के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होगा और वर्ष के अधिकांश महीनों में अतिरिक्त बिजली भी उपलब्ध होगी। हालांकि, पंचायत के पास संयंत्र को डिजाइन करने का कौशल नहीं है और वह इस परियोजना में निवेश करने का इरादा नहीं रखती है। इसलिए, उसने एक ठेकेदार/निवेशक को नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की है ताकि संयंत्र को डीबीएफओओटी मॉडल में तैयार और संचालित किया जा सके, साथ ही पंचायत के लिए ओएसआर भी उत्पन्न किया जा सके। खुली निविदा के माध्यम से बोलीदाताओं को ग्रिड को बेची गई अतिरिक्त बिजली में उस भूखंड के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित पट्टे के किराए से अधिक प्रतिशत की हिस्सेदारी की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश करने वाले बोलीदाता का चयन किया गया और 20 वर्षों की रियायत अवधि के लिए **रियायत समझौता** किया गया।

नए निवेशक ने संयंत्र का डिजाइन तैयार किया, जिसकी राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जाँच की गई। इसके बाद, निवेशक ने अपने स्वयं के वित्तपोषण से चयनित स्थल पर विद्युत संयंत्र का **निर्माण** किया। संयंत्र के चालू होने के बाद, निवेशक ने पंचायत को पट्टे का किराया देते हुए इसे अपने खर्च पर **संचालित** करना शुरू किया। रियायत अवधि के दौरान पंचायत को अपनी स्ट्रीटलाइटों के लिए मुफ्त बिजली मिलती रही, साथ ही ग्रिड में साझा की गई अतिरिक्त बिजली से उत्पन्न राजस्व में सहमत दर पर हिस्सा भी मिलता रहा। 20 वर्ष की रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, निवेशक ने संयंत्र को सुचारू रूप से कार्यशील स्थिति में पंचायत को **हस्तांतरित** कर दिया, ताकि पंचायत इसके संचालन के संबंध में निर्णय ले सके।

इसी प्रकार की परियोजनाएँ पंचायतों द्वारा डीबीएफओटी मॉडल में बुनियादी ढाँचा तैयार करने और अपने लिए ओएसआर सृजन करने के लिए शुरू की जा सकती हैं।

कुछ सुझाए गए क्षेत्र और परियोजनाएँ जहाँ समान मॉडल लागू किया जा सकता है

1. जल आपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन

परियोजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली
- ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण (कम्पोस्टिंग, एमआरएफ)
- मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी)

राजस्व स्रोत

- उपयोगकर्ता शुल्क (घरेलू संस्था)

- खाद/पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की बिक्री
- सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवा शुल्क का अभिसरण

2. डेयरी और पशुधन अवसंरचना

परियोजना

- थोक दूध कूलर (बीएमसी)
- चारा बैक और साइलेज इकाइयाँ
- पशुधन बाजार, पशु चिकित्सा केंद्र

राजस्व स्रोत

- उपयोगकर्ता शुल्क (किसानों के लिए)
- सेवा शुल्क
- सहकारी समितियों/निजी डेयरी को पट्टा

3. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा परिसंपत्तियाँ

परियोजना

- पंचायत की भूमि/भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र
- सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली
- पशु अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस संयंत्र

राजस्व स्रोत

- बिजली की बिक्री (डीआईएससीओएम)
- भूमि का पट्टा किराया

4. परिवहन और लॉजिस्टिक्स

परियोजना

- बस स्टैंड, टुक टर्मिनल
- ग्रामीण पार्किंग परिसर
- अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स हब

राजस्व स्रोत

- पार्किंग शुल्क
- प्रवेश/टर्मिनल शुल्क
- विज्ञापन अधिकार

B. सीएसआर: कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय अनिवार्य है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की निवल संपत्ति, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवल लाभ वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% सीएसआर दायित्वों के लिए खर्च करना होगा।

इन प्रावधानों के तहत, सीएसआर खर्च निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

- **सामाजिक विकास:** भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन; शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना; महिलाओं का सशक्तिकरण; और बुजुर्गों की देखभाल में सहयोग करना।
- **पर्यावरण एवं विरासत संरक्षण:** राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, पशु कल्याण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- **अवसंरचना एवं विकास:** ग्रामीण विकास परियोजनाएं, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का पुनर्विकास और आपदा प्रबंधन गतिविधियां।
- **खेल एवं कल्याण:** ग्रामीण, पैरालंपिक और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना, साथ ही सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कार्य करना।
- **प्रौद्योगिकी:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र/राज्य द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटर परियोजनाओं को सहयोग देना।

आत्मनिर्भर पंचायत योजना के संदर्भ में, यदि कोई कंपनी किसी ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के तहत कोई परियोजना विकसित करने के लिए आगे आती है, जिससे ग्राम पंचायत/ ब्लॉक पंचायत के लिए राजस्व सृजन हो और साथ ही वह अन्य पांच श्रेणियों में से किसी में भी सीएसआर परियोजना के रूप में योग्य हो, तो उन्हें अपनाया जाता है।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

एक पंचायत ने एक पुराने किले को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित करवाया था। इच्छुक पर्यटक इस स्थान पर आते थे, लेकिन रखरखाव और पर्यटन सुविधाओं की कमी के कारण यह स्थल अपना आकर्षण खो रहा था। पंचायत की आर्थिक स्थिति पहले से ही तंग थी, इसलिए वे आवश्यक जीर्णोद्धार और सुविधाओं के निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उन्होंने एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट संगठन के सीएसआर ट्रस्ट के साथ साझेदारी की और उस धन से किले का जीर्णोद्धार करवाया तथा प्रतीक्षालय, सशुल्क शौचालय, अतिथि गृह, पार्किंग और भोजनालय जैसी पर्यटन सुविधाएं स्थापित करवाईं। भोजनालय और अतिथि गृह का संचालन लाइसेंस शुल्क के बदले आउटसोर्स किया गया। इससे पंचायत के लिए राजस्व का एक स्रोत बना। पार्किंग शुल्क, प्रतीक्षालय और सशुल्क शौचालयों से प्राप्त राजस्व से एक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

पंचायतों द्वारा भी इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं, जिनमें सीएसआर निधि से अनुमत श्रेणी में बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, साथ ही पंचायत के लिए ओएसआर भी सृजित किया जाता है।

C. योजनाओं का अभिसरण

योजनाओं के अभिसरण से तात्पर्य एक सरकारी योजना (क) से प्राप्त निधि का उपयोग दूसरी योजना (ख) में करना है, बशर्ते कि ख के अंतर्गत ली गई परियोजना योजना क के अंतर्गत वित्तपोषित होने के लिए पात्र हो। इस प्रकार के वित्तपोषण में, ली गई परियोजना दोनों योजनाओं के अंतर्गत पात्र होनी चाहिए।

व्याख्यात्मक उदाहरण:

एक पंचायत, जिसकी अधिकांश आबादी पशुपालन में लगी हुई है, ने गोबर के प्रबंधन को अधिक कुशल तरीके से करने का इरादा किया, ताकि गांव का समग्र पर्यावरण बेहतर हो सके और पशुओं के अपशिष्ट का अधिक मूल्यवर्धन हो सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखा, जहां यह निर्णय लिया गया कि पंचायत की भूमि पर विकसित की जाने वाली परियोजना में एक स्थानीय निवेशक को शामिल किया जाएगा और गोबर धन योजना से धनराशि ली जाएगी।

खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से, स्थानीय निवेशक को गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। निवेशक ने गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्जिन फंड लगाया, जबकि पूंजी प्रोत्साहन गोबर धन योजना के तहत प्राप्त किया गया।

निवेशक ने भूमि का किराया अदा किया और गैस की बिक्री से अपना राजस्व वसूल किया। वहीं, गोबर उपलब्ध कराने वाले किसानों को मुफ्त खाद या उसके बराबर राशि मिली। रियायत अवधि समाप्त होने पर, संयंत्र पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, बीओटी और गोबर धन योजना का एकीकरण हुआ और पंचायत को ओएसआर का एक स्रोत प्राप्त हुआ।

पीपीपी के अलावा, पंचायत के लिए राजस्व सृजन करने हेतु दो अन्य योजनाओं को भी इसी प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।

अनुलग्नक 5: आत्मनिर्भर पंचायत के लिए दिशानिर्देशों का केस अध्ययन

1. “सब्जी बाजार पहल” – बिल्लोकल्लू, आंध्र प्रदेश

पृष्ठभूमि

बिल्लोकल्लू कुरनूल जिले के अस्पारी ब्लॉक में स्थित एक गाँव है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 74 किलोमीटर दूर है। मुख्य रूप से कृषि प्रधान यह गाँव टमाटर की खेती और मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक सुव्यवस्थित स्थानीय बाजार और स्थायी राजस्व स्रोत की आवश्यकता को समझते हुए, ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करने के लिए एक कार्यानीतिक पहल के रूप में सब्जी बाजार की स्थापना की।



चित्र 1: कुरनूल जिले के बिल्लोकल्लू ग्राम पंचायत में टमाटर मंडी, जिसका निर्माण ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के आग्रह पर उनके अपने संसाधनों और ऋण का उपयोग करके किया गया; इससे बाजार नीलामी से होने वाली आय (ओएसआर) में वृद्धि हुई है।

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- किसानों को उचित मूल्य पर कृषि उपज बेचने के लिए एक स्थानीय प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
- दूर के बाजारों पर निर्भरता कम करना और परिवहन लागत घटाना।
- ग्राम पंचायत के लिए राजस्व का एक स्थायी और नियमित स्रोत सृजित करना।

संस्थागत और वित्तीय मॉडल

बाजार के लिए जमीन ग्राम पंचायत की सहायता से ग्रामीणों के सामूहिक योगदान से खरीदी गई थी। अवसंरचना के विकास में सामुदायिक योगदान और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिए गए ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

बाजार मुख्य रूप से टमाटर और अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री को सुगम बनाता है। राजस्व उपयोगकर्ता शुल्क, बाजार शुल्क और लेनदेन आधारित संग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका प्रबंधन सीधे ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

राजस्व प्रदर्शन

सब्जी मंडी ग्राम पंचायत के राजस्व में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गई है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2020-24) में, ग्राम पंचायत ने औसतन लगभग **41,41,250** रुपये का वार्षिक राजस्व अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, **राजस्व 68,00,000 रुपये के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया**, जो वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रभाव

इस पहल से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं:

- किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर मूल्य प्राप्ति और परिवहन लागत में कमी।
- रोजगार सृजन: बाजार संचालन और संबद्ध सेवाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार।
- स्थानीय अवसंरचना का सुदृढीकरण: राजस्व का पुनर्निवेश बुनियादी नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों में किया गया।
- वित्तीय स्थिरता: ग्राम पंचायत के लिए एक स्थिर और आत्मनिर्भर राजस्व स्रोत स्थापित किया गया।

सफलता के प्रमुख कारक: मजबूत सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व, स्थानीय कृषि क्षमता का कार्यनीतिक उपयोग, संस्थागत ऋण सहायता तक पहुंच, ग्राम पंचायत द्वारा पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व प्रबंधन।

पुनरावर्तनीयता

बिल्लेकल्लू मॉडल दर्शाता है कि कृषि उत्पादक ग्राम पंचायतें संगठित ग्रामीण बाजारों को राजस्व सृजन करने वाले व्यवहार्य स्रोतों के रूप में विकसित कर सकती हैं। सामुदायिक सह-वित्तपोषण, संस्थागत सहायता और कुशल प्रबंधन के साथ मिलकर, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए, (ओएसआर) को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

बिल्लेकल्लू ग्राम पंचायत की सब्जी मंडी पहल ग्रामीण आत्मनिर्भरता का एक अनुकरणीय मॉडल है। स्थानीय संसाधनों, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत वित्तपोषण का लाभ उठाकर, ग्राम पंचायत ने एक स्थायी राजस्व-सृजन करने वाली परिसंपत्ति का निर्माण किया है जो किसानों की आजीविका और पंचायत की वित्तीय क्षमता दोनों को मजबूत करती है।

2. लघु वन उपज (एमएफपी) लाइसेंसिंग मॉडल – भालियाकाटा, ओडिशा, (पेसा क्षेत्र)

पृष्ठभूमि

भालियाकाटा ग्राम पंचायत ओडिशा के एक दूरस्थ और घने जंगलों वाले क्षेत्र में स्थित है, जो कई हाथी के गलियारों के निकट है। गाँव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के संग्रहण पर निर्भर है, जिनमें साल के बीज, शहद, महुआ के फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। ये वन-आधारित संसाधन आदिवासी परिवारों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि, हस्तक्षेप से पहले, संग्रहणकर्ताउन व्यापारियों द्वारा शोषणकारी मूल्य निर्धारण प्रथाओं के शिकार थे, जो ग्रामीणों से सीधे कम दरों पर एमएफपी खरीदते थे और उन्हें अधिक मुनाफे पर बेचते थे।



चित्र 2: ऊपर से दक्षिणावर्त दिशा में: मोचीबहाल ग्राम पंचायत, संबलपुर, ओडिशा द्वारा जारी लघु वन उत्पाद लाइसेंस; केंद्र पत्तों का वन विभाग का गोदाम; केंद्र के पत्ते

सुधार: एमएफपी खरीदारों का लाइसेंसिंग

ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने और अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करने के लिए, ग्राम पंचायत ने लघु वन उपज (एमएफपी) के खरीदारों को लाइसेंस जारी करने की प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत:

- व्यापारियों को ग्रामीणों से लघु वन उपज (एमएफपी) खरीदने से पहले ग्राम पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
- बिना लाइसेंस वाले खरीदारों को पंचायत के क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ग्राम पंचायत मजबूरी में की गई बिक्री और मूल्य में हेरफेर को रोकने के लिए मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर बातचीत और निगरानी करती है।

यह नियामक तंत्र लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और वन उपज संग्राहकों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाता है।

राजस्व मॉडल

ग्राम पंचायत एमएफ़पी के लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से राजस्व सृजन करती है। इससे एक स्थिर और स्थानीय स्तर पर प्रबंधित राजस्व स्रोत का निर्माण हुआ है, जो ग्राम पंचायत के ओएसआर में सीधे योगदान देता है।

यह मॉडल दोहरा लाभ प्रदान करता है: (i.) ग्रामीणों को शोषणकारी व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा; (ii.) निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना पंचायत राजस्व में वृद्धि।

प्रभाव

- **उचित मूल्य प्राप्ति:** ग्रामीणों को वन उत्पादों के लिए बेहतर और अधिक स्थिर मूल्य प्राप्त होते हैं।
- **आय में वृद्धि:** वन आधारित गतिविधियों पर निर्भर आदिवासी परिवारों की आजीविका मजबूत होती है।
- **संस्थागत निगरानी:** स्थानीय व्यापार गतिविधियों का बेहतर विनियमन।
- **राजस्व वृद्धि:** ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व में सतत वृद्धि।

केंद्र पत्तों पर विशेष टिप्पणी

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र पत्तों का संग्रहण एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। हालांकि, केंद्र पत्तों से संबंधित प्रशासन और लाइसेंसिंग का प्रबंधन वन विभाग द्वारा एक समर्पित राज्य स्तरीय तंत्र के माध्यम से अलग से किया जाता है। ग्राम पंचायत केंद्र पत्तों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी नहीं करती है।

निष्कर्ष

भालियाकाटा लघु वन उपज लाइसेंसिंग मॉडल यह दर्शाता है कि "वन और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें किस प्रकार स्थानीय व्यापार को विनियमित करके कमजोर उत्पादकों की सुरक्षा कर सकती हैं और साथ ही सतत राजस्व भी सृजित कर सकती हैं।" खरीददार लाइसेंसिंग को संस्थागत रूप देकर, ग्राम पंचायत ने एक संतुलित ढांचा तैयार किया है जो निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बढ़ावा देता है, आजीविका को मजबूत करता है और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाता है। **यह मॉडल देश भर में इसी तरह की वन-निर्भर पंचायतों में लागू किया जा सकता है।**

3. एकनएओएसआर काइस्तेमालकरकेगांव का विकास - एकपहाड़ीगांव, सिरासुजीपी, पौड़ी, उत्तराखंडद्वाराप्री-वेडिंगशूटकी कार्यनीति

पृष्ठभूमि



सिरासु हिमालय क्षेत्र में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव में लगभग 118 परिवार और लगभग 600 निवासी रहते हैं। अपने छोटे आकार और दूरस्थ स्थान के बावजूद, सिरासु ग्राम पंचायत ने यह साबित कर दिया है कि कैसे नवोन्मेषी स्थानीय पहलों से ओएसएसआर के स्थायी स्रोत बनाए जा सकते हैं। सुरम्य परिदृश्य की पर्यटन क्षमता को पहचानते हुए और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए, पंचायत ने पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है और उसे सामुदायिक विकास में निवेश किया है।

चित्र 3: (क) सिरासु गाँव



चित्र 4: (ख), (ग), (घ) प्री-वेडिंग शूट की लोकेशन



चित्र 5: (ड) शुल्क का हिसाब रखने वाला रजिस्टर; (च) गाँव का चिन्ह जो गर्व की भावना प्रदान करता है; (छ) सौर स्ट्रीटलाइट

उद्देश्य

- पंचायत के लिए नवीन और टिकाऊ स्वयं के राजस्व स्रोत सृजित करना।
- गांव में पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना।
- स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और पलायन को कम करना।
- स्थानीय स्तर पर उत्पन्न राजस्व का उपयोग अवसंरचना विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए करना।

संस्थागत तंत्र

सिरासु ग्राम पंचायत ने राजस्व सृजन के लिए अपरंपरागत अवसरों की पहचान करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। गांव की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, पंचायत ने प्री-वेडिंग फोटोग्राफी शूट को विनियमित करने और उससे आय अर्जित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली शुरू की है। शुरुआत में कूड़ा-करकट और अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई यह पहल जल्द ही एक सुव्यवस्थित स्थानीय उद्यम में विकसित हो गई। पर्यटन संबंधी पहलों के साथ-साथ, पंचायत ने एक सामुदायिक संपत्ति-आधारित मॉडल भी शुरू किया है, जिसके तहत पंचायत के स्वामित्व वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, कुर्सियां और कार्यक्रम के फर्नीचर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को किराए पर दिए जाते हैं। इन स्थानीय रूप से प्रबंधित सेवाओं का संचालन सीधे पंचायत द्वारा किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और नियमित राजस्व संग्रह सुनिश्चित होता है।

ओएसआर उत्पादन

सिरासु ग्राम पंचायत की सबसे सफल पहलों में से एक है प्री-वेडिंग फोटोशूट पर्यटन को बढ़ावा देना। वर्ष 2018 में, पंचायत ने गांव के सुरम्य स्थानों पर फोटोशूट कराने के लिए **प्रति जोड़े से ₹500 का मामूली शुल्क लेना शुरू किया।** पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया यह छोटा सा कदम जल्द ही आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। समय के साथ, **शुल्क बढ़ाकर प्रति जोड़े ₹1,000 कर दिया गया,** और अब यह पहल सालाना लगभग **₹15-20 लाख की आय उत्पन्न करती है, जबकि शुरुआत में यह ₹1.5 लाख थी।**

इस पहल से निवासियों के लिए आजीविका के अवसर भी सृजित हुए हैं। गांव के युवाओं ने साइकिल किराए पर देना, नदी राफ्टिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियां और आतिथ्य सेवाएं जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों और फोटोग्राफी टीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय कैफे जैसे छोटे व्यवसाय भी खुल गए हैं।

ओएसआर का एक अन्य स्रोत पंचायत के स्वामित्व वाले बर्तनों, कुर्सियों और फर्नीचर का किराया है। ये वस्तुएं **ग्रामीणों को सामाजिक समारोहों और कार्यक्रमों के लिए लगभग ₹500 के मामूली शुल्क पर किराए पर दी जाती हैं,** जिससे आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनता है और साथ ही उन सामुदायिक सदस्यों को भी सहायता मिलती है जिनके पास ऐसे संसाधनों तक पहुंच नहीं हो सकती है।

परिणाम

इन पहलों से प्राप्त राजस्व को ग्राम अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के लिए पुनर्निवेशित किया गया है। प्रमुख निवेशों में से एक लगभग 200 मीटर के अंतराल पर सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना है, जिससे बार-बार होने वाली बिजली कटौती की समस्या का समाधान हुआ है और रात के समय सुरक्षा में सुधार हुआ है। पंचायत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण, स्कूल के अवसंरचना में सुधार और अन्य स्थानीय विकास गतिविधियों में सहयोग के लिए भी ओएसआर निधि का उपयोग किया है।

निष्कर्ष

सिरासु ग्राम पंचायत इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक छोटा ग्रामीण समुदाय भी नवीन और स्थानीय रूप से प्रासंगिक पहलों के माध्यम से सफलतापूर्वक स्वयं के राजस्व का सृजन कर सकता है। पर्यटन क्षमता और सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाकर, पंचायत ने रोजगार के अवसर पैदा करने और अवसंरचना में सुधार करते हुए अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत किया है। सिरासु मॉडल वित्तीय रूप से सुदृढ़ पंचायतों के निर्माण में स्थानीय नेतृत्व, रचनात्मकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को उजागर करता है।

3. एम्बुलेंस सेवा पहल – फुलबारी । ग्राम पंचायत, जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल पृष्ठभूमि

जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक में स्थित फुलबारी प्रथम ग्राम पंचायत, जो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सीमित आपातकालीन परिवहन सुविधाओं को एक गंभीर कमी के रूप में पहचाना। विश्वसनीय एम्बुलेंस सेवाओं के अभाव में ग्रामीणों, विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, अस्पतालों तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। इस आवश्यकता को समझते हुए, ग्राम पंचायत ने सामुदायिक उपयोग के लिए एक एम्बुलेंस खरीदने के लिए अपने स्वयं के धन का निवेश करके एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया।



चित्र 6: स्वास्थ्य संकट के दौरान स्थानीय आबादी की सेवा के लिए एक ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्वयं के धन से खरीदी गई एम्बुलेंस।

संस्थागत और वित्तीय मॉडल

परिचालन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक-निजी परिचालन ढांचा अपनाया: (I) एम्बुलेंस ग्राम पंचायत के अपने संसाधनों से खरीदी गई; (II) वाहन को संचालन और रखरखाव के लिए एक निजी संगठन को वार्षिक रूप से पट्टे पर दिया जाता है; (III) **ग्राम पंचायत इस पट्टे व्यवस्था से प्रति वर्ष लगभग ₹50,000 कमाती है, जो सीधे स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में योगदान देता है।** यह व्यवस्था नियमित सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत पर प्रशासनिक और परिचालन बोझ को कम करती है।

सामाजिक समावेशन उपाय

हालांकि यह सेवा शुल्क आधारित मॉडल पर संचालित होती है, फिर भी जीपी ने समानता के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए हैं: गरीब और असाध्य रोगियों के लिए, जीपी सेवा में सब्सिडी देते हैं; योग्य मामलों में, पंचायत ईंधन का खर्च वहन करती है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा से वंचित न किया जाए।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि राजस्व सृजन से कमजोर समूहों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित न हो।

प्रभाव

इस पहल ने कई परिणाम दिए हैं: क) बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच: चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान समय पर परिवहन। ख) राजस्व संवर्धन: वार्षिक पट्टा आय जीपी के ओएसआर को मजबूत करती है। ग) रोजगार सृजन: स्थानीय युवाओं को ड्राइवरों और देखभाल करने वालों के रूप में लगाया जाता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। घ) परिचालन स्थिरता: स्पष्ट राजस्व तंत्र जीपी पर आवर्ती वित्तीय तनाव के बिना निरंतर सेवा प्रावधान सुनिश्चित करता है।

मुख्य सफलता कारक

- पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का कार्यनीतिक उपयोग।
- सार्वजनिक-निजी परिचालन साझेदारी।
- राजस्व सृजन और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन।
- पारदर्शी पट्टे की व्यवस्था।

प्रतिकृति

फुलबारी। मॉडल दर्शाता है कि ग्राम पंचायतें आवश्यक सार्वजनिक सेवा संपत्तियों में निवेश कर सकती हैं और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व से जुड़े परिचालन मॉडल डिजाइन कर सकती हैं। इसी तरह के दृष्टिकोण को पानी टैंकर, कृषि उपकरण या सामुदायिक परिवहन वाहनों जैसी सेवाओं के लिए अपनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

फुलबारी। ग्राम पंचायत की एम्बुलेंस सेवा पहल इस बात का उदाहरण है कि कैसे स्थानीय सरकारें एक साथ महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत कर सकती हैं। परिसंपत्ति निर्माण, संरचित पट्टे और लक्षित सब्सिडी को मिलाकर, जीपी ने एक वित्तीय रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से समावेशी मॉडल विकसित किया है जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ाता है जबकि अपने स्वयं के राजस्व स्रोत को बढ़ाता है।

4. विविध स्थानीय राजस्व मॉडल – पटना ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़

संदर्भ

पटना ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले की बैकुंठपुर तहसील में स्थित है। यह गांव बैकुंठपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जो जिला और उप-जिला मुख्यालय दोनों का कार्य करता है। पटना ग्राम पंचायत लगभग 613.25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी जनसंख्या 5,124 है, जिसमें 2,551 पुरुष और 2,573 महिलाएं शामिल हैं। पंचायत में लगभग 1,216 परिवार हैं। बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए, पंचायत ने स्थानीय संसाधनों को जुटाकर अपनी वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के महत्व को समझा। राजस्व सृजन के लिए विविध दृष्टिकोण अपनाकर, ग्राम पंचायत ने सफलतापूर्वक अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि की है, जिससे यह स्थानीय विकास में सहयोग करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने में सक्षम हुई है। **वित्तीय वर्ष 2021-22 में, पटना ग्राम पंचायत ने विभिन्न स्थानीय राजस्व स्रोतों के माध्यम से लगभग ₹18.68 लाख ओएसआर अर्जित किया।**



चित्र 7 : कोरिया नीर, जल कर, विद्युत कर, बाजार शुल्क, दुकानों से किराया, अनुबंधित तालाब, पशु पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण शुल्क, मोबाइल टावर स्थापना से किराया, प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क, व्यवसाय पंजीकरण शुल्क आदि जैसे कई स्थानीय राजस्व स्रोतों के माध्यम से ओएसआर का सृजन।

उद्देश्य

- राजस्व के विविध स्रोतों के माध्यम से ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।
- स्थानीय अवसंरचना और नागरिक सेवाओं के लिए सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय कर और शुल्क संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना।
- स्थानीय संसाधनों को जुटाकर बाहरी अनुदानों पर निर्भरता कम करना।

संस्थागत तंत्र

पटना ग्राम पंचायत ने विभिन्न स्थानीय स्रोतों से राजस्व की पहचान और संग्रह के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किया है। पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक संसाधनों का विनियमन करती है और उचित शुल्क, कर और सेवा शुल्क लगाती है। पंचायत प्रशासन कर योग्य गतिविधियों और सार्वजनिक संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि बकाया राशि की उचित वसूली सुनिश्चित हो सके। बाज़ार, तालाब, दुकानें और सेवा सुविधाएं जैसे स्थानीय संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन पट्टों या संविदात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिससे पंचायत के लिए नियमित आय सुनिश्चित होती है। सामुदायिक जागरूकता और प्रशासनिक निगरानी करें और शुल्कों के अनुपालन और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।

ओएसआर सृजन

पटना ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व अर्जित करती है। राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक "कोरिया नीर" योजना के तहत जल कर का संग्रह है, जो स्थानीय जल आपूर्ति सेवाओं के संचालन और रखरखाव में सहायक होता है। अतिरिक्त आय बिजली कर, बाजार शुल्क और पंचायत क्षेत्र के भीतर संचालित पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानों से प्राप्त किराए के माध्यम से सृजित की जाती है।

पंचायत मछली पालन के लिए तालाबों का ठेका देकर भी राजस्व अर्जित करती है, जिससे पंचायत को आजीविका और आय दोनों प्राप्त होती हैं। राजस्व के अन्य स्रोतों में पशु पंजीकरण शुल्क, भूमि हस्तांतरण शुल्क, प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिए एकत्र किए गए व्यवसाय पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।

पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना से प्राप्त किराए से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है, जो एक स्थिर और अनुमानित आय का स्रोत है। इन विविध स्रोतों के संयोजन से पंचायत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग ₹18.68 लाख का स्वयं का राजस्व स्रोत अर्जित किया।

परिणाम

राजस्व में विविधता लाने की कार्यनीति ने पंचायत की वित्तीय क्षमता को मजबूत किया है, जिससे वह स्थानीय विकास कार्यों और नागरिक अवसंरचना में निवेश करने में सक्षम हुई है। ओएसआर से प्राप्त राजस्व से जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक अवसंरचना के रखरखाव और अन्य आवश्यक सेवाओं में सुधार होता है। इस प्रणाली ने पंचायत की परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार को भी प्रोत्साहित किया है।

निष्कर्ष

पटना ग्राम पंचायत ने दिखाया कि कैसे ग्रामीण स्थानीय निकाय विविध राजस्व जुटाने के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं। स्थानीय परिसंपत्तियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके और कई स्रोतों से कर और सेवा शुल्क एकत्र करके, पंचायत ने एक स्थिर ओएसआर आधार बनाया है जो अवसंरचनात्मक विकास में सहायता करता है और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है।

5. प्रोत्साहन आधारित राजस्व जुटाने का मॉडल - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (मीठाखरी ग्राम पंचायत)

संदर्भ

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) को मजबूत करने के लिए एक विशिष्ट ढांचा विकसित किया है। द्वीपों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 8,211.08 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण और 37.92 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या 3,80,581 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2,37,093 निवासी और शहरी क्षेत्रों में 1,43,488 निवासी शामिल हैं।



पंचायती राज प्रणाली के तहत, संघ राज्य क्षेत्र में दो जिला पंचायतें, सात ब्लॉक पंचायतें और 70 ग्राम पंचायतें हैं। इस संस्थागत संरचना में, ग्राम पंचायतें ओएसआर उत्पन्न करने में प्राथमिक भूमिका निभाती हैं। प्रशासन द्वारा शुरू की गई स्थानीय संसाधन प्रबंधन और प्रोत्साहन-आधारित नीतियों के संयोजन के माध्यम से, पंचायतें पर्याप्त स्थानीय राजस्व जुटाने में सक्षम रही हैं। संघ राज्य क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों ने सामूहिक रूप से लगभग ₹ 3.02 करोड़ का ओएसआर उत्पन्न किया।

चित्र 8 : अंडमान ट्रंक रोड पर प्रमुख पर्यटक स्थलों को दर्शाने वाला मानचित्र

उद्देश्य

- स्थानीय राजस्व जुटाने के माध्यम से ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना।
- पंचायतों को स्थानीय राजस्व स्रोतों की पहचान करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उच्च राजस्व संग्रह के लिए समान अनुदान के माध्यम से पंचायतों को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय रूप से उत्पन्न धनराशि का उपयोग करके स्थानीय अवसंरचना और सेवा वितरण में सुधार करना।

संस्थागत तंत्र

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने पंचायतों को अपना राजस्व जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक समान अनुदान प्रणाली शुरू की है। 20 जनवरी 2012 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायती राज संस्थाएं अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के आधार पर अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। समान अनुदान 1:3 के अनुपात में दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि अपने राजस्व के रूप में अर्जित प्रत्येक रुपये के लिए पंचायत प्रशासन से तीन रुपये का समान अनुदान प्राप्त कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्व में कर, शुल्क, टोल, उपकर और अन्य शुल्क शामिल हैं, साथ ही पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों से प्राप्त आय जैसे किराया और पट्टे से प्राप्त शुल्क भी शामिल हैं। हालांकि, दान, जमा पर प्राप्त ब्याज और सरकारी अनुदान को इस गणना से बाहर रखा गया है। इस नीति ने पंचायतों को राजस्व के नए स्रोत तलाशने और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित किया है।

ओएसआर सृजन

संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से गैर-कर स्रोतों से राजस्व अर्जित करती हैं। प्रमुख स्रोतों में लाइसेंस शुल्क, भवन या दुकान का किराया, परमिट शुल्क, व्यापार पंजीकरण शुल्क, भवन योजना अनुमोदन शुल्क, जुर्माना और विभिन्न उपयोग शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क शामिल हैं। स्थानीय हाटों से प्राप्त बाजार राजस्व, तालाबों, नौकाओं, बंगलों और बाजारों के पट्टे, साथ ही सड़कों और नौकाओं से वसूले जाने वाले टोल से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। पंचायतों को मोबाइल टावर की अनुमतियों, विज्ञापन और प्रचार शुल्क, अवशिष्ट सामग्री और पेड़ों की बिक्री, खनिज रॉयल्टी और पंचायत परिसंपत्तियों के किराये से भी राजस्व प्राप्त होता है।

दक्षिण अंडमान जिले के फेरारगंज ब्लॉक की मीठाखरी ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹15,74,575 का ओएसआर प्राप्त हुआ। यह राजस्व कई स्रोतों से प्राप्त हुआ, जिनमें सामुदायिक हॉल से ₹1.48 लाख, पशु तालाब से ₹37,300, बर्तनों और कुर्सियों से प्राप्त किराये की थोड़ी आय और पंचायत बाजारों से प्राप्त पावतियाँ शामिल हैं।

परिणाम

प्रोत्साहन-आधारित राजस्व प्रणाली ने पंचायतों को अपनी परिसंपत्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने और राजस्व के नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप, द्वीपों में पंचायतों ने अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत किया है और स्थानीय विकास कार्यों के लिए धन देने की अपनी क्षमता में सुधार किया है। बढ़े हुए ओएसआर ने अवसंरचना के विकास, सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव और सामुदायिक सेवाओं के बेहतर वितरण में सहयोग प्रदान किया है।

निष्कर्ष

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रोत्साहन-आधारित राजकोषीय नीतियों के माध्यम से पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करने का एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समान अनुदान प्रणाली, विविध गैर-कर राजस्व स्रोतों और प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन के संयोजन से एक ऐसा स्थायी मॉडल तैयार हुआ है जो ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और विकास क्षमता को बढ़ाता है।

6. मंदिर से जुड़ी बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल – मुकुंदपुरपटना, ओडिशा

पृष्ठभूमि

ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र में स्थित मुकुंदपुरपटना ग्राम पंचायत में 11 वार्डों में फैले लगभग 8,000 लोगों की आबादी वाले छह गाँव शामिल हैं। कृषि, लघु व्यापार और स्थानीय बाजार अधिकांश परिवारों की आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। पंचायत की एक प्रमुख विशेषता यहाँ स्थित प्रसिद्ध तारिणी माता मंदिर है, जो प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ श्रद्धालुओं को और नव वर्ष जैसे विशेष अवसरों पर तीन लाख तक श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तीर्थयात्रियों के भारी आगमनसे आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि पैदा हुई है। इस क्षमता को पहचानते हुए, ग्राम पंचायत ने आजीविका का समर्थन करते हुए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) उत्पन्न करने के लिए बाजारों, सार्वजनिक अवसंरचना और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है।



चित्र 9 : ओडिशा के मुकुंदपुरपटना ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित नारियल प्रसंस्करण इकाई

उद्देश्य

- ग्राम पंचायत के वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए धार्मिक पर्यटन का लाभ उठाना।
- राजस्व सृजन के लिए स्थानीय बाजारों और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यवस्थित और विनियमित करना।
- बाजार से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना।
- सतत ओएसआर जुटाने के लिए पंचायत-प्रबंधित परिसंपत्तियों का उपयोग करना।

संस्थागत तंत्र

ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों द्वारा एक प्रमुख सुविधा और नियामक भूमिका निभाती है:

- स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और स्टॉल-आधारित राजस्व उत्पन्न करने के लिए साप्ताहिक हाट बाजारों का आयोजन और प्रबंधन करना।

- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित संरचित शुल्क प्रणाली के माध्यम से पंचायत द्वारा प्रबंधित बाज़ार परिसरों में दुकानें किराए पर लेना।
- उपयोगकर्ता शुल्क के साथ बस स्टैंड और सामुदायिक हॉल जैसी सार्वजनिक अवसंरचनाओं का प्रबंधन करना।
- मंदिरों में चढ़ावे से संबंधित मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहयोग देना।

इस प्रणाली के माध्यम से, पंचायत स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करती है, साथ ही साथ राजस्व के स्थिर स्रोत भी सृजित करती है।

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

पंचायत में आर्थिक गतिविधियाँ मंदिर व्यवस्था और आसपास के बाजारों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- साप्ताहिक हाट बाजार सप्ताह में दो बार लगते हैं, जिनमें किसानों, व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए लगभग 300 स्टॉल होते हैं।
- पंचायत द्वारा प्रबंधित बाजार परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जहां स्थानीय व्यवसायों को दुकानें किराए पर दी जाती हैं।
- पंचायत द्वारा संचालित बस स्टैंड का उपयोग करने वाले निजी वाहनों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा संचालित नारियल प्रसंस्करण इकाइयाँ मंदिर में चढ़ाए गए नारियल से लड्डू, तेल और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाती हैं।
- जलकृषि के लिए पट्टे पर दिये गए 23 पंचायत-प्रबंधित पानी की टंकियों में मछली पालन किया जाता है।

ये गतिविधियाँ निवासियों के लिए रोजगार सृजित करती हैं और साथ ही सामुदायिक संसाधनों का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करती हैं।

ग्राम पंचायत के साथ राजस्व संबंध

यह मॉडल निम्नलिखित तरीकों से पंचायत के ओएसआर में योगदान देता है:

- साप्ताहिक हाट बाजारों से एकत्र किए गए स्टॉल शुल्क।
- बाज़ार परिसर की दुकानों से किराये की आय।
- बस स्टैंड का उपयोग करने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क।
- सामाजिक समारोहों के लिए उपयोग किए जाने वाले कल्याण मंडपों जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए शुल्क।
- मछली पालन के लिए उपयोग की जाने वाली पानी की टंकियों से पट्टे की आय।

इन तंत्रों के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ सीधे तौर पर संरचित राजस्व जुटाने में योगदान करती हैं।

परिणाम

- **पंचायत ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2006 में ₹93,000 से बढ़कर 2018 में ₹36.78 लाख हो गया है।**
- किसानों और छोटे विक्रेताओं के लिए स्थानीय बाजारों और व्यापार के अवसरों को मजबूत करना।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्यमों और मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार और आजीविका के अवसर।
- कल्याणकारी पहलों और स्थानीय विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए पंचायत की क्षमता में सुधार।
- पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन।

अन्य ग्राम पंचायतों के लिए इसकी पुनरावृत्ति

- जिन ग्राम पंचायतों में तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या बड़े स्थानीय बाजार हैं, वे इस मॉडल को निम्न प्रकार से अपना सकती हैं:
- पर्यटन या स्थानीय व्यापार केंद्रों से जुड़े आर्थिक अवसरों का मानचित्रण।
- संरचित स्टॉल शुल्क प्रणालियों के साथ साप्ताहिक बाजारों का आयोजन और विनियमन।
- पंचायत-प्रबंधित बाजार परिसरों और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से जुड़े एसएचजी-आधारित मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक अवसंरचना और सेवाओं के लिए पारदर्शी उपयोगकर्ता शुल्क पेश करना।

चुनौतियां

- राजनीतिक हस्तक्षेप कभी-कभी निर्णय लेने और विकास पहलों के समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।
- केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के बंधे घटकों के कारण सीमित वित्तीय लचीलापन बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति निर्माण के लिए पंचायत की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।
- मौसमी जल की कमी से पट्टे पर दिए गए तालाबों और मत्स्य पालन में उत्पादकता कम हो जाती है।
- संसाधन नीलामी के दौरान मिलीभगत या एसएचजी द्वारा आउटसोर्सिंग के उदाहरण प्रतिस्पर्धी बोली को कमजोर कर सकते हैं और संभावित ओएसआर को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मुकुंदपुरपटना ग्राम पंचायत का मॉडल यह दर्शाता है कि धार्मिक पर्यटन, स्थानीय बाजार और सामुदायिक उद्यमों को कार्यनीतिक रूप से एकीकृत करके स्वयं के राजस्व स्रोत को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मंदिर के आसपास की आर्थिक गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन करके और राजस्व को विकास पहलों में पुनर्निवेश करके, पंचायत ने स्थानीय वित्तीय स्थिरता और समावेशी ग्रामीण विकास का एक स्थायी मॉडल तैयार किया है।

7. आजीविका सुरक्षा के लिए डेयरी सहकारी मॉडल - खेड़ा जिला, गुजरात

संदर्भ

खेड़ा जिले में मलाई, पांडवानिया, सोखदा और हैजाराबाद जैसी ग्राम पंचायतों ने खुलासा किया कि लगभग 80% परिवार सीमित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों वाले छोटे किसान हैं। कृषि और दुग्ध उत्पादन स्थानीय आजीविका का मुख्य आधार हैं। ऐसी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में, आनंद प्रतिरूप पर आधारित दुग्ध सहकारी संरचना ने आय सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है।



चित्र 10: बाएं से दाएं चित्र - (क) दुग्ध, क्रांति के पीछे प्रेरणा; (ख) बॉम्बे के दुग्ध आयुक्त, एक अंग्रेज, और उनके डिप्टी ने आनंद का दौरा किया; (ग) और (घ) काइरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, आनंद; स्रोत: Amuldairy.com/history.php

संस्थागत ढांचा: आनंद प्रतिरूप

सहकारी डेयरी प्रणाली तीन स्तरीय संरचना का अनुसरण करती है:

ग्राम स्तर – दुग्ध सहकारी समिति (डीसीएस): दूध उत्पादक ग्राम डेयरी सहकारी समिति बनाकर दूध संग्रहण केंद्र (दूध मंडी) चलाते हैं। कोई भी दूध उत्पादक दूध की आपूर्ति करके सदस्य बन सकता है। संग्रहण केंद्र पर गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है और वसा की मात्रा तथा गुणवत्ता मानकों के आधार पर भुगतान किया जाता है। वार्षिक लाभ सदस्यों के बीच उनके दूध योगदान के अनुपात में वितरित किया जाता है।

जिला स्तर – जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ: खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिसका मुख्यालय आनंद में है और जिसे लोकप्रिय रूप से अमूल के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण समितियों से दूध प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है और मक्खन, पनीर, घी, दूध पाउडर और पैकेटबंद दूध जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण करता है।

राज्य स्तर – राज्य संघ: एक शीर्ष विपणन संघ पूरे राज्य में ब्रांडिंग, विपणन और वितरण का समन्वय करता है, जिससे व्यापक दक्षता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है।

यह सुव्यवस्थित प्रणाली बिचौलियों और ठेकेदारों के नियंत्रण को समाप्त करती है, जिससे उत्पादकों को अधिकतम लाभ मिलता है।

परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन

मलाई ग्राम पंचायत में:

- लगभग 160 घर प्रतिदिन लगभग 1, 600 लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं।
- वसा की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर खरीद दर 47-49 रुपये प्रति लीटर के बीच होती है।
- दूध संग्रह केंद्र का मासिक कारोबार लगभग 16-17 लाख है।
- औसतन, एक परिवार प्रति दिन 30 लीटर की आपूर्ति करता है और प्रति माह लगभग 30, 000 रुपये कमाता है।

जबकि जिले की अन्य ग्राम पंचायतें समान प्रदर्शन स्तर दर्शाती हैं, खेड़ा जिले में औसत ओएसआर 9,08,27,750 रुपये है।

सहायता सेवाएँ

सहकारी मॉडल खरीद और भुगतान से परे है। यह निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- पशु चिकित्सा देखभाल और पशु स्वास्थ्य सेवाएं।
- आधुनिक दुग्ध उत्पादन पद्धतियों का प्रशिक्षण।
- आवश्यक सामग्री और तकनीकी मार्गदर्शन की उपलब्धता।

ये सेवाएं उत्पादकता, दूध की गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ाती हैं।

प्रभाव

- **स्थिर और सुनिश्चित बाजार पहुंच:** दैनिक खरीद अनुमानित आय सुनिश्चित करती है।
- **निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण:** गुणवत्ता-आधारित भुगतान तंत्र।
- **लाभ साझाकरण:** वार्षिक लाभांश सदस्य जुड़ाव को मजबूत करते हैं।
- **मध्यस्थों का उन्मूलन:** उत्पादकों और प्रसंस्करणकों के बीच सीधा संबंध।
- **बेहतर आजीविका सुरक्षा:** घरेलू आय में महत्वपूर्ण वृद्धि।
- **सामुदायिक एकजुटता:** सामूहिक स्वामित्व सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

ग्राम पंचायतों के लिए प्रासंगिकता

जबकि डेयरी सहकारी समितियां स्वतंत्र संस्थानों के रूप में काम करती हैं, ग्राम पंचायतें निम्नलिखित द्वारा एक सहायक भूमिका निभाती हैं:

- अवसंरचना के विकास में सहयोग करना।
- संग्रह केंद्रों के लिए भूमि या भवन उपलब्ध कराना।
- ग्रामीणों के बीच सहकारी सदस्यता को बढ़ावा देना।

यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करता है और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायतों की राजस्व क्षमता को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

खेड़ा जिले में डेयरी सहकारी मॉडल यह दर्शाता है कि कैसे त्रि-स्तरीय ढांचे के तहत संगठित उत्पादक समूह ग्रामीण आजीविका में बदलाव ला सकते हैं। उचित मूल्य सुनिश्चित करके, बिचौलियों को हटाकर और संस्थागत सहायता प्रदान करके, आनंद-पद्धति की सहकारी प्रणाली आय वृद्धि, आर्थिक मजबूती और समुदाय-नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास के लिए एक अनुकरणीय मार्ग प्रदान करती है।

8. ग्राम पंचायत द्वारा गैर-कर स्वयं के राजस्व स्रोत का सृजन, रानीपोखरी जीपी, उत्तराखंड

पृष्ठभूमि

उत्तराखंड का एक छोटा सा गाँव रानीपोखरी, जिसकी आबादी लगभग 10,000 है, ने अवसंरचना के विकास, स्थानीय सेवाओं में सुधार और रचनात्मक समाधानों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने में असाधारण प्रयास किए हैं। ग्राम पंचायत ने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) उत्पन्न करने के लिए नवोन्मेषी कार्यनीतियाँ लागू की हैं, जिससे गाँव का सतत विकास और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

ग्राम पंचायत निम्नलिखित के माध्यम से अपनी वृद्धि जारी रखने का लक्ष्य रखती है-

- पंचायत की भूमि पर सौर पैनल लगाने जैसी राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का विस्तार करना।
- ग्राम विकास में योगदान देने के लिए महिलाओं और बच्चों के समूह बनाकर रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता सहित बुनियादी सुविधाओं में और सुधार करना।



चित्र 11: उत्तराखंड के रानीपोखरी ग्राम पंचायत द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित जैविक और मूल्यवर्धित उत्पाद



चित्र 12: बाएं से दाएं – (क) रानीपोखरी ग्राम पंचायत द्वारा समर्थित जैविक स्टोर, उत्तरा; (ख) और (ग) उत्तराखंड के रानीपोखरी ग्राम पंचायत में सीएसआर पहल के सहयोग द्वारा प्राप्त स्वच्छता।



चित्र 7: (क) और (ख): हाट बाजार - रानीपोखरी जीपी, उत्तराखंड

ओएसआर के लिए प्रमुख पहल और कार्यनीतियाँ:

- **हाट बाज़ार:** ग्राम पंचायत ने अनुपयोगी भूमि को एक चहल-पहल भरे बाज़ार में बदल दिया है, जहाँ विक्रेता सामान बेचते हैं और दुकानों के लिए जगह की नीलामी से अच्छी-खासी आय अर्जित करते हैं। दुकानदारों की शुरुआती शंकाओं के बावजूद, हाट बाज़ार अब इस क्षेत्र के सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले बाज़ारों में से एक है।
- **पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानें:** एक स्थानीय विधायक के समर्थन से, पंचायत ने दुकानें बनाने के लिए भूमि प्राप्त की, जिससे उसकी आय में और वृद्धि हुई। ये दुकानें स्थानीय उद्यमियों को किराए पर दी जाती हैं, जिससे नियमित आय प्राप्त होती है।
- **ग्राम मेले:** रानीपोखरी में समय-समय पर मेले आयोजित होते हैं जो न केवल सामुदायिक भावना को बढ़ाते हैं बल्कि राजस्व भी उत्पन्न करते हैं। हाल ही में आयोजित एक मेले से 25 दिनों में ₹40,000 की आय हुई।
- **पंचायत घर और विवाह कक्ष का किराया:** पंचायत के पास, एक विवाह कक्ष 'बारात घर' और एक बड़ा पंचायत घर (सामुदायिक हॉल) है, जिन्हें शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जाता है, का स्वामित्व है। इसके अतिरिक्त, चाय और नाश्ते जैसी केटरिंग सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिससे आय में और वृद्धि होती है।
- **सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क:** कचरा संग्रहण जैसी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार ₹30 का भुगतान करता है। समय के साथ, ये शुल्क ₹10-20,000 प्रति माह से बढ़कर ₹60-70,000 प्रति माह हो गए हैं।

सामना की गई चुनौतियां

- **प्रारंभिक प्रतिरोध:** समुदाय को कचरा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए राजी करना, "स्वच्छता" के महत्व को समझाना और राजस्व सृजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हालांकि, इस पहल के लाभों को समझाने के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अंततः व्यापक स्वीकृति मिली।
- **हाट बाजार में वित्तीय जोखिम:** प्रारंभ में, हाट बाजार की व्यवहार्यता को लेकर संदेह था। दुकानदारों को वित्तीय नुकसान का डर था।

- **कर संग्रह से संबंधित उपनियमों का अभाव:** ग्राम पंचायत ने होटल या कारखाने स्थापित करने वाली संस्थाओं पर कर लगाने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इस विषय पर स्पष्ट उपनियमों के अभाव के कारण वर्तमान में ऐसा करने में असमर्थ है।

सामुदायिक विकास एवं कल्याण

- **स्वास्थ्य संबंधी पहल:** रानीपोखरी ग्राम पंचायत ने एम्स ऋषिकेश के सहयोग से द्विमासिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें ग्रामीणों को आवश्यक निवारक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **शिक्षा में सुधार:** पंचायत ने स्थानीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं, जैसे शिक्षकों की कमी और सुविधाओं की अपर्याप्तता, का समाधान किया है।
- **पर्यावरण संरक्षण प्रयास:** रानीपोखरी प्रदूषण कम करने और स्थानीय पर्यावरण में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत ने आगामी वर्ष में 1,000 वृक्षारोपण करने की योजना बनाई है और समुदाय को वृक्षारोपण पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण:

रानीपोखरी में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं, जो अब पंचायत की जमीन पर बने एक बड़ी दुकान में कपड़े और खाद्य पदार्थ जैसी चीजें बनाकर बेच रही हैं। यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बनाती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। आज इस गांव में 50 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं।

रानीपोखरी ग्राम पंचायत के लिए ओएसआर सृजन के प्रमुख स्रोत (2023-24)

1. मानचित्रण के आधार पर संपत्ति के पंजीकरण का शुल्क: ₹6,000
2. हाट बाजार की नीलामी से राजस्व: ₹20,70,100 (ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली संपत्ति पर हाट बाजार की नीलामी से वर्ष 2024-25 में ₹25,25,000 से अधिक की आय भी हुई है)।
3. पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानों से किराया: ₹3,60,000
4. पंचायत की परिसंपत्तियों (विवाह भवन, खेल का मैदान, पंचायत घाट आदि) से आय: ₹12,000
5. ग्राम मेले से आय: ₹20,000

निष्कर्ष

रानीपोखरी ग्राम पंचायत का ओएसआर सृजन मॉडल यह दर्शाता है कि नवोन्मेषी दृष्टिकोण, नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय सरकारें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता रखती हैं। इस मॉडल की सफलता गांव के तीव्र विकास और बढ़ते राजस्व स्रोतों में स्पष्ट है, जो गांव की निरंतर प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।

9. शासन और स्थानीय राजस्व जुटाना – लीपुरम ग्राम पंचायत, तमिलनाडु

संदर्भ

लीपुरम ग्राम पंचायत तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अगस्तीवरम ब्लॉक में स्थित है, जो कन्याकुमारी शहर से लगभग 5 किमी और जिला मुख्यालय नागरकोइल से 25 किमी दूर है। यह पंचायत 2.23 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 1,753 परिवार हैं, जिनकी जनसंख्या 8,462 है और साक्षरता दर लगभग 85 प्रतिशत है। समुद्र के निकट होने के कारण, मछली पकड़ना यहाँ की प्रमुख आजीविका है, जबकि कृषि—विशेष रूप से धान, केला और नारियल की खेती—भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। पंचायत में ऐतिहासिक वट्टाकोट्टई किला भी शामिल है, जो 18वीं शताब्दी का एक तटीय किला है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। लीपुरम ग्राम पंचायत को अपनी शासन व्यवस्था के लिए मान्यता मिली और इसे पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) के तहत पुरस्कार के लिए चुना गया। पंचायत ने अवसंरचना और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए सहभागी शासन को नवीन स्थानीय राजस्व जुटाने के तरीकों के साथ जोड़ा है।



चित्र 14: बाएं से दाएं चित्र – (क) किले में प्रवेश करने वाले वाहनों पर टोल लगाते हुए ग्राम पंचायत। (ख) अमनकानविलई और समाईकोइल स्ट्रीट के बीच संपर्क मार्ग। (ग) स्ट्रीटलाइटों के निर्माण से महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना उत्पन्न हुई है।

उद्देश्य

- ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सहभागी शासन को सुदृढ़ करना।
- प्रभावी स्थानीय संसाधन जुटाने के माध्यम से स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाना।
- स्थानीय अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना।
- स्थानीय शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

संस्थागत तंत्र

पंचायत एक सुनियोजित शासन प्रणाली का पालन करती है जो पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जिनमें महिलाओं और सामुदायिक समूहों सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। स्वच्छता, कल्याण, कृषि, शिक्षा

और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए स्थायी समितियाँ गठित की गई हैं। वार्षिक विकास योजना और बजट ग्राम सभा के परामर्श से तैयार किए जाते हैं, जिससे सामुदायिक प्राथमिकताओं को शामिल किया जा सके। ग्राम सभा की बैठकों के दौरान एमजीएनआरईजीएस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों का सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाता है, जिससे लाभार्थियों को रिकॉर्ड की समीक्षा करने और अधिकारियों के समक्ष सीधे अपनी समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है।

ओएसआर सृजन

लीपुरम ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के स्रोत राजस्व को मजबूत करने के लिए कई पहलें लागू की हैं। एक प्रमुख पहल वट्टाकोट्टई किले की ओर जाने वाली सड़क पर वाहन टोल का संग्रह है। यद्यपि पंचायत स्वयं किले के लिए प्रवेश शुल्क नहीं ले सकती है, लेकिन यह निविदा प्रणाली के माध्यम से साइट तक पहुंचने वाले वाहनों से टोल एकत्र करती है। इस टोल को वसूलने का अधिकार प्रतिवर्ष नीलाम किया जाता है, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाली पंचायत एक निश्चित राशि का भुगतान करती है। इस पहल से प्राप्त राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2010-11 में ₹61,958 से बढ़कर 2013-14 में ₹1,50,000 हो गया।

इसके अतिरिक्त, पंचायत ने जागरूकता अभियानों, ग्राम सभा चर्चाओं और बकाया राशि को कम करने के लिए घर-घर जाकर किए गए फॉलो-अप के माध्यम से मकान कर और व्यावसायिक कर की वसूली में सुधार किया है। परिणामस्वरूप, मकान कर की वसूली 2010-11 में ₹2,00,000 से बढ़कर 2012-13 में ₹3,00,000 हो गई, जबकि इसी अवधि में व्यावसायिक कर की वसूली में भी वृद्धि हुई। इन उपायों से पंचायत की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और स्थानीय विकास गतिविधियों को समर्थन मिला है।

परिणाम

राजस्व में वृद्धि से पंचायत को स्ट्रीट लाइटिंग, सड़क संपर्क, स्वच्छता सुविधाएं और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिली है। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें और अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता अभियान जैसी पर्यावरणीय पहल भी शुरू की गई हैं। मजबूत पारदर्शिता उपायों और सहभागी योजना ने पंचायत और समुदाय के बीच विश्वास को बढ़ाया है, जिससे शासन में जनता की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।

निष्कर्ष

लीपुरम ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि सहभागी शासन, पारदर्शिता और प्रभावी राजस्व जुटाने से स्थानीय स्वशासन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। पर्यटन से संबंधित अवसरों का लाभ उठाकर और स्थानीय कर संग्रह प्रणालियों में सुधार करके, पंचायत ने विकास पहलों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही बनाए रखते हुए अपनी वित्तीय क्षमता को बढ़ाया है।

10. संस्थागत कृषि-आधारित राजस्व मॉडल – त्रिशूर जिला पंचायत, केरल

संदर्भ

केरल का त्रिशूर जिला पंचायत इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं संस्थागत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के माध्यम से स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को किस प्रकार जुटा सकती हैं। ग्राम पंचायतों के विपरीत, जिला पंचायतों के पास कर लगाने का अधिकार सीमित होता है। परिणामस्वरूप, वे प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से गैर-कर राजस्व और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर रहती हैं। त्रिशूर जिला पंचायत ने राजस्व सृजन करने के लिए अपनी संस्थागत अवसंरचना—विशेष रूप से कृषि फार्मों और संबंधित प्रतिष्ठानों का उपयोग करने की कार्यनीति अपनाई है। जिला पंचायत कई कृषि फार्मों, बीज फार्मों और पशुधन सुविधाओं का प्रबंधन करती है, जो कृषि उत्पादन केंद्रों और राजस्व उत्पन्न करने वाली संस्थाओं दोनों के रूप में कार्य करते हैं। बेहतर प्रबंधन पद्धतियों, गुणवत्ता नियंत्रण और व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से, पंचायत इन परिसंपत्तियों से पर्याप्त गैर-कर राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम रही है।



15. चित्र 1: बाएं से दाएं चित्र – (क) जिला पंचायत, केरल; (ख), (ग), (घ) और (ङ) कृषि फार्म और संबंधित प्रतिष्ठान

उद्देश्य

- गैर-कर राजस्व सृजन के माध्यम से जिला पंचायत की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना।
- कृषि और संस्थागत परिसंपत्तियों के उत्पादन का उपयोग करना।
- सतत राजस्व स्रोत सृजित करते हुए कृषि विकास को सहयोग देना।
- परिसंपत्ति-आधारित आय सृजन में सुधार करके बाहरी अनुदानों पर निर्भरता कम करना।

संस्थागत तंत्र

त्रिशूर जिला पंचायत कई संस्थागत परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है जो इसके गैर-कर राजस्व में योगदान करती हैं। इनमें आठ राज्य बीज फार्म, कुन्नमकुलम में स्थित एक सुअर फार्म (पिग फार्म) और अन्य राजस्व सृजन करने वाली सुविधाएं जैसे कि ओलूर में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और हैचरी शामिल हैं। इन संस्थाओं का प्रबंधन या तो सीधे पंचायत द्वारा या संरचित प्रशासनिक व्यवस्थाओं

के माध्यम से किया जाता है। पंचायत उपयोगकर्ता शुल्क, स्कैप सामग्री की बिक्री, निविदा प्रपत्रों और अपने नियंत्रण में स्थित भवनों और अवसंरचनाओं से प्राप्त किराये की आय से भी राजस्व एकत्र करती है।

राजस्व बढ़ाने के लिए, पंचायत ने फार्म संचालन की कड़ी निगरानी, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार और संस्थागत प्रदर्शन की नियमित समीक्षा जैसे उपाय किए हैं। हैचरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क को नियंत्रित करने वाले उपनियमों को संशोधित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि किराये की दरों को वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुरूप अद्यतन किया जा सके।

ओएसआर सृजन

त्रिशूर जिला पंचायत के गैर-कर राजस्व का प्रमुख घटक कृषि एवं बीज फार्म हैं। यह राजस्व बीजों, पौधों और कृषि उत्पादों के उत्पादन और बिक्री से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, नादवरंबू स्थित राज्य बीज फार्म ने वर्ष **2017-18 में ₹28.31 लाख का राजस्व अर्जित किया** और उसके बाद के वर्षों में भी राजस्व में योगदान जारी रखा। इसी प्रकार, पानांचेरी स्थित राज्य बीज फार्म ने वर्ष **2017-18 में ₹56.58 लाख का राजस्व अर्जित किया**, जबकि पझयन्नूर, कोडस्सेरी, मन्नुथी और एडाथिरुथी जैसे अन्य फार्मों ने भी राजस्व में योगदान दिया।

बीज फार्मों के अतिरिक्त, चेलक्कारा स्थित जिला कृषि फार्म और इरिंजलकुडा स्थित सरकारी नारियल नर्सरी भी आय के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। नारियल नर्सरी ने विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसने वर्ष **2017-18 में ₹23.81 लाख का राजस्व अर्जित किया** और वर्ष **2021-22 तक बढ़कर ₹96.41 लाख हो गया**। कुन्नमकुलम स्थित सुअर फार्म से होने वाली आय, ओल्लूर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और हैचरी से प्राप्त किराये की आय और पंचायत द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क और सेवा शुल्क से राजस्व में और वृद्धि होती है।

परिणाम

खेतों और संस्थागत परिसंपत्तियों के व्यवस्थित प्रबंधन से जिला पंचायत को गैर-कर राजस्व का एक स्थायी स्रोत बनाने में मदद मिली है। ये संसाधन कृषि विस्तार गतिविधियों, कृषि अवसंरचना के रखरखाव और जिला पंचायत द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास पहलों में सहायक हैं। बेहतर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण ने भी इन संस्थाओं की उत्पादकता को मजबूत किया है।

निष्कर्ष

त्रिशूर जिला पंचायत यह दर्शाती है कि उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं संस्थागत परिसंपत्तियों के उत्पादक प्रबंधन के माध्यम से अपने वित्तीय संसाधनों को कैसे मजबूत कर सकती हैं। कृषि फार्मों, पशुधन सुविधाओं और सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर, पंचायत ने गैर-कर राजस्व सृजन का एक स्थायी मॉडल तैयार किया है जो कृषि विकास और संस्थागत वित्तीय स्थिरता दोनों का सहयोग करता है।

11. तीर्थयात्रा से जुड़ा राजस्व जुटाना – चकमोह ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश

संदर्भ

चकमोह ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिझरी विकास ब्लॉक में स्थित है और इसकी स्थापना 3 अगस्त 1991 को हुई थी। यह पंचायत लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 599 परिवार हैं जिनकी आबादी 2,495 है, जिनमें 1,230 पुरुष और 1,265 महिलाएं शामिल हैं। इन परिवारों में से 67 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के रूप में चिह्नित किया गया है। यह पंचायत प्रसिद्ध तीर्थस्थल देवसिद्ध के निकट स्थित है, जहां पूजनीय बाबा बालक नाथ मंदिर है और वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस धार्मिक स्थल के निकट होने के कारण, चकमोह एक छोटे सेवा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जहां स्कूल, कॉलेज, बैंक, डाकघर, अस्पताल, राशन की दुकान और पशु चिकित्सा केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीर्थयात्रियों की उपस्थिति और स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों ने पंचायत को स्थानीय राजस्व जुटाने और अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत



करने के अवसर प्रदान किए हैं।



चित्र 16: (क) ग्राम सामुदायिक केंद्र कार्यालय, चकमोह; (ख) तीर्थयात्री, चकमोह

उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन करके ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।
- स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) के लिए धार्मिक पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाना।
- नागरिक अवसंरचना और बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर सृजित धन का उपयोग करना।
- बाहरी अनुदानों पर निर्भरता कम करके सतत स्थानीय शासन को बढ़ावा देना।

संस्थागत तंत्र

चकमोह ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और सेवाओं से राजस्व एकत्र करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की है। पंचायत तीर्थस्थल के पास संचालित दुकानों, विक्रेताओं और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का विनियमन करती है और उनसे कर एवं सेवा शुल्क वसूल करती है। अस्थायी वाणिज्यिक स्थानों के आवंटन और कर संग्रह के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिससे राजस्व प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। पंचायत स्थानीय मेलों और धार्मिक सभाओं का भी आयोजन करती है, जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन होने के साथ-साथ राजस्व सृजन के अवसर भी प्रदान करते हैं।

ओएसआर सृजन

पंचायत विभिन्न स्थानीय स्रोतों से औसतन लगभग ₹6.94 लाख का वार्षिक स्वयं का राजस्व स्रोत अर्जित करती है। राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक पंचायत क्षेत्र के भीतर संचालित दुकानों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से एकत्रित वाणिज्यिक कर है।

पंचायत में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। इस आयोजन के दौरान, पंचायत अस्थायी छायादार स्थान और बाज़ार की दुकानों के किराए पर उपलब्ध कराती है। यह मेला आसपास के क्षेत्रों से आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को संचालन करने का अवसर मिलता है और पंचायत को दुकानों के किराए से अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका मिलता है।



चित्र 17: बाएं से दाएं चित्र (क) और (ख) पंचायत द्वारा आयोजित वार्षिक मेला, जहां पंचायत द्वारा शेड और स्टॉल लगाए जाते हैं और किराए पर दिए जाते हैं; (ग) नालियों और सड़कों का निर्माण।

परिणाम

ओएसआर के माध्यम से प्राप्त राजस्व का सक्रिय रूप से उपयोग नागरिक सुविधाओं और स्थानीय विकास कार्यों के लिए किया गया है। इस धन का उपयोग पंचायत भवन की मरम्मत, नालियों के निर्माण, सड़कों और जल निकासी चैनलों की सफाई, स्थानीय सड़कों की मरम्मत, पाइप द्वारा जल आपूर्ति के विस्तार, पक्के रास्तों के निर्माण, हैंडपंपों की स्थापना और रखरखाव तथा स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था के प्रबंधन के लिए किया गया है। इन आवश्यक सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर जुटाए गए धन का उपयोग करके, पंचायत समुदाय की जरूरतों को शीघ्रता से पूरा करने में सक्षम रही है।

निष्कर्ष

चकमोह ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि तीर्थ स्थलों के निकट स्थित पंचायतें स्थानीय व्यापार को विनियमित करके और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करके किस प्रकार प्रभावी रूप से स्वयं के राजस्व स्रोतों का सृजन कर सकती हैं। धार्मिक पर्यटन और स्थानीय बाजार गतिविधियों का लाभ उठाकर, पंचायत ने एक स्थायी राजस्व आधार बनाया है जो अवसंरचना के विकास और आवश्यक नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देता है, साथ ही स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक कल्याण को मजबूत करता है।

12. परिसंपत्ति-आधारित स्वयं के राजस्व स्रोतका मॉडल, पुरबा गनकी ग्राम पंचायत, त्रिपुरा

पृष्ठभूमि

खोवाई ब्लॉक मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित पुरबा गनकी ग्राम पंचायत में छह बस्तियां हैं जिनमें 980 परिवार रहते हैं और जनसंख्या 3,640 है। मुख्य रूप से कृषि प्रधान और वन क्षेत्रों से घिरी यह ग्राम पंचायत, अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करने के लिए एक विविध परिसंपत्ति-आधारित मॉडल को सफलतापूर्वक विकसित कर चुकी है, जिससे सालाना ₹9.24 लाख की आय होती है।



चित्र 18: बाएं से दाएं चित्र (क) जंगल महल इको-पार्क (ख) मुकुट सामुदायिक हॉल

मुख्य राजस्व स्रोत

1. जंगल महल इको-पार्क: बीएडीपी, बीईयूपी, मनरेगा और पीडीएफ़ निधियों के संमिलनके माध्यम से विकसित, इको-पार्क को प्रबंधन के लिए जीपी को सौंप दिया गया था। यह पर्यटकों को आकर्षित करता है, खासकर सर्दियों के दौरान, और अक्सर स्कूली दौरों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

स्थापना के बाद से अर्जित राजस्व: ₹8,36,991

2. मुकुट सामुदायिक हॉल: ग्राम पंचायत एक संरचित शुल्क प्रणाली के तहत सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इस हॉल को किराए पर लेता है।

स्थापना के बाद से अर्जित राजस्व: ₹1,00,480

3. 11 तालाबों को पट्टे पर देना: ग्राम पंचायत के नियंत्रण में आने वाले तालाबों को पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से मछली पालकों और समितियों को पट्टे पर दिया जाता है। पट्टे की राशि सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जमा की जाती है।

स्थापना के बाद से अर्जित राजस्व: ₹9,24,627.

शासन की प्रथाएं

- संमिलन-आधारित परिसंपत्ति निर्माण।
- पारदर्शी पट्टा और किराया व्यवस्था।

- उचित लेखांकन और प्रत्यक्ष बैंक जमा।
- रखरखाव और स्थानीय विकास के लिए निधियों का पुनर्निवेश।

मुख्य बातें

- प्राकृतिक और सामुदायिक संपत्तियों का मुद्रीकरण ओएसआर को काफी बढ़ा सकता है।
- पारिस्थितिकी-पर्यटन, अवसंरचनाओं का किराया और मत्स्य पालन के लिए दिये गए पट्टे गैर-कर राजस्व धाराएं प्रदान करते हैं।
- पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन विश्वास पैदा करता है और यह स्थिरता सुनिश्चित करता है।

अनुकरणीयता: ग्राम पंचायतें उपलब्ध परिसंपत्तियों का मानचित्रण कर सकती हैं, संरचित उपयोगकर्ता शुल्क अपना सकती हैं, पट्टों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती हैं और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए आय का पुनर्निवेश कर सकती हैं।

निष्कर्ष: पुरबा गनकी ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि कार्यनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन ग्रामीण नागरिकों पर अतिरिक्त कर भार डाले बिना वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत कर सकता है।

13. राज्य के नेतृत्व में कानूनी सशक्तिकरण और जागरूकता आधारित ओएसआर संघटन मॉडल, ग्रामीण स्थानीय निकाय, त्रिपुरा

पृष्ठभूमि

त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) में स्वयं का राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने के लिए एक सुनियोजित पहल की। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुदानों पर निर्भरता को कम करना और कानूनी सशक्तिकरण, जागरूकता पैदा करने और व्यवस्थित कर जुटाने के माध्यम से पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करना था। **वर्ष 2019-20 में, राज्य भर की पंचायतों ने सामूहिक रूप से ओएसआर के रूप में ₹3.80 करोड़ जुटाए।**

कानूनी और संस्थागत ढांचा

यह पहल त्रिपुरा पंचायत अधिनियम, 1993 और त्रिपुरा पंचायत (कर, शुल्क, दरें और टोल) नियम, 2011 के प्रावधानों पर आधारित थी, जो ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित कर लगाने का अधिकार देने का प्रावधान करते हैं:

- भूमि और भवनों पर संपत्ति कर
- व्यापार लाइसेंस पर शुल्क
- वाहन पंजीकरण शुल्क (गैर-यांत्रिक रूप से संचालित)
- जल, प्रकाश और संरक्षण दरें
- मेले और तीर्थयात्रा के दौरान शुल्क
- जीपी प्रबंधन के तहत फेरी और सड़कों पर टोल

नियमों में नाममात्र वार्षिक मकान कर की दरें निर्धारित की गई हैं (पक्के मकानों के लिए ₹40, अर्ध-पक्के मकानों के लिए ₹20 और कच्चे मकानों के लिए ₹10), जिसमें बीपीएल परिवारों को छूट दी गई है।

पर्यावरण सृजन एवं जागरूकता कार्यनीति:

इन प्रावधानों को लागू करने के लिए, राज्य ने निम्नलिखित पर जोर दिया:

- ग्राम स्तर पर खुली बैठकें और समूह चर्चाएँ
- चुने हुए प्रतिनिधियों के नेतृत्व में वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान
- पंचायत पदाधिकारियों को उनकी कानूनी शक्तियों और राजस्व तंत्रों के बारे में संवेदनशील बनाना
- स्थानीय चिंताओं को दूर करने और विश्वास कायम करने के लिए नागरिकों के साथ सीधा संवाद

इस सहभागी प्रयास ने अनुपालन में सुधार किया और अधिकारियों तथा ग्रामीण नागरिकों दोनों के बीच विश्वास को मजबूत किया।

परिणाम

- पंचायतों की कर लगाने की शक्तियों के बारे में जागरूकता में वृद्धि
- ग्राम पंचायतों में कर और शुल्क वसूली में सुधार
- बाहरी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता में कमी

- ग्रामीण स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में मजबूती

मुख्य बातें

- स्पष्ट कानूनी सहायता और सामुदायिक जागरूकता से ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- सामाजिक संरक्षण के साथ नाममात्र की कर दरें समावेशिता सुनिश्चित करती हैं।
- जागरूकता आधारित अनुपालन, प्रवर्तन आधारित वसूली की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है।

अनुकरणीयता: राज्य वैधानिक कराधान शक्तियों को स्पष्ट करके, संरचित जागरूकता अभियान चलाकर और निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय राजस्व जुटाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाकर ओएसआर को मजबूत कर सकते हैं।

निष्कर्ष: त्रिपुरा का अनुभव दर्शाता है कि कानूनी सशक्तिकरण के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकती है।

14. ओएसआर बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स - धामोरा ग्राम पंचायत, रामपुर जिला, उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि

रामपुर जिले में धमौरा ग्राम पंचायत ने सड़क के किनारे स्थित ग्राम सभा की 1012 वर्ग मीटर जमीन (घाटा नं. 25) की पहचान की, जिस पर अक्सर अतिक्रमण किया जाता था। जमीन की अपार व्यावसायिक क्षमता को देखते हुए, ग्राम पंचायत ने इस खाली और असुरक्षित जमीन को राजस्व सृजित करने वाली व्यावसायिक परिसंपत्ति में बदलने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य न केवल भविष्य में अतिक्रमणों को रोकना था, बल्कि निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना और पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत बनाना भी था।

राजस्व कार्यनीति और स्रोत

- ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की भूमि पर एक वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए एक अभिनव स्व-वित्तपोषित मॉडल अपनाया। इस कार्यनीति के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल थे:
- ग्राम सभा ने एक व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास को औपचारिक रूप से मंजूरी दी और विकास, वित्तपोषण, स्वामित्व और रखरखाव के संदर्भ में ग्राम पंचायत की भूमिकाएँ परिभाषित कीं।
- वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से बचने के लिए, पंचायत ने भावी किरायेदारों को दुकानें आवंटित करने और निर्माण के लिए उनसे अग्रिम राशि एकत्र करने का निर्णय लिया।
- दुकान आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया।
- आवेदन शुल्क प्रति दुकान ₹1,00,000 निर्धारित किया गया, जिससे कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए धन जुटाने में सहायता मिली।

समुदाय से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, 43 दुकानों के लिए 96 आवेदन प्राप्त हुए, जो व्यावसायिक स्थान की प्रबल मांग को दर्शाते हैं। उप-जिलाधिकारी (एसडीएम), ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और ग्राम प्रधान की एक समिति ने पारदर्शिता और संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवंटन प्रक्रिया का प्रेक्षण किया।

परिणाम

इस पहल के परिणामस्वरूप पंचायत और स्थानीय समुदाय को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए:

- 43 व्यावसायिक दुकानों का सफल आवंटन हुआ, जिससे 43 परिवारों को व्यापार के अवसर प्राप्त हुए।
- पंचायत को ₹2,35,200 की स्थिर वार्षिक किराये की आय प्राप्त हुई, जिससे उसका स्वयं का राजस्व स्रोत मजबूत हुआ।
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास से ग्राम सभा की बहुमूल्य भूमि पर अतिक्रमण को रोका जा सका।
- इस परियोजना ने स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया, जिससे ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिला।

- पहले कॉम्प्लेक्स की सफलता से उत्साहित होकर, पंचायत ने दो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की शुरुआत की है।



चित्र 19: वाणिज्यिक दुकानें स्थापित करने की धामोरा की पहल

अनुकरण के लिए सीख

धामोरा ग्राम पंचायत की पहल अन्य पंचायतों के लिए कई महत्वपूर्ण सीख देती है:

- ग्राम सभा की भूमि का कार्यनीतिक उपयोग कम उपयोग की गयी भूमि या अतिक्रमण की गई भूमि को उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर सकता है।
- लाभार्थियों से अग्रिम राशि प्राप्त करने वाले स्व-वित्तपोषण के मॉडल सार्वजनिक निधियों पर निर्भरता को कम कर सकते हैं।
- प्रशासनिक निगरानी सहित पारदर्शी आवंटन तंत्र विश्वास बढ़ाने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक अवसंरचना का विकास राजस्व सृजन करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक हो सकता है।

निष्कर्ष

धामोरा ग्राम पंचायत द्वारा विकसित वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यह दर्शाता है कि किस प्रकार नवीन परिसंपत्ति मुद्रीकरण और सहभागी वित्तपोषण तंत्र स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए ओएसआर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। अतिक्रमित भूमि को राजस्व सृजन करने वाले वाणिज्यिक केंद्र में परिवर्तित करके, पंचायत ने अपनी वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया है और अन्य

ग्राम पंचायतों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल तैयार किया है जो अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है।

15. बाजार शेड के विकास के माध्यम से स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाना – धेमाजी जिला पंचायत, असम

पृष्ठभूमि

धेमाजी जिले में धेमाजी जिला पंचायत ने अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक अवसंरचना में सुधार करने की मांग की। इस जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांवों में उचित बाजार स्थानों का अभाव था, जिसके कारण विक्रेताओं को अव्यवस्थित परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और स्थानीय बाजारों से राजस्व उत्पन्न करने की पंचायत की क्षमता सीमित हो जाती थी। इस कमी को देखते हुए, जिला पंचायत ने एक सुनियोजित बाजार अवसंरचना को विकसित करने का निर्णय लिया जो एक साथ स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दे सके और पंचायत के लिए राजस्व उत्पन्न कर सके।

राजस्व कार्यनीति और स्रोत

वित्तीय वर्ष 2015-16 में, जिला पंचायत ने प्रमुख ग्राम बाजारों में बाजार शेड बनाकर संपत्ति सृजन और मुद्रीकरण की कार्यनीति अपनाई। क्षेत्र का आकलन करने और स्थानीय हितधारकों से परामर्श करने के बाद, उन प्राथमिकता वाले स्थानों की पहचान की गई जहां विक्रेताओं के पास सामान बेचने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसके बाद मानिकपुर बाजार, बोरपाक तिनियाली, गोगमुख, मिंगमुंग, लटक, जोनाई और बेतोनिपाम जैसे स्थानों पर बाजार शेड बनाए गए।

पंचायत ने एक सुव्यवस्थित राजस्व संग्रह प्रणाली शुरू की, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- बाजार की दुकानों का उपयोग करने वाले विक्रेताओं से प्राप्त मासिक किराया।
- इनका प्रयोग करने वाले व्यापारियों पर लगाया गया वार्षिक बाजार संबंधी कर या उपयोग शुल्क।

इस प्रयास ने पंचायत को एक आम सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्ति को एक स्थायी और आवर्ती राजस्व स्रोत में बदलने में सक्षम बनाया।

परिणाम

इस पहल से आर्थिक और संस्थागत दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए:

- विक्रेताओं को दैनिक और साप्ताहिक बाजारों में अपना सामान बेचने के लिए व्यवस्थित और सुरक्षित स्थान मिले।
- स्थानीय समुदायों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिली, जिससे लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो गई।
- बाजार शेडों ने पंचायत के लिए राजस्व के स्थिर स्रोत बनाए, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत द्वारा अर्जित ₹97,11,110 के ओएसआर में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्राप्त धनराशि को स्थानीय विकास गतिविधियों में पुनर्निवेशित किया गया, जिसमें जिला पंचायत कार्यालय का नवीनीकरण और एक छोटा सम्मेलन कक्ष का निर्माण शामिल है।



चित्र 20: बाजार शेड

अनुकरण के लिए सीख

धेमाजी जिला पंचायत का अनुभव उन पंचायतों के लिए कई महत्वपूर्ण सीख देता है जो ओएसआर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं:

- स्थानीय सरकारों के लिए परिसंपत्ति-आधारित राजस्व सृजन एक प्रभावी रणनीति हो सकती है।
- स्थानीय बाजार अवसंरचना आजीविका को सहारा देते हुए राजस्व सृजन की प्रबल क्षमता प्रदान करती है।
- हितधारकों से परामर्श और स्थान मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि परिसंपत्तियों का विकास उच्च मांग वाले क्षेत्रों में हो।
- शुल्क या किराया वसूली के लिए स्पष्ट और सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित करने से राजस्व मॉडल की स्थिरता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष


धेमाजी जिला पंचायत द्वारा बाजार शेड की पहल दर्शाती है कि कैसे कार्यनीतिक अवसंरचना विकास संरचित राजस्व संग्रह को मिलकर ओएसआर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय बाजार की मांग का लाभ उठाकर और राजस्व उत्पन्न करने वाली सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करके, पंचायतें अपनी वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत कर सकती हैं, साथ ही स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और ग्रामीण समुदायों के लिए सेवा वितरण में सुधार कर सकती हैं।

16. "पंचायत आपके द्वार": समुदाय-केंद्रित राजस्व परिवर्तन मॉडल, समागोगा ग्राम पंचायत, गुजरात

पृष्ठभूमि

कच्छ जिले के मुंद्रा तालुका में स्थित समागोगा ग्राम पंचायत ने स्वयं के स्रोत से राजस्व जुटाने में उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पुरस्कार से सम्मानित इस पंचायत ने "पंचायत आपके द्वार" नामक घर घर तक (डोरस्टेप) एक नवाचारी शासन पहल के माध्यम से कर संग्रह दक्षता को 5% से बढ़ाकर 90% कर दिया है।

विविध जैन और मुस्लिम समुदायों से युक्त इस गांव ने 2001 के भुज भूकंप के बाद अपना पुनर्निर्माण किया और आज इसमें वाई-फाई हॉटस्पॉट और सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो प्रगतिशील और पारदर्शी स्थानीय शासन को दर्शाती हैं।



As to minimize the strain of these wifi services on the panchayat and government fund,



Due to the presence of CCTV and wifi in Samagoga, a lot of changes were observed.

चित्र 21: समागोगा ग्राम पंचायत में वाईफाई और सीसीटीवी

संदर्भ और चुनौती

कर योग्य संपत्तियां होने के बावजूद, पंचायत को शुरुआत में बेहद कम कर वसूली (लगभग 5%) का सामना करना पड़ा। एक प्रमुख बाधा अनुपस्थित संपत्ति मालिक थे जो रोजगार के लिए मुंबई जैसे शहरों में पलायन कर गए थे, जिससे घर बंद पड़े थे और कर बकाया थे। इससे पंचायत के राजस्व आधार में भारी कमी आई।

नवाचारी कार्यनीति

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए पंचायत ने एक सक्रिय जनसंपर्क मॉडल अपनाया:

- घर-घर जाकर "पंचायत आपके द्वार" की टीमों ने कर संग्रह किया और साथ ही भूमि अभिलेख, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड संबंधी दस्तावेज जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रदान कीं।
- पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रवासी मकान मालिकों का पता लगाने के लिए मुंबई गए और बकाया ₹3-4 लाख की वसूली में सफलता प्राप्त की।
- कर अभिलेखों की निगरानी और संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग शुरू किया गया।

सेवा वितरण को कर संग्रहण के साथ एकीकृत करके, पंचायत ने विश्वास पैदा किया और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार किया।



चित्र 22: सामुदायिक भागीदारी और घर-घर जाकर कर संग्रह

राजस्व जुटाने के व्यापक प्रयास

संपत्ति कर संग्रह को मजबूत करने के अलावा, समागोगा ने अपने संसाधन जुटाने में विविधता लाई:

- अवसंरचना की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)।
- सामाजिक कारणों के लिए धनराशि जुटाने के लिए "संगीत संध्या" जैसे वार्षिक सामुदायिक कार्यक्रम।
- स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए दानकर्ता मान्यता पहल (द्वारों और सड़कोंके नामकरण)।
- विकास कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ सीएसआर साझेदारी।

परिणाम

- कर संग्रह 5% से बढ़कर 90% हो गया।
- प्रवासी मालिकों से बकाया में 3-4 लाख रुपये की वसूली की गई।
- बुनियादी सुविधाओं और सेवा वितरण के लिए बढ़ी हुई वित्तीय क्षमता।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक स्वामित्व।

अनुकरणीयता

समागोगा मॉडल दर्शाता है कि घर घर तक (डोरस्टेप) शासन, प्रवासी जनसम्पर्क और डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम से ओएसआर प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। ग्राम पंचायतें मोबाइल कर शिविर आयोजित करके, राजस्व संग्रह को नागरिक सेवाओं से जोड़कर, सीएसआर साझेदारी का लाभ उठाकर और पूरक निधि जुटाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करके इस प्रयास का अनुकरण कर सकती हैं। सक्रिय सहभागिता तंत्र को संस्थागत रूप देने से ग्रामीण स्थानीय निकायों में राजकोषीय स्वायत्तता को स्थायी रूप से मजबूत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

समागोगा ग्राम पंचायत ने यह साबित कर दिया है कि सक्रिय और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था से स्वयं के राजस्व स्रोत के प्रदर्शन में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। घर-घर जाकर सेवाएँ प्रदान करने, प्रवासी संपत्ति मालिकों तक लक्षित संपर्क बनाने, डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम और सामुदायिक भागीदारी

के ज़रिए पंचायत ने कमज़ोर कर आधार को एक स्थायी राजस्व मॉडल में बदल दिया। “पंचायत आपके द्वार” पहल से यह बात स्पष्ट होती है कि जब पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास का सही तालमेल होता है, तो ग्रामीण स्थानीय निकाय सहभागी शासन को मज़बूत करते हुए वित्तीय आत्मनिर्भरता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं।

17. ओएसआर बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - ओडनथुराई पंचायत, तमिलनाडु

पृष्ठभूमि

करमदई में स्थित ओदंथुराई पंचायत सतत विकास और वित्तीय आत्मनिर्भरता के प्रति अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। इस पंचायत का उद्देश्य ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए सरकारी अनुदानों पर अपनी निर्भरता को कम करना है। "स्वच्छ और हरित पंचायत" बनने की परिकल्पना के साथ, स्थानीय प्रशासन ने नवीकरणीय ऊर्जा को आय और सततता के एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में अपनाया है।

राजस्व कार्यनीति और स्रोत

अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करने के लिए, पंचायत ने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परिसंपत्ति मुद्रीकरण की कार्यनीति अपनाई और अपनी बचत तथा बैंक ऋण का उपयोग करके एक विंडमिल स्थापित की। इस पहल के साथ, ओदंथुराई पंचायत तमिलनाडु की पहली स्थानीय संस्था बन गई जिसके पास विंडमिल का स्वामित्व और संचालन है।

यह विंडमिल प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करती है, जिसे तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (राज्य विद्युत बोर्ड) को बेचा जाता है। बिजली की बिक्री से पंचायत को ₹16 लाख से अधिक की स्थिर वार्षिक आय प्राप्त होती है, जिससे राजस्व का एक सतत स्रोत बनता है।



चित्र 23: ओदंथुराई ग्राम पंचायत



परिणाम

इस पहल से महत्वपूर्ण वित्तीय, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं:

- पंचायत बिजली की बिक्री से प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करती है।
- इस परियोजना ने एक विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बनाकर पंचायत की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत किया है।
- यह पहल स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देती है।
- पंचायत को ग्रामीण शासन में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के एक मॉडल के रूप में पहचान मिली है।
- परियोजना से प्राप्त राजस्व स्थानीय विकास और सेवा वितरण के पहलों में सहायता करता है।

अनुकरण के लिए सीख

ओदंथुरई पंचायत का अनुभव अन्य स्थानीय सरकारों के लिए बहुमूल्य सीख प्रदान करता है:

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थानीय निकायों के लिए दीर्घकालिक राजस्व सृजन करने वाली परिसंपत्ति के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- पंचायत की बचत को संस्थागत पूंजी (बैंक ऋण) के साथ मिलाकर अवसंरचना में बड़े निवेश संभव हो सकते हैं।
- राज्य की बिजली कंपनियों को बिजली बेचने से स्थिर और पूर्वानुमानित राजस्व प्राप्त होता है।
- पर्यावरण सततता को वित्तीय नियोजन के साथ एकीकृत करने से समुदाय को अनेक लाभ मिल सकते हैं।

निष्कर्ष

ओदंथुरई पंचायत की विंडमिल की पहल यह दर्शाती है कि ग्रामीण स्थानीय सरकारें नवाचारी और टिकाऊ निवेशों के माध्यम से अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों को कैसे मजबूत कर सकती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का लाभ उठाकर, पंचायत ने न केवल अपनी वित्तीय क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास में भी योगदान दिया है। यह मॉडल स्वच्छ ऊर्जा आधारित राजस्व सृजन की क्षमता को उजागर करता है, जिसे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता चाहने वाली अन्य पंचायतें भी अपना सकती हैं।

18. ओएसआर को सुदृढ़ करने के लिए संरचित शासन और सामुदायिक लामबंदी, बुधनूर ग्राम पंचायत, केरल

पृष्ठभूमि

अलाप्पुझा जिले के चेंगन्नूर ब्लॉक में स्थित बुधनूर ग्राम पंचायत संस्थागत तंत्र और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संरचित स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। केरल के अनूपझील से समृद्ध क्षेत्र में स्थित यह पंचायत कृषि और पर्यटन से लाभान्वित होती है, फिर भी इसे कर चोरी और विलंबित भुगतान जैसी विशिष्ट अर्ध-शहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 2016-17 के दौरान, बुधनूर ने कई स्रोतों से महत्वपूर्ण राजस्व जुटाकर मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित किया।



चित्र 24: जल निकाय का जीर्णोद्धार और पर्यटन को बढ़ावा देना

ओएसआर प्रदर्शन (2016-17)

2016-17 के दौरान, बुधनूर ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जुटाया, जिसमें करों के माध्यम से ₹33,43,925 की राशि एकत्र की गई, जो इसके राजस्व आधार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, पंचायत ने किराए से ₹44,700, शुल्क और उपयोग शुल्क से ₹2,50,141, बिक्री और किराये के शुल्क से ₹78,800 और अन्य विविध स्रोतों से ₹25,949 अर्जित किए। इस विविध राजस्व संरचना ने पंचायत को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आवश्यक स्थानीय विकास गतिविधियों और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया।

संस्थागत कार्यनीति

सफलता का एक प्रमुख कारक वित्त स्थायी समिति का गठन था, जिसका उद्देश्य कर देने योग्य व्यक्तियों और व्यापारियों की व्यवस्थित रूप से पहचान करना, डिफॉल्टर्स की सूची तैयार करना और वसूली तंत्र पर सलाह देना था। इस संस्थागत दृष्टिकोण ने जबरदस्ती के उपायों का सहारा लिए बिना जवाबदेही और नियमित निगरानी सुनिश्चित की।

बुधनूर ने घर-घर कर संग्रह के लिए कुडुम्बश्री महिला स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली। उनकी भागीदारी से विश्वास बढ़ा, प्रशासनिक लागत कम हुई और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार हुआ। समय-समय पर कर शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज़ीकरण जैसी सेवाओं का लाभ उठाते हुए आसानी से बकाया भुगतान करने में सुविधा हुई।

पंचायत ने जागरूकता अभियानों को प्रवर्तन के साथ जोड़ा, जिससे स्थानीय राजस्व और स्वच्छता, पेयजल और अवसंरचना के रखरखाव जैसी सार्वजनिक सेवाओं के बीच संबंध मजबूत हुआ।

परिणाम

- ₹33 लाख प्रति वर्ष से अधिक का मजबूत कर संग्रह आधार।
- व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से डिफ़ॉल्टरों से बेहतर वसूली।
- समुदाय आधारित संग्रह तंत्र के कारण स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि।
- स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने वाले विविध गैर-कर राजस्व।

अनुकरणीयता

बुधनूर का मॉडल दर्शाता है कि सुनियोजित वित्तीय निगरानी और सामुदायिक भागीदारी से ओएसआर के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। ग्राम पंचायतें समर्पित वित्त समितियाँ बनाकर, घर-घर जाकर कर संग्रह के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके, समय-समय पर कर शिविरों का आयोजन करके और जागरूकता को सेवा वितरण के साथ एकीकृत करके इस प्रयास का अनुकरण कर सकती हैं। ऐसे उपाय अनुपालन में स्थायी सुधार ला सकते हैं और राजकोषीय स्वायत्तता को मजबूत कर सकते हैं।

निष्कर्ष

बुधनूर ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि संस्थागत अनुशासन और जमीनी स्तर की भागीदारी से स्वयं के राजस्व स्रोत को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है। वित्त समितियों को सशक्त बनाकर और पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल संग्रह के लिए कुडुम्बश्री नेटवर्क का लाभ उठाकर, पंचायत ने जवाबदेही और सामुदायिक विश्वास पर आधारित राजकोषीय शासन का एक स्थायी और अनुकरणीय मॉडल विकसित किया है।

20. 100% ओएसआर आधारित-संग्रहण हेतु प्रोत्साहन (स्वयं के स्रोतों से राजस्व) कर अनुपालन मॉडल, पाटोदा ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र

पृष्ठभूमि

पाटोदा ग्राम पंचायत, जो औरंगाबाद शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 600 परिवारों को सेवाएं प्रदान करती है तथा प्रोत्साहन-आधारित शासन व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण कर अनुपालन का एक आदर्श उदाहरण बनकर सामने आई है। पूर्व में जल-संकट एवं वित्तीय सीमाओं से ग्रस्त यह ग्राम, समय के साथ स्वयं को पक्की सड़कों, स्वच्छता सुविधाओं तथा विश्वसनीय पेयजल प्रणाली से युक्त एक सुविकसित बस्ती के रूप में विकसित कर चुका है। इसका मॉडल, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आइकॉनिक वीक' के दौरान स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) संग्रहण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रथा (Best Practice) के रूप में प्रदर्शित किया गया।



चित्र 25: पाटोदा ग्राम पंचायत


ओएसआरमॉडल और राजस्व आधार

ग्राम पंचायत द्वारा घर/संपत्ति कर का 100% संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष लगभग ₹20 लाख का राजस्व प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक दबाव या सख्ती वाले तरीकों के बजाय, पाटोदा ग्राम पंचायत ने कर भुगतान को सीधे मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ा है, जिससे लोग इसे समुदाय के विकास में निवेश के रूप में देखते हैं।

राजस्व बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत ने निजी ऋण लेकर आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां स्थापित कीं, जैसे:

- आटा चक्की
- आरओ जल संयंत्र

इन निवेशों की राशि को स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व (OSR) के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ही चुका दिया गया।



चित्र 1: ग्राम पंचायत द्वारा की गई पहल

प्रोत्साहन आधारित-कार्यनीति

पाटोदा की सफलता का आधार कर देने वाले परिवारों को मिलने वाले सीधे लाभ हैं:

- 100% कर भुगतान करने वाले परिवारों को आटा चक्की पर साल में एक बार निःशुल्क अनाज पिसाई की सुविधा।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 20 लीटर मुफ्त आरओ पानी उपलब्ध कराने हेतु "वॉटरकार्ड"।
- स्वैच्छिक में सभी बच्चों को गर्म दूध का वितरण, जिससे सामाजिक विश्वास भी मजबूत हुआ है।

साप्ताहिक ग्राम सभा मुख्यालय में तैनात का व्यय किया जाता है तथा खर्च की समीक्षा की जाती है। डिजिटल टूल और वाई-फाई व्यवस्था के माध्यम से समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाता है, जिससे लेनदेन सुनिश्चित होती है।

अतिरिक्त आय के स्रोतों में पंचायत की नमूनों से किराया, ट्रैक्टर सेवाएं, जेरोक्स सुविधा तथा खाद/प्लट की बिक्री शामिल हैं, जिनसे सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष ₹17 लाख से अधिक की आय प्राप्त होती है, जिसे स्थानीय विकास कार्यों में उपयोग किया जाता है।

परिणाम

- संपत्ति कर का 100% संग्रह सुनिश्चित किया गया।
- आधारभूत ढांचे से संबंधित ऋणों का शीघ्र भुगतान किया गया।
- जल, स्वच्छता एवं बच्चों के पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए सतत निधि रहे।
- सेवाओं के प्रभावी और समावेशी वितरण के माध्यम से नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ।

पुनरावृत्ति

पाटोदा का मॉडल यह है कि प्रोत्साहन से जुड़ी व्यवस्था से कर संग्रह में काफी सुधार किया जा सकता है। अन्य ग्राम पंचायतें भी इस तरीके को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं, जैसे—ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना, अधिक आय देने वाली सामुदायिक प्रावधानों (जैसे जल सुविधाएं या आटा चक्की) में निवेश करना, तथा कर भुगतान को सीधे नागरिकों को मिलने वाले लाभों से जोड़ना। साथ ही, खर्च की उचित जानकारी देना और समुदाय के साथ नियमित संवाद बनाए रखना, इस मॉडल को लंबे समय तक सफल बनाए रखने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

पाटोदा ग्राम पंचायत यह कहना है कि जब कर को समुदाय को मिलने वाले बनने से जोड़ा जाता है, तो पूर्ण रूप से कर अनुपालन और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। प्रोत्साहन-आधारित कर संग्रह, आय सृजन करने वाली प्रावधानों के निर्माण तथा सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से पंचायत ने एक प्रमुख ओएसआर (स्वयं के स्रोतों से राजस्व) व्यवस्था विकसित की है, जो विश्वास, जवाबदेही और साझा विकास पर आधारित है।

191. सेवा-आधारित शुल्क संग्रह एवं परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल, धूनी ग्राम पंचायत, राजस्थान

पृष्ठभूमि

टोंक जिले की देवली तहसील स्थित धूनी ग्राम पंचायत में यह प्रावधान है कि अर्ध-शुष्क ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं से जुड़े शुल्क और मानकों के उपयोग से स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) को कैसे मजबूत किया जा सकता है। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को आम तौर पर जिन सीमित संसाधनों की चुनौती का सामना करना पड़ता है, उसके बीच धूनी ग्राम पंचायत ने प्रभावी शुल्क संग्रह और मानकों के व्यावसायिक उपयोग के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला एक व्यवस्थित मॉडल विकसित किया है।

ओएसआरमॉडल

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्रोतों से **प्रतिवर्ष लगभग ₹9.69 लाख** का राजस्व प्राप्त किया जाता है:

1. **सेवा एवं प्रमाण-पत्र शुल्क (मुख्य स्रोत):** जन्म, मृत्यु, जाति, निवास तथा आय प्रमाण-पत्र जारी करने से आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नामांकन, बिजली एवं नल कनेक्शन, राशन कार्ड तथा भवन निर्माण अनुमति से संबंधित शुल्क भी लिया जाता है।
2. **व्यावसायिक पट्टा से आय:** पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग के पास स्थित पेट्रोल पंप, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से वार्षिक शुल्क के रूप में अच्छी आय प्राप्त होती है।
3. **परिसंपत्ति आधारित राजस्व:** दुकानों का किराया, पंचायत भूमि का अस्थायी आवंटन तथा स्थानीय परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।



चित्र 27: राजमार्ग के चित्रात्मक चित्र

मुख्य कार्यनीतियाँ

धूनी ग्राम पंचायत ने संग्रह प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एकीकृत सेवा काउंटर की व्यवस्था शुरू की, जिससे नागरिक एक ही स्थान पर विभिन्न प्रमाण-पत्र और अनुमतियां प्राप्त कर सकते हैं। इस समेकित सेवा मॉडल से सुविधा बढ़ी और शुल्क से बचने की प्रवृत्ति में कमी आई।

ग्राम पंचायत ने निष्क्रिय पड़ी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करते हुए दुकानों को लीज पर दिया तथा भूमि का अस्थायी आवंटन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया, जिससे बाजार दर के अनुसार आय सुनिश्चित हुई। राजमार्ग के पास स्थित संपत्तियों, जैसे पेट्रोल पंप और खान-पान से जुड़े प्रतिष्ठानों, से भी अधिक किराया प्राप्त करने के लिए उनका प्रभावी उपयोग किया गया।

वार्षिक लेखा-परीक्षण और जन-जागरूकता शिविरों के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा मिला, जबकि सड़कों, जल आपूर्ति और स्वच्छता में किए गए कार्यों से समुदाय का विश्वास मजबूत हुआ।

पुनरावृत्ति

धूनी का मॉडल यह बताता है कि पंचायत की नमूनों की सही पहचान और सेवा-आधारित शुल्क व्यवस्था को एक साथ लागू करने से स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) में काफी वृद्धि की जा सकती है। अन्य ग्राम पंचायतें भी इस तरीके को अपना सकती हैं, जैसे—प्रमाण-पत्र सेवाओं का डिजिटलीकरण, एकल खिड़की (सिंगल विंडो) शिविरों के माध्यम से विभिन्न अनुमतियों को एक साथ उपलब्ध कराना, तथा व्यावसायिक रूप से उपयोगी नमूनों को उचित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देना। राजस्व को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले विकास कार्यों से जोड़ने पर लोगों की स्वेच्छा से भुगतान करने की प्रवृत्ति और वित्तीय आत्मनिर्भरता दोनों में सुधार होता है।

निष्कर्ष

धूनी ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि व्यवस्थित सेवा शुल्क और परिसंपत्तियों के सही उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के स्रोतों से राजस्व को काफी बढ़ाया जा सकता है। नागरिक सेवाओं को पारदर्शी तरीके से व्यावसायिक उपयोग के साथ जोड़ते हुए तथा बुनियादी ढांचे में स्पष्ट निवेश के माध्यम से पंचायत ने वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक टिकाऊ और अन्यत्र लागू किए जा सकने वाला मॉडल विकसित किया है।

22. सतत ओएसआरके लिए सामुदायिक अवसंरचना मुद्रीकरण मॉडल, हसनामपेट ग्राम पंचायत, तमिलनाडु

पृष्ठभूमि

तिरुवन्नामलाई जिले के चेय्यर तालुक में स्थित हसनमापेट ग्राम पंचायत यह कार्यभार है कि सार्वजनिक आधारभूत ढांचे को कैसे स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) के एक विशिष्ट माध्यम में बदला जा सकता है। तिरुवेथिपुरम नगर से लगभग 12 किमी दूरी पर स्थित यह पंचायत अर्ध-शहरी क्षेत्र में आती है तथा सड़क और रेल संपर्क अच्छा होने के कारण सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उपयुक्त है।

ओएसआर मॉडल

ग्राम पंचायत मुख्य रूप से अपने सामुदायिक भवन को प्रति कार्यक्रम ₹7,500 के किराये पर देकर प्रतिवर्ष लगभग ₹3.75 लाख का राजस्व प्राप्त करती है। वर्ष में लगभग 50 बुकिंग जैसे विवाह, बैठकें और अन्य सामाजिक कार्यक्रम होने के कारण यह भवन नियमित आय का एक भरोसेमं (द स्रोत बना हुआ है।

हाय से प्राप्त आय का उपयोग भवन के रख-रखाव, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा समय-समय पर किए गए सुधार कार्यों में किया जाता है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है और बार-बार बुकिंग होती है। बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं हाय में ही शामिल हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलती है और अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती।

मुख्य कार्यनीतियां

- स्थानीय लोगों की क्षमता के अनुसार प्रतिस्पर्धी किराया तय करना, ताकि अधिक से अधिक बुकिंग हो सके।
- स्थानीय नेटवर्क और डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रचार-प्रसार कर बुकिंग बढ़ाना।
- स्वयंसेवकों और समुदाय की भागीदारी से कम लागत में सुविधाओं का रख-रखाव करना।
- प्राप्त आय को दिखाई देने वाले सुधार कार्यों में पुनर्निवेश करना, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता है।

यह स्व-टिकाऊ व्यवस्था ग्राम पंचायत को अनुदानों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है और आवश्यक नागरिक सेवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है।



चित्र 28: नीति आयोग से संदर्भ चित्र

पुनर्वाृत्ति

हसनमापेट का मॉडल यह बताता है कि टैंक-आधारित ओएसआर रणनीतियों में काफी बढ़ते हैं। अन्य ग्राम पंचायतें भी इस तरीके को अपना सकती हैं, जैसे—अधिक मांग वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भवन का निर्माण या समेकित करना, उपयोगकर्ता शुल्क को स्थानीय स्तर के अनुसार तय करना, तथा रख-रखाव और लेखा व्यवस्था को समायोजित रखना। उचित शुल्क देय और आय का स्पष्ट रूप से फिर से निवेश करने पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थिर गैर-कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हसनमापेट ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि सार्वजनिक आधारभूत ढांचे का सही उपयोग कर एक भरोसेमंद और टिकाऊ ओएसआर स्रोत विकसित किया जा सकता है। समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और पारदर्शी तरीके से आय का पुनर्निवेश करते हुए पंचायत ने वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक सरल और प्रभावी मॉडल तैयार किया है, जिसे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।

23. सतत परिसंपत्ति आधारित ओएसआर के लिए वाणिज्यिक दुकान पट्टा मॉडल- थोगैमलाई ग्राम पंचायत, तमिलनाडु

पृष्ठभूमि

करूर जिले की थोगैमलाई ग्राम पंचायत सतत स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) के लिए परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग का एक अच्छा उदाहरण बनकर उभरी है। तमिलनाडु के कपड़ा और व्यापार क्षेत्र में, करूर नगर के पास स्थित होने के कारण इस पंचायत को बढ़ती अर्ध-शहरी व्यावसायिक मांग का लाभ मिलता है। कराधान पर अधिक निर्भर रहने के बजाय, थोगैमलाई ने व्यावसायिक ढांचे का सही उपयोग कर एक नियमित और भरोसेमंद राजस्व आधार तैयार किया है।

ओएसआर मॉडल

ग्राम पंचायत द्वारा 20 व्यावसायिक दुकानों के किराये से प्रतिवर्ष लगभग ₹24 लाख का राजस्व प्राप्त होता है, जो प्रति दुकान औसतन ₹1.2 लाख प्रतिवर्ष है। इन दुकानों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे बाजार दर के अनुसार किराया सुनिश्चित होता है और खाली रहने की संभावना कम रहती है।



चित्र 29: इंटरनेट से लिया गया सांकेतिक चित्र

किराये से प्राप्त आय का एक हिस्सा (लगभग 10-15%) नियमित रख रखाव और छोटे मरम्मत कार्यों के लिए निर्धारित किया जाता है, जिससे परिसंपत्तियों का मूल्य बना रहता है और लंबे समय तक उनका उपयोग सुनिश्चित होता है।

मुख्य कार्यनीतियां

- **नीलामी आधारित पट्टा:** खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बाजार के अनुसार उचित किराया तय होता है और पारदर्शिता बनी रहती है।

- **कम समय के लिए नवीकरणीय अनुबंध (1-3 वर्ष):**समय-समय पर किराये में 5-10% तक वृद्धि कर महंगाई के अनुसार समायोजन किया जाता है।
- **नागरिक सेवाओं में पुनर्निवेश:**किराये से प्राप्त आय का उपयोग सड़कों, स्वच्छता और जल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाता है, जिससे भरोसेमंद किरायेदार आकर्षित होते हैं।
- **कम वेकेंसी प्रबंधन:**व्यावसायिक क्षेत्रों के पास स्थित होने के कारण दुकानों की मांग लगातार बनी रहती है।

यह व्यवस्थित तरीका पंचायत के लिए एक नियमित गैर-कर राजस्व स्रोत तैयार करता है, जिससे वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है।

पुनर्वावृत्ति

थोगैमलाई का मॉडल यह बताता है कि पंचायत की भूमि का सही आकलन कर बाजार या परिवहन मार्गों के पास स्थित व्यावसायिक रूप से उपयोगी स्थानों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। अन्य ग्राम पंचायतें भी दुकानों का निर्माण कर, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया अपनाकर तथा रख-रखाव के लिए राशि निर्धारित कर इस मॉडल को अपना सकती हैं। परिसंपत्ति-आधारित व्यावसायिक लीज के माध्यम से कम समय में ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है और करों पर निर्भरता कम की जा सकती है।

निष्कर्ष

थोगैमलाई ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों की व्यवस्थित व्यावसायिक लीज से पर्याप्त और टिकाऊ स्वयं के स्रोतों से राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। पारदर्शी नीलामी, समय-समय पर किराये में संशोधन तथा स्थानीय बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश के माध्यम से पंचायत ने एक मजबूत वित्तीय मॉडल विकसित किया है, जो आवश्यक सेवाओं को समर्थन देने के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

24. ओएसआर को सुदृढ़ करने हेतु सार्वजनिक परिसंपत्ति विकास एवं मुद्रीकरण मॉडल, खोवाई पंचायत समिति, त्रिपुरा

पृष्ठभूमि

खोवाई जिले की खोवाई पंचायत समिति सार्वजनिक साक्ष्य के कार्यनीति विकास के माध्यम से स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) बढ़ाने का एक नवीनी मध्य-स्तरीय मॉडल प्रस्तुत करती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 9-10 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। सीमित आधारभूत वाले पूर्वी क्षेत्र में कार्य करते हुए, पंचायत समिति ने अनुपयोगी और कम उपयोग में आने वाली साक्ष्य को आय देने वाले सामुदायिक परिवेश में बदल दिया। इसके प्रयासों को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर डीडीयूपीएसपी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।



चित्र 30: खोवाई पंचायत समिति, त्रिपुरा द्वारा की गई पहलें

ओएसआर मॉडल

पंचायत समिति ने विभिन्न परिसंपत्तियों के विकास और उपयोग के माध्यम से अपने विविध गैर-कर राजस्व स्रोत बनाए: (i) **पार्क**: प्रवेश शुल्क और पिकनिक शुल्क के माध्यम से नियमित आय प्राप्त होती है। (ii) **बाजार स्टॉल**: दुकानों के आवंटन से मासिक किराये के रूप में आय मिलती है। (iii) **सामुदायिक भवन**: कार्यक्रमों की बुकिंग से समय-समय पर आय प्राप्त होती है। (iv) **मत्स्य पालन**: तालाबों का वार्षिक पट्टा और नीलामी के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित की जाती है। (v) **आम बागान**: मौसमी रूप से फलों की बिक्री से आय प्राप्त होती है। क्षेत्र की कृषि और जल आधारित भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाते हुए, समिति ने स्थान के अनुसार परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया।

मुख्य कार्यनीतियां

प्रारंभिक निवेश के माध्यम से अनुपयोगी भूमि को उपयोगी साक्ष्य में बदला गया। कम लागत में पार्क विकसित किए गए और उनकी वहनीयता बनाए रखा हुए नाममात्र का प्रवेश शुल्क रखा गया, जिससे

आय भी सुनिश्चित हो सके। मत्स्य पालन और बागवानी को प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से ठिकानों पर देकर बाजार दर के अनुसार आय प्राप्त की गई।

प्राप्त राजस्व का उपयोग व्यवस्थित रूप से रख-रखाव, विस्तार और स्थानीय विकास कार्यों में किया जाता है, जिससे परिसंपत्तियों का निरंतर उपयोग बना रहता है। स्थायी समितियों द्वारा पारदर्शी लेखा और वित्तीय निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

पुनर्वावृत्ति

खोवाई का मॉडल यह दर्शाता है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विकास से बिना कर बढ़ाए भी ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें इस तरीके को अपनाते हुए अनुपयोगी भूमि की पहचान कर सकती हैं, कम लागत वाली उपयोगी या मनोरंजन संबंधी परिसंपत्तियां विकसित कर सकती हैं तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया अपना सकती हैं। स्थान के अनुसार योजना बनाना—जैसे नदी क्षेत्रों में मत्स्य पालन या कृषि क्षेत्रों में बागवानी—आय को बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

खोवाई पंचायत समिति यह दर्शाती है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों का सुनियोजित विकास और उनका प्रभावी उपयोग कर टिकाऊ गैर-कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश और पारदर्शी प्रबंधन के माध्यम से पंचायत समिति ने वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक मजबूत और स्थायी मॉडल विकसित किया है।

25. "पर्यटन से जुड़ा संपत्ति कर सुधार मॉडल कुमिली -, केरल

पृष्ठभूमि

केरल के इडुक्की जिले के अज़ूथा तालुक में स्थित कुमिली ग्राम पंचायत सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है और पेरियार टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है। यहां तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का मौसमी आगमन काफी अधिक रहता है, जिससे विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।

इसके बावजूद, 2000 के दशक के मध्य तक रिसॉर्ट और होटलों पर संपत्ति कर का सही आकलन न होने के कारण स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) अपेक्षाकृत कम था। इस कमी को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायत ने कर व्यवस्था को वास्तविक व्यावसायिक मूल्य के अनुरूप बनाने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्थित सुधार प्रक्रिया शुरू की।



चित्र 31: स्रोत इंटरनेट से लिया गया सांकेतिक चित्र-

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठानों के वर्तमान किराया मूल्य के अनुसार संपत्ति कर का सही निर्धारण करना, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कर एवं गैर-कर राजस्व बढ़ाना, तथा स्वच्छता, आधारभूत ढांचे और पर्यटन से संबंधित सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने की पंचायत की क्षमता को मजबूत करना था।

संस्थागत एवं नियामक ढांचा

वर्ष 2005 के बाद, वित्त स्थायी समिति ने केरल पंचायत राज नियम (नियम 11) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए रिसॉर्ट और होटलों के संपत्ति कर का स्वतः पुनर्निर्धारण किया। संशोधित आकलन के प्रस्ताव के साथ विधिसम्मत नोटिस जारी किए गए, जो किराया मूल्य के आधार पर तय किए गए थे।

शुरुआत में हितधारकों द्वारा कुछ विरोध किया गया, जिसे विचार-विमर्श, सुनवाई और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया गया। इससे ऐसा समाधान निकला जिसमें नियमों का पालन भी सुनिश्चित हुआ और व्यवसायिक दृश्यता भी संतुलित रहा।

राजस्व प्रदर्शन

इस सुधार के परिणामस्वरूप स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हस्तक्षेप से पहले, वर्ष 2004-05 के दौरान, पंचायत का वार्षिक OSR लगभग ₹30 लाख था। प्राधिकृत संपत्ति कर व्यवस्था लागू होने के पांच वर्षों के भीतर, **वर्ष 2009-10 तक यह बढ़कर ₹1.3 करोड़** से अधिक हो गया, जो लगभग 4.5 गुना वृद्धि परिलक्षित है।

इस निरंतर वृद्धि से ग्राम पंचायत को एक स्थिर राजस्व आधार मिला, जिससे नियमित व्यय को पूरा करने और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं में सुधार करने में सहायता मिली।

अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां

- कर संशोधन की कानूनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हितधारकों के साथ संवाद स्थापित किया गया, जिससे निष्पक्षता और अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
- पर्यटन क्षेत्र में प्रचलित उच्च किराया मूल्यों के अनुसार संपत्ति कर दरों का निर्धारण किया गया।
- जागरूकता बढ़ाने और सहमति बनाने के प्रयासों से विरोध को कम किया गया। बढ़े हुए राजस्व का उपयोग स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई में सुधार के लिए किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला।
- विनियमित पर्यटन सेवाओं से जुड़े अतिरिक्त गैर-कर राजस्व स्रोतों का भी पता लगाया गया।

प्रभाव

इस पहल से पंचायत की वित्तीय स्थिति और सेवा प्रदान करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई में सुधार से आने वाले पर्यटकों का अनुभव बेहतर हुआ, साथ ही स्थानीय उत्पादों जैसे सब्जियां और मसालों की मांग बढ़ने से स्थानीय लोगों को भी लाभ मिला। इस सुधार से स्थानीय कर व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुपालन की संस्कृति भी विकसित हुई।

सफलता के मुख्य कारक

वित्त स्थायी समिति का मजबूत नेतृत्व, कानूनी प्रावधानों का पारदर्शी उपयोग, पर्यटन से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार संवाद, तथा राजस्व का सार्वजनिक सेवाओं में स्पष्ट रूप से पुनर्निवेश—ये सभी इस पहल की सफलता के प्रमुख कारण रहे।

पुनर्वावृत्ति

कुमिली केस का यह उदाहरण दिखाता है कि पर्यटन वाले क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय-समय पर आकलन कर, कर दरों को बाजार मूल्य के अनुसार अधिग्रहण कर तथा राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाकर ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं। यह तरीका विशेष रूप से तीर्थ स्थलों, इको-टूरिज्म क्षेत्रों और पहाड़ी स्थानों के लिए उपयोगी है, जहां मौसमी रूप से लोगों की संख्या बढ़ती रहती है।

निष्कर्ष

कुमिली ग्राम पंचायत द्वारा किया गया पर्यटन-आधारित संपत्ति कर सुधार उच्च पर्यटन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ओएसआर बढ़ाने का एक प्रभावी और अपनाये योग्य मॉडल प्रस्तुत करता है। कानूनी प्रावधानों के उपयोग, हितधारकों के साथ संवाद और सेवाओं में पुनर्निवेश के माध्यम से पंचायत ने दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि हासिल की है, साथ ही स्थानीय शासन की गुणवत्ता में भी सुधार किया है।

26. "व्यापक परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल – धर्मज, गुजरात

पृष्ठभूमि

धरमज ग्राम पंचायत, गुजरात के आनंद जिले के पेटलाद तालुका में स्थित है और लगभग 1,444.93 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। यह गांव गुजरात के समृद्ध कृषि क्षेत्र में आता है, जहां डेयरी गतिविधियों के साथ-साथ तंबाकू, धान और केला जैसी फसलों की खेती होती है।

धरमज अपनी मजबूत सामुदायिक संस्थाओं और विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRI), विशेषकर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसे लोगों के सहयोग के लिए भी जाना जाता है। इस सामाजिक और आर्थिक मजबूती का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत ने आय देने वाली कई परिसंपत्तियां विकसित की हैं, जिससे यह देश की सबसे अधिक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों में शामिल हो गई है।

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता विकसित करना।
- स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) बढ़ाकर राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भरता कम करना।
- परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में शहरी स्तर की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- परिसंपत्तियों के संचालन और रख-रखाव के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना।

स्थानीय आर्थिक एवं संस्थागत संदर्भ

धरमज, गुजरात के डेयरी क्षेत्र में स्थित है, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, जिसमें लगभग 70 निजी ट्यूबवेल और कई गांव के तालाब शामिल हैं। गांव में मजबूत वित्तीय और सामाजिक संस्थाएं भी हैं, जैसे एक दर्जन से अधिक बैंकिंग सुविधाएं, एक सहकारी बैंक, **जलाराम ट्रस्ट** द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाएं तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHGs) का सक्रिय नेटवर्क।

विदेश में बसे भारतीयों (NRI) के मजबूत सहयोग ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रारंभिक पूंजी और संस्थागत सहयोग मिलने से ग्राम पंचायत ने एक बार की कल्याणकारी योजनाओं के बजाय आय देने वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियां विकसित करने पर ध्यान दिया।

ओएसआर मॉडल एवं राजस्व स्रोत

धरमज ग्राम पंचायत द्वारा 20 से अधिक परिसंपत्तियों के माध्यम से **प्रतिवर्ष लगभग ₹3 करोड़** का स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) प्राप्त किया जाता है। इनमें मोबाइल टावर, बाजार की दुकानें और गोदाम, चारागाह भूमि (गौचर), सार्वजनिक पार्क, विवाह स्थल/हॉल, ट्यूबवेल, तालाब तथा अन्य सेवा-आधारित परिसंपत्तियां शामिल हैं।

राजस्व प्राप्ति के लिए वार्षिक किराया, पट्टा शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क का मिश्रित तरीका अपनाया जाता है। मोबाइल टावर, दुकानें और गोदाम जैसी व्यावसायिक परिसंपत्तियां नियमित किराये से स्थिर आय देती हैं। वहीं पार्क (जहां बोटिंग और स्विमिंग की सुविधा है), विवाह स्थल और हॉल जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों से कार्यक्रमों और उपयोग शुल्क के रूप में आय प्राप्त होती है। कृषि और उपयोगिता से

जुड़ी परिसंपत्तियां, जैसे चारागाह, तालाब और ट्यूबवेल, लीज और बिक्री के माध्यम से आय प्रदान करती हैं।



चित्र 32: धर्मज, गुजरात द्वारा की गई पहलें

विशेष बात यह है कि ग्राम पंचायत चारागाह (गौचर) भूमि से प्रबंधित घास उत्पादन और फलदार पेड़ों के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹25 लाख से अधिक की आय प्राप्त करती है। इस व्यवस्था के तहत लगभग 400 परिवारों को प्रतिदिन कम लागत पर चारा और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं।

शासन एवं प्रबंधन ढांचा

ग्राम पंचायत ने बंजर भूमि प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और परिसंपत्तियों के रख-रखाव जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया है। ये समितियां कार्यों की निगरानी, उपयोग शुल्क तय करने और परिसंपत्तियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाती हैं।

प्रत्येक परिसंपत्ति से संबंधित स्वामित्व, स्थिति, रख-रखाव और आय का विवरण एक सुव्यवस्थित रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और राजस्व में होने वाली कमी पर नियंत्रण रहता है। पंचायत के स्वामित्व वाले उपकरण—जैसे ट्रैक्टर, जनरेटर, जल निकासी और सड़क रख-रखाव मशीनें, एम्बुलेंस तथा सेवा केंद्र—का भी निर्धारित शुल्क के आधार पर उपयोग कर आय प्राप्त की जाती है।

अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां

- **परिसंपत्तियों का विविधीकरण:** अलग-अलग प्रकार की आय देने वाली परिसंपत्तियों का विकास कर वित्तीय जोखिम को कम किया गया।
- **समिति आधारित प्रबंधन:** अलग-अलग समितियों के माध्यम से बेहतर निगरानी और कार्यकुशलता सुनिश्चित की गई।

- **कम लागत में आय सृजन:** चारागाह और तालाब जैसी प्राकृतिक परिसंपत्तियों का उपयोग कर कम खर्च में आय प्राप्त की गई।
- **एनआरआई भागीदारी मॉडल:** प्रवासी भारतीयों के सहयोग को प्रारंभिक निवेश के रूप में उपयोग कर स्थायी आय देने वाली परिसंपत्तियां विकसित की गईं।
- **पारदर्शिता और अभिलेखन:** परिसंपत्ति रजिस्टर का नियमित अद्यतन और आय के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक करना।

प्रभाव

परिसंपत्तियों के इस प्रभावी उपयोग से धर्मज ग्राम पंचायत शहरी निकायों के समान उच्च गुणवत्ता की नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हुई है। बढ़े हुए राजस्व के माध्यम से जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क रख-रखाव, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सामुदायिक सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इस मॉडल से पंचायत पर वित्तीय दबाव भी कम हुआ है और दीर्घकालिक योजना बनाने की क्षमता मजबूत हुई है।

सफलता के मुख्य कारक

मजबूत संस्थागत क्षमता, परिसंपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखन, समुदाय का विश्वास, एनआरआई का सक्रिय सहयोग तथा राजस्व का नियमित रूप से रख-रखाव और सेवाओं में पुनर्निवेश—ये सभी धर्मज मॉडल की सफलता के प्रमुख आधार रहे हैं।

पुनर्वाप्ति

धर्मज का अनुभव यह दर्शाता है कि विशेष रूप से कृषि समृद्ध या एनआरआई सहयोग वाले क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें निम्नलिखित उपायों के माध्यम से ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं:

- पंचायत की भूमि और परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची तैयार करना।
- कम निवेश में अधिक आय देने वाली परिसंपत्तियों (जैसे चारागाह, तालाब, किराये की संपत्तियां) का विकास करना।
- परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशेष समितियों का गठन करना।
- प्रारंभिक निवेश के लिए प्रवासी भारतीयों या सामुदायिक संस्थाओं के सहयोग का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

धर्मज ग्राम पंचायत का समग्र परिसंपत्ति उपयोग मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक मजबूत और अपना योग्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। विविध परिसंपत्तियों के विकास, प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था और समुदाय तथा एनआरआई सहयोग के माध्यम से पंचायत ने एक स्थायी ओएसआर व्यवस्था विकसित की है, जो आर्थिक मजबूती के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करती है।

27. "प्लास्टिक अपशिष्ट सर्कुलर अर्थव्यवस्था एवं ओएसआर मॉडल प –ंजमपट्टी, तमिलनाडु

पृष्ठभूमि

पनजमपट्टी ग्राम पंचायत (जिसे एन. पनजमपट्टी भी कहा जाता है) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के डिंडीगुल तालुक में स्थित है। यह पंचायत लगभग 722.76 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और यहां लगभग 6,393 की आबादी, करीब 1,667 परिवारों में निवास करती है। लगभग 78.55 प्रतिशत साक्षरता दर के कारण यहां समुदाय की अच्छी भागीदारी देखने को मिलती है, जिसने अपशिष्ट प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने के नए प्रयासों को संभव बनाया है।

डिंडीगुल शहर के पास स्थित होने के कारण यहां प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। इस चुनौती को अवसर के रूप में लेते हुए, ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक प्रसंस्करण पर आधारित 'कचरे से संसाधन' (Waste-to-Wealth) मॉडल अपनाया, जिससे स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) को मजबूत किया जा सके।

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- प्लास्टिक कचरे को ग्राम पंचायत के लिए स्थायी आय के स्रोत में बदलना।
- प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित संग्रह और प्रसंस्करण के माध्यम से सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण प्रदूषण और लैंडफिल पर निर्भरता को कम करना।
- स्थानीय स्तर पर प्राप्त राजस्व को नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे में पुनर्निवेश करना।

स्थानीय एवं जनसांख्यिकीय संदर्भ

पनजमपट्टी में प्रति हेक्टेयर लगभग 9 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व है और लैंगिक संतुलन भी अच्छा है। अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता दर के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कचरे के पृथक्करण तथा संग्रह में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है। डिंडीगुल शहर के पास होने से एक ओर प्लास्टिक कचरे की नियमित उपलब्धता रहती है, वहीं दूसरी ओर प्रसंस्कृत सामग्री के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच भी आसान रहती है।

ओएसआर मॉडल एवं राजस्व तंत्र

पनजमपट्टी ग्राम पंचायत के लिए स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) का मुख्य स्रोत एक प्लास्टिक श्रेडिंग यूनिट है, जिसे पंचायत स्तर के एक संघ के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग किया गया प्लास्टिक कचरा एकत्र कर इस यूनिट तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे छोटे टुकड़ों (श्रेडेड प्लास्टिक) में बदला जाता है। तैयार सामग्री को प्रति किलोग्राम के आधार पर संघ को बेचा जाता है, जिससे **प्रतिवर्ष लगभग ₹22 लाख का राजस्व प्राप्त होता है।**

इस मॉडल को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यवस्थित बायबैक नीति लागू की गई है, जिसके तहत घरों और स्थानीय स्थापनाओं को प्लास्टिक कचरा वापस देने पर भुगतान किया जाता है। इससे कच्चे माल की

नियमित उपलब्धता बनी रहती है और लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। यह श्रेडिंग यूनिट कम लागत में संचालित होने वाला एक स्व-टिकाऊ उद्यम है।



चित्र 33: पंचायत में स्थापित श्रेडिंग मशीन

संस्थागत एवं संचालन रणनीति

ग्राम पंचायत ने संघ-आधारित संचालन व्यवस्था अपनाई है, जिसमें श्रेडिंग यूनिट का नियमित रूप से संचालन पंचायत स्तर के संघ द्वारा किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत निगरानी और नियंत्रण की भूमिका निभाती है। इस प्रकार शासन और संचालन को अलग रखने से कार्यकुशलता और जवाबदेही दोनों में सुधार हुआ है।

प्रसंस्कृत प्लास्टिक की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे, सड़क रख-रखाव और अन्य बुनियादी सेवाओं में पुनर्निवेश किया जाता है। साफ-सफाई और सेवाओं में दिखाई देने वाले सुधार से लोगों की भागीदारी और भी बढ़ी है, विशेषकर बायबैक प्रणाली में।

अपनाई गई मुख्य रणनीतियां

- **संघ आधारित उद्यम मॉडल:** संचालन की जिम्मेदारी पंचायत स्तर के समिति को देकर पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- **प्लास्टिक बायबैक प्रणाली:** प्लास्टिक कचरा वापस देने पर प्रोत्साहन देकर कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
- **सर्कुलर अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण:** संग्रह, प्रसंस्करण और बिक्री को एक ही प्रणाली में जोड़कर बंद चक्र मॉडल अपनाया गया।

- **सार्वजनिक सेवाओं में पुनर्निवेश:** ओएसआर का उपयोग बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सुधार में समुदाय का विश्वास मजबूत किया गया।

प्रभाव

इस पहल से पनजमपट्टी ग्राम पंचायत को एक स्थिर गैर-कर राजस्व स्रोत प्राप्त हुआ है, साथ ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान हुआ है। इस मॉडल से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई है, कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण को बढ़ावा मिला है तथा स्थानीय विकास के लिए पंचायत की वित्तीय क्षमता मजबूत हुई है।

सफलता के मुख्य कारक

- समुदाय में उच्च स्तर की जागरूकता और भागीदारी।
- संघ के माध्यम से प्रभावी संस्थागत व्यवस्था।
- प्रसंस्कृत प्लास्टिक के लिए शहरी बाजारों की निकटता।
- पर्यावरण सुधार और राजस्व सृजन के बीच मजबूत संबंध।

पुनर्वावृत्ति

पनजमपट्टी का मॉडल यह दर्शाता है कि अर्ध-शहरी और शहरीकरण की ओर बढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण को ओएसआर कार्यनीति के रूप में सफलतापूर्वक अपना सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है—समुदाय की भागीदारी, प्रसंस्कृत प्लास्टिक की सुनिश्चित मांग, तथा शासन और संचालन के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने वाली संस्थागत व्यवस्था।

निष्कर्ष

पनजमपट्टी ग्राम पंचायत का प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थायी राजस्व सृजन का एक प्रभावी और अपनाने योग्य उदाहरण है। संघ-आधारित संचालन और बायबैक प्रणाली के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को आर्थिक संसाधन में बदलकर पंचायत ने पर्यावरणीय सुधार के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत किया है।

28. "विविध परिसंपत्तिबोनाईगढ़ – आधारित ओएसआर मॉडल-, ओडिशा

पृष्ठभूमि

बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बोनाईगढ़ ब्लॉक में स्थित है और ब्लॉक मुख्यालय के निकट कार्य करती है। यह पंचायत लगभग 1,047.84 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है तथा लगभग 10,162 की आबादी, 2,457 परिवारों में निवास करती है। यह क्षेत्र एक संक्रमण क्षेत्र है, जहां जनजातीय कृषि आधारित आजीविका के साथ-साथ सुंदरगढ़ क्षेत्र के औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्रों के निकट होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं।

वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और बाहरी अनुदानों पर निर्भरता कम करने के लिए ग्राम पंचायत ने अपनी परिसंपत्तियों के सुनियोजित विकास और उपयोग पर आधारित एक विविध ओएसआर (स्वयं के स्रोतों से राजस्व) कार्यनीति अपनाई।

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- परिसंपत्ति-आधारित राजस्व सृजन के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना।
- नागरिक सुविधाओं को आय देने वाली परिसंपत्तियों में बदलना।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी सहित समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- ओएसआर को सार्वजनिक ढांचे और सेवाओं में पुनर्निवेश करना।

स्थानीय एवं आर्थिक संदर्भ

ब्लॉक मुख्यालय के पास होने के कारण बोनाईगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के भीतर ही शहरी जैसी व्यावसायिक मांग विकसित हुई है। कृषि अभी भी महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है, लेकिन बाजार, सेवाओं और मनोरंजन के लिए बढ़ती आवाजाही ने ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किराया, नीलामी और उपयोग शुल्क के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किए हैं।

ओएसआर मॉडल एवं राजस्व प्रदर्शन

बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत विभिन्न परिसंपत्तियों और उपयोग शुल्क के माध्यम से **प्रतिवर्ष लगभग ₹27.40 लाख का राजस्व प्राप्त करती है।**

राजस्व का प्रमुख हिस्सा पंचायत के स्वामित्व वाले 20 बाजार परिसरों से आता है, जिनमें कुल 262 दुकानें हैं। इन दुकानों से लगभग ₹2.27 लाख प्रति माह, यानी करीब ₹27.24 लाख प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है। इनमें से 8 दुकानें मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गई हैं, जिससे आय के साथ-साथ आजीविका को भी बढ़ावा मिलता है।

साप्ताहिक हाट भी एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। हाट की नीलामी से प्राप्त आय में लगातार वृद्धि हुई है—जो वर्ष 2020–21 में ₹5.50 लाख से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹7.81 लाख हो गई। इसी प्रकार,

राजस्व में वृद्धि को ओएसआर के पुनर्निवेश के माध्यम से परिसंपत्तियों के विस्तार से बढ़ावा मिला है। पंचायत द्वारा अपनी आय से चार बाजार परिसरों का निर्माण किया गया, जिससे किराये से मिलने वाली आय में लगातार वृद्धि हुई। हाट और तालाबों के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और अधिकतम आय सुनिश्चित होती है। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने और बोलीदाताओं की रुचि बढ़ाने के लिए हाल ही में हाट के रख-रखाव पर लगभग ₹6.5 लाख खर्च किए गए हैं।

कोविड-19 अवधि के दौरान, लोगों को राहत देने के लिए जल शुल्क अस्थायी रूप से माफ किया गया था, जिसे बाद में संतुलित तरीके से पुनः लागू किया गया। दुकानों का आवंटन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को देकर इस मॉडल में समावेशिता भी सुनिश्चित की गई है।

ओएसआर का उपयोग

ओएसआर से प्राप्त राजस्व का उपयोग निम्न कार्यों में किया गया है:

- सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण एवं रख-रखाव।
- पार्कों और सार्वजनिक स्थलों का विकास एवं देखभाल।
- श्मशान घाट की सुविधाओं और सोक पिट में सुधार।
- बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।

बुनियादी ढांचे में हुए इन स्पष्ट सुधारों से लोगों में उपयोग शुल्क और किराये के भुगतान के प्रति विश्वास और अनुपालन बढ़ा है।

अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां

- **विस्तार आधारित परिसंपत्ति विकास:** ओएसआर का उपयोग कर बाजार परिसरों का विस्तार, जिससे नियमित किराये की आय बढ़ी।
- **प्रभावी नीलामी व्यवस्था:** हाट और तालाबों के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित की गई।
- **राजस्व का विविधीकरण:** किराया, नीलामी और उपयोग शुल्क के संयोजन से आय को स्थिर बनाया गया।
- **समावेशी आवंटन:** महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यावसायिक स्थान आरक्षित किए गए।
- **सेवा और शुल्क का संबंध:** राजस्व को सीधे स्थानीय सुविधाओं में पुनर्निवेश कर विश्वास बढ़ाया गया।

प्रभाव

परिसंपत्तियों के इस विविध उपयोग से बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर आधारभूत ढांचे का विकास करने और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता मिली है। पंचायत ने एक स्थिर ओएसआर आधार तैयार किया है, जिससे नियमित सेवाओं के साथ-साथ विकास कार्यों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

मुख्य सफलता के कारक

- प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्रों के निकट होने का लाभ।
- पंचायत परिसंपत्तियों की व्यवस्थित पहचान और उपयोग।
- पारदर्शी नीलामी और किराया व्यवस्था।
- राजस्व सृजन के साथ सामाजिक समावेश पर संतुलित ध्यान।

पुनर्वावृत्ति

बोनाईगढ़ का मॉडल यह दर्शाता है कि विशेष रूप से ब्लॉक मुख्यालय या औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित ग्राम पंचायतें परिसंपत्तियों के विकास और प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल कर सकती हैं। बाजार परिसर, हाट, तालाब और उपयोग शुल्क आधारित सेवाएं—पारदर्शी व्यवस्था और पुनर्निवेश के साथ—आसानी से अपनाई जा सकती हैं।

निष्कर्ष

बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत का विविध परिसंपत्ति-आधारित ओएसआर मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक मजबूत उदाहरण है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यवस्थित रूप से आय के स्रोत में बदलकर और उस आय को दिखाई देने वाली सेवाओं में पुनर्निवेश कर पंचायत ने एक टिकाऊ और समावेशी शासन मॉडल विकसित किया है, जिसे अन्य समान क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।

29. पेरी-अर्बन कमर्शियल टैंक-संचालित ओएसआर मॉडल-अज़ारा, असम

पृष्ठभूमि

अज़ारा ग्राम पंचायत, असम के कामरूप जिले के कमलपुर ब्लॉक में स्थित है और राज्य की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है। यह पंचायत लगभग 26,815 की आबादी, 3,237 परिवारों में सेवाएं प्रदान करती है।

अर्ध-शहरी स्वरूप और प्रमुख परिवहन सुविधाओं के निकट होने के कारण, अज़ारा ग्राम पंचायत लगातार स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) जुटाने में सफल रही है। इसका अनुभव यह दर्शाता है कि व्यावसायिक परिसंपत्तियों से प्राप्त गैर-कर राजस्व के माध्यम से पंचायत अपने कार्यों को बाहरी अनुदानों पर कम निर्भर रहते हुए संचालित कर सकती है।

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- गैर-कर और शुल्क आधारित राजस्व के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।
- अर्ध-शहरी क्षेत्र के लाभों का उपयोग कर व्यावसायिक परिसंपत्तियों से आय बढ़ाना।
- स्थिर ओएसआर के माध्यम से पंचायत के कार्यों को बिना बाधा जारी रखना।
- प्राप्त राजस्व को पारदर्शी तरीके से प्रशासन और सेवाओं में पुनर्निवेश करना।

स्थान एवं आर्थिक संदर्भ

अज़ारा ग्राम पंचायत **लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे** (बोरझार) और राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के पास स्थित होने के कारण विशेष लाभ प्राप्त करती है। इस कार्यात्मक स्थिति के चलते यहां गोदाम, दुकानें, छात्रावास और निजी शैक्षणिक संस्थानों का विकास हुआ है, जो गुवाहाटी शहर के विस्तार से जुड़ा हुआ है।

क्षेत्र में अधिक मजदूरों और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण किराए, पट्टियों और विभिन्न शुल्कों से आय प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति बनी है, जिसका प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

ओएसआर मॉडल एवं राजस्व प्रदर्शन

अज़ारा ग्राम पंचायत ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के बीच ओएसआर में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2019-20 में पंचायत ने ₹41.92 लाख का राजस्व प्राप्त किया, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर ₹42.42 लाख और वर्ष 2021-22 में ₹43.17 लाख हो गया। यह वृद्धि स्थिर गैर-कर आय स्रोत के कारण संभव हुई है।

ओएसआर का बड़ा हिस्सा व्यावसायिक प्रावधानों और फीसों से आता है। गोदाम से संबंधित कर कुल ओएसआर का लगभग 43% है। दुकानों से किरायेदारी लगभग 17% अंशदान देता है, जबकि भवन निर्माण अनुमति फीस लगभग 15% है। निजी प्रावधानों से संबंधित फीस लगभग 11%, अनापत्ति प्रमाण-पत्र फीस लगभग 8% और छात्रावास से जुड़े फीस लगभग 6% अंशदान देते हैं।

संस्थागत एवं संचालन कार्यनीतियां

ग्राम पंचायत ने गोदाम और दुकानों जैसी उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए पट्टे और निविदा प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू किया है। भवन अनुमति, एनओसी और बागवानी गतिविधियों से जुड़े शुल्कों को भी बढ़ते क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

ओएसआर से प्राप्त राजस्व का उपयोग मुख्य रूप से पंचायत के दैनिक संचालन खर्च—जैसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ग्राम सभा कार्यालयों का आयोजन, बिजली बिल तथा कार्यालय कर्मचारियों और प्रदाताओं के मानदेय—के लिए किया जाता है। ओएसआर और दैनिक प्रशासन के बीच इस स्पष्ट संबंध से पंचायत के कार्यों की निरंतरता बनी रहती है।



चित्र 35: ग्राम पंचायत द्वारा सृजित व्यावसायिक परिसंपत्तियां

ओएसआर का उपयोग

अजारा ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित ओएसआर का मुख्य रूप से निम्न कार्यों में उपयोग किया जाता है:

- प्रशासनिक और कार्यालय संबंधी खर्चों को पूरा करने में।
- नियमित शासन कार्यों और बैठकों के संचालन में।
- बिना अनुदानों पर निर्भर हुए पंचायत के बुनियादी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में।

निधियों के पारदर्शी उपयोग से शुल्क देने वाले लोगों और संस्थाओं के बीच विश्वास और अनुपालन बना रहता है।

अपनाई गई मुख्य कार्यनीतियां

- **परिसंपत्ति आधारित राजस्व संग्रह:** अधिक मांग वाले क्षेत्रों में गोदाम और दुकानों से संबंधित कर और किराये पर ध्यान।
- **विविध गैर-कर शुल्क:** भवन अनुमति शुल्क, एनओसी और संस्थागत शुल्क का संग्रह।
- **स्थान का लाभ उठाना:** हवाई अड्डे और राष्ट्रीय राजमार्ग के पास होने का उपयोग कर व्यावसायिक मांग बनाए रखना।
- **संचालन पर ध्यान:** ओएसआर का उपयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने में।

प्रभाव

अर्ध-शहरी और व्यावसायिक परिसंपत्तियों पर आधारित इस मॉडल ने अजारा ग्राम पंचायत को कई वर्षों तक स्थिर वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखने में सक्षम बनाया है। भरोसेमंद ओएसआर के कारण पंचायत के कार्य सुचारु रूप से चलते रहे हैं और बाहरी वित्तीय सहायता में देरी या उतार-चढ़ाव का असर कम हुआ है।

सफलता के मुख्य कारक

- प्रमुख परिवहन गतिविधियों के निकट कार्यनीति स्थिति।
- व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित मजबूत गैर-कर राजस्व आधार।
- शुल्कों का नियमित और प्रभावी क्रियान्वयन।
- शासन कार्यों के लिए ओएसआर का अविश्वसनीय और निश्चित उपयोग।

पुनर्वाृत्ति

अजारा का अनुभव यह दर्शाता है कि राजमार्ग, हवाई अड्डों या शहरी क्षेत्रों के पास स्थित ग्राम पंचायतें व्यावसायिक परिसंपत्तियों की सही पहचान कर और गैर-कर शुल्कों को प्रभावी रूप से लागू करके ओएसआर को काफी बढ़ा सकती हैं। यह मॉडल विशेष रूप से उन अर्ध-शहरी पंचायतों के लिए उपयोगी है, जहां आसपास के शहरों के विस्तार का प्रभाव पड़ रहा है।

निष्कर्ष

अजारा ग्राम पंचायत का अर्ध-शहरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान आधारित ओएसआर मॉडल यह दिखाता है कि गैर-कर राजस्व स्थानीय शासन को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपनी कार्यकारी स्थिति का लाभ लंबित हुए और व्यावसायिक प्रावधानों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान देकर पंचायत ने वित्तीय आत्मनिर्भरता का एक स्थिर और अन्य स्थानों पर अपनाते वाला मॉडल विकसित किया है, जो तेजी से शहरीकरण वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है।

30. "सामुदायिक जागरूकता नेतृत्व एवं परिसंपत्ति आधारित ओएसआर वृद्धि मॉडल – जितुजुरी, पश्चिम बंगाल

पृष्ठभूमि

जितुजुरी ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के मनबाजार-1 ब्लॉक में स्थित है। यह पंचायत मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्र से जुड़े गांवों को कवर करती है, जहां कम वर्षा और लाल मिट्टी जैसी भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं।

पुरुलिया की अन्य ग्रामीण पंचायतों की तरह, जितुजुरी को भी सीमित व्यावसायिक गतिविधियों और कम कर आधार के कारण स्वयं के स्रोतों से राजस्व (OSR) जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के बावजूद, ग्राम पंचायत ने सामुदायिक जागरूकता और आय देने वाली परिसंपत्तियों के विकास के माध्यम से उल्लेखनीय सुधार हासिल किया।



चित्र 36: इंटरनेट से लिया गया सांकेतिक चित्र

उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य था:

- करदाताओं में जागरूकता बढ़ाकर और स्वेच्छा से भुगतान को प्रोत्साहित कर ओएसआर में सुधार करना।
- सीमित कर आधार पर निर्भरता कम कर राजस्व स्रोतों में विविधता लाना।
- ओएसआर और योजनाओं से प्राप्त धन को आय देने वाली सामुदायिक परिसंपत्तियों में बदलना।
- ओएसआर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने के साधन के रूप में उपयोग करना।

स्थानीय संदर्भ

जितुजुरी ग्राम पंचायत मनबाजार-1 ब्लॉक में स्थित है, जहां बिखरी हुई कृषि आधारित बस्तियां और वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि गतिविधियां सीमित रहती हैं, लेकिन यहां की लाल मिट्टी फल और औषधीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्रों में पंचायतों के लिए कर से

पर्याप्त आय जुटाना कठिन होता है, इसलिए गैर-कर स्रोतों और परिसंपत्ति आधारित आय का महत्व बढ़ जाता है।

ओएसआर वृद्धि प्रदर्शन

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के बीच जीतुजुरी ग्राम पंचायत ने ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस अवधि में राजस्व ₹2,16,769 से बढ़कर ₹5,26,544 हो गया, जो लगभग 142 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। यह वृद्धि निरंतर जागरूकता प्रयासों और स्थानीय राजस्व आंदोलनों को मजबूत करने के कारण संभव हो पाई।

ओएसआर के स्रोत

ओएसआर संग्रह में कर और गैर-कर दोनों प्रकार के स्रोत शामिल रहे। इसमें भूमि और भवन कर के साथ-साथ स्थानीय बाजारों और सड़कों से प्राप्त टोल, अनुमानित और शुल्क शामिल थे। इस कार्यनीति का मुख्य आधार सीमाओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि बेहतर अनुपालन और अधिक लोगों को शामिल करना रहा।

आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियों का सृजन

बेहतर संग्रह के साथ-साथ ग्राम पंचायत ने ओएसआर और योजना निधियों का उपयोग कर आय देने वाली परिसंपत्तियां विकसित कीं। पंचायत और सामुदायिक भूमि पर 15,000 से अधिक फलदार पेड़ लगाए गए। लगभग 20 एकड़ भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और नकदी फसलों की खेती संभव हुई। इसके अलावा, लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती शुरू की गई।

आजीविका के विविधीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह क्लस्टर भवन का निर्माण किया गया, साथ ही मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियां शुरू की गईं। इन गतिविधियों से समूह आधारित आय प्राप्त हुई, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत के राजस्व को भी मजबूत करती है।

अपनाई गई कार्यनीतियां

एक महत्वपूर्ण कार्यनीति समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही। ग्राम पंचायत ने नियमित जागरूकता शिविर, रैलियां और पारा बैठकें (छोटे स्तर की बैठकें) आयोजित कर लोगों को कर और शुल्क के प्रति जागरूक किया। इन अभियानों से विश्वास और विस्थापन बढ़ेगा, जिससे बिना दबाव के स्वेच्छा से भुगतान में वृद्धि हुई।

साथ ही, प्रारंभिक ओएसआर और मनरेगा जैसी योजनाओं के धन का उपयोग आय देने वाली समर्थन के विकास में किया गया। इससे लोगों को अपने भुगतान का सीधा लाभ दिखाई दिया, जिससे अनुपालन और मजबूत हुआ।

ओएसआर का उपयोग

ओएसआर का उपयोग निम्न कार्यों में किया गया:

- आय देने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण और रख-रखाव।

- स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों को सहायता।
- सिंचाई और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और भविष्य में राजस्व का आधार मजबूत हुआ।

इस पुनर्निवेश कार्यनीति से ओएसआर केवल प्रशासनिक साधन न रहकर विकास का माध्यम बन गया।

सफलता के मुख्य कारक

- जागरूकता और समुदाय की भागीदारी पर विशेष ध्यान।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिसंपत्ति आधारित निवेश।
- कम लागत में अधिक आय देने वाली आजीविका गतिविधियों का चयन।
- त्वरित शुल्क संग्रह और दीर्घकालिक आय सृजन के बीच संतुलन।

पुनर्वावृत्ति

जितुजुरी का मॉडल यह दर्शाता है कि सीमित व्यावसायिक गतिविधियों वाली ग्राम पंचायतें भी जागरूकता बढ़ाकर और परिसंपत्तियों का सही विकास करके ओएसआर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं। यह तरीका विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जहां प्राकृतिक संसाधनों और समुदाय की भागीदारी का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जितुजुरी ग्राम पंचायत का समुदाय जागरूकता आधारित एवं परिसंपत्ति आधारित ओएसआर मॉडल यह दर्शाता है कि जागरूक नागरिक और सही निवेश मिलकर स्थानीय वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। राजस्व संग्रह को आजीविका विकास से जोड़ते हुए पंचायत ने न केवल ओएसआर में वृद्धि की, बल्कि पुरुलिया क्षेत्र में ग्रामीण आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया।

320. “बहुउद्देशीय अवसंरचना के माध्यम से परिसंपत्ति-आधारित वित्तीय आत्मनिर्भरता” – सिरमौर ज़िला परिषद, हिमाचल

पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित सिरमौर ज़िला परिषद ने, एक ही सुव्यवस्थित और बहुउद्देशीय परिसंपत्ति परिसर के व्यवस्थित मुद्रीकरण के माध्यम से, लगभग **₹18 लाख** का वार्षिक 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) अर्जित किया है।

17 निर्वाचित सदस्यों (जिनमें 9 महिलाएँ शामिल हैं) वाली एक मध्य-स्तरीय पंचायती राज संस्था के रूप में, ज़िला परिषद यह दर्शाती है कि किस प्रकार दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए सतत वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है।



चित्र 37: सामुदायिक भवन और व्यावसायिक दुकानों का मुद्रीकरण

उद्देश्य

ज़िला परिषद की ओएसआरकार्यनीति का उद्देश्य:

- किराए से होने वाली आय के माध्यम से परिचालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- राजस्व के कई स्रोतों वाली स्थायी सार्वजनिक संपत्तियाँ निर्मित करना।
- रखरखाव के लिए समर्पित कर्मचारियों की व्यवस्था करके संपत्ति की दीर्घायु सुनिश्चित करना।
- दैनिक खर्चों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भरता कम करना।

स्थान का संदर्भ

नाहन के ज़िला मुख्यालय में स्थित, ज़िला परिषद परिसर एक ऐसे पहाड़ी ज़िले की कार्य करता है जहाँ ग्रामीण बस्तियाँ दूर-दूर फैली हुई हैं। इसकी केंद्रीय स्थिति इस सुविधा को सामाजिक समारोहों, सरकारी

बैठकों, सरकारी कार्यक्रमों और अल्पकालिक आवास के लिए आकर्षक बनाती है, जिससे ज़िले में बढ़ती प्रशासनिक और कार्यक्रम-संबंधी माँगों की पूर्ति होती है।

ओएसआरस्रोत और परिसंपत्ति पोर्टफोलियो

लगभग ₹18 लाख का वार्षिक ओएसआरपूरी तरह से ज़िला परिषद की निर्मित परिसंपत्तियों से प्राप्त किराए के माध्यम से सृजित होता है, जिन्हें लगभग 25वर्ष पूर्व तैयार किया गया था।

परिसंपत्ति मिक्स (एसेट मिक्स) में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक बड़ा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन सामाजिक और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है।
- पर्यटकों, अधिकारियों और आगंतुकों के लिए दस कमरे और पाँच शयनगृह।
- छह व्यावसायिक दुकानें, जिनसे हर महीने नियमित किराया मिलता है।
- तीन आवासीय इकाइयाँ, जिन्हें लंबे समय के लिए किराए पर दिया गया है।

ये सभी परिसंपत्तियाँ मिलकर, बार-बार होने वाले कार्यक्रम से आय और स्थिरनियमित किराये की आय का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करती हैं।

राजस्व तंत्र

सामुदायिक भवनकार्यक्रम बुकिंग के माध्यम से कमाई का मुख्य ज़रिया है, जबकि आवासीय सुविधाएँ सरकारी अधिकारियों और आने वाले लोगों के ठहरने से लगातार ऑक्ज्यूपेंसी सुनिश्चित करती हैं। व्यवसायिक दुकानें और आवासीय इकाइयाँ हर महीने एक तय इनकम देती हैं, जिससे पूरे साल स्थायी रूप से आय होती रहती है।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ

ज़िला परिषद ने अलग-अलग जगहों पर संपत्तियाँ बनाने के बजाय एक ही एकीकृत कॉम्प्लेक्स बनाने में निवेश किया, जिससे कुशल प्रबंधन और खर्चों में कमी संभव हो पाई। प्रतिस्पर्धी किराए की दरें और नियमित बुकिंग ने यह सुनिश्चित किया है कि परिसर का भरपूर उपयोग हो।

एक मुख्य कार्यनीति परिसंपत्तियों की पूरी देखभाल करती है। परिसर के रखरखाव, संचालन और देखरेख के लिए विशेष रूप से पाँच पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। रखरखाव के इस सक्रिय दृष्टिकोण ने परिसंपत्तियों को खराब होने से बचाया है और राजस्व की दीर्घकालिक संभावना को बनाए रखा है।

ओएसआरका उपयोग

परिसरसे मिलने वाला OSR ज़िला परिषद के नियमित परिचालन व्ययमें मदद करता है, जिससे संस्थागत आत्मनिर्भरता में सीधे तौर पर मदद मिलती है और दैनिक कामों के लिए बाह्य वित्तपोषणपर निर्भरता कम होती है।

सफलता के मुख्य कारक

- ज़िला मुख्यालय में महत्वपूर्ण स्थान।

- एक ही परिसंपत्ति परिसर के भीतर राजस्व के विविध स्रोत।
- समर्पित कर्मचारियों द्वारा निरंतर रखरखाव।
- पूंजी निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण, जिससे आवर्ती प्रतिफल (recurring returns) प्राप्त होता है।

सर्वश्रेष्ठ कार्य

- **बहु-उपयोगी परिसंपत्ति विकास:** एक ही परिसर में सामुदायिक भवन, आवास, दुकानें और रिहायशी मकानों को मिलाकर, ज़मीन के उपयोग की दक्षता और राजस्व की संभावना को बढ़ाता है।
- **परिसंपत्ति प्रबंधन:** समर्पित कर्मचारियों की तैनाती से परिसंपत्ति का स्थायी और निरंतर उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **समावेशी शासन:** महिला प्रतिनिधियों की सशक्त भागीदारी से समुदाय का विश्वास और जवाबदेही बढ़ती है।

अनुकरणीय की क्षमता

इस मॉडल का ज़िला परिषदों और ब्लॉक पंचायतों के लिए, खासकर ज़िला और ब्लॉक मुख्यालयों में, आसानी से अनुकरण किया जा सकता है। हॉल, कमरे और दुकानों वाले हाइब्रिड परिसर बनाकर, हर साल नियमित रूप से **₹15-20 लाख की आमदनी** की जा सकती है। लंबे समय तक इस मॉडल को बनाए रखने के लिए, ओएसआर (5-10%) का एक तय हिस्सा इसके रखरखाव के लिए अलग रखना बहुत ज़रूरी है। यह मॉडल खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीयराज्यों के लिए ज़्यादा सही है, जहाँ अलग-अलग जगहों पर फैली इमारतों की तुलना में, एक ही जगह पर बनी और बीच में मौजूद इमारतें ज़्यादा प्रभावी होती हैं।

निष्कर्ष

सिरमौर ज़िला परिषद यह दिखाता है कि अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई सार्वजनिक अवसंरचना में धैर्यपूर्ण पूंजी निवेश किस तरह लंबे समय की वित्तीय आत्मनिर्भरता में बदल सकता है। यह मामला मध्यम-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्थायी ओएसआर प्रणालियाँ बनाने में परिसंपत्ति की गुणवत्ता, स्थान और रखरखाव के महत्व को रेखांकित करता है।

321. संपत्ति कर-आधारित राजस्व जुटाना – हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत, कर्नाटक

संदर्भ

हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत कर्नाटक के मांड्या ज़िले की मद्दूर तालुका में स्थित है। यह गाँव मद्दूर स्थित उप-ज़िला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर और मांड्या स्थित ज़िला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हेम्मनाहल्ली गाँव का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 381.65 हेक्टेयर है और यहाँ की जनसंख्या 1,969 है, जिसमें 971 पुरुष और 998 महिलाएँ शामिल हैं; ये लोग लगभग 497 घरों में रहते हैं। आकार में अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद, इस ग्राम पंचायत ने मज़बूत वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन किया है। स्थानीय शासन और राजस्व जुटाने के क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की मान्यता स्वरूप, इस पंचायत को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। **प्रभावी कर प्रशासन और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से, यह पंचायत पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से संपत्ति कर के संग्रह द्वारा 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) जुटाने में सफल रही है।**



चित्र 38: हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत, कर्नाटक के सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार #कर्नाटक में @जिला परिषद्_मांड्या के अंतर्गत आने वाली हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत का दौरा किया और विभिन्न जन-उन्मुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की, 25 फरवरी, 2021)

उद्देश्य

- पर्याप्त संपत्तिकर संग्रह के माध्यम से ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर निर्धारण में पारदर्शिता और सटीकता में सुधार करना।
- अवसंरचना के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर अर्जित राजस्व का उपयोग करना।
- ओएसआर के रणनीतिक निवेश के माध्यम से शासन और सामुदायिक सुविधाओं को बेहतर बनाना।

संस्थागत तंत्र

हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत ने कर प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया है, जिसमें डिजिटल टूल्स की मदद ली गई है। कर्नाटक में, ग्राम पंचायतों के लिए 'पंचतंत्र वर्ज़न-2' एप्लीकेशन बनाया गया है,

ताकि वे उप-रजिस्ट्रार द्वारा तय की गई बाज़ार कीमत के आधार पर संपत्ति कर का मूल्यांकन और गणना कर सकें। यह डिजिटल प्रणाली संपत्ति के मूल्यांकन और कर के मूल्यांकन में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

पंचायत ने एक बिल कलेक्टर भी नियुक्त किया है, जो समय पर कर संग्रहण और सही रिकॉर्ड रखने के लिए नियमित रूप से घरों का दौरा करता है। इस सक्रिय दृष्टिकोण से निवासियों के बीच कर अनुपालन में काफी सुधार हुआ है। डिजिटल मूल्यांकन और नियमित ज़मीनी स्तर की निगरानी के मेल से पंचायत की राजस्व जुटाने की क्षमता काफी मज़बूत हुई है।

ओएसआर सृजन

हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत के 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (Own Source Revenue) का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है, जिसकी गणना उप-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा निर्धारित संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। 'पंचतंत्र संस्करण-2' नामक डिजिटल एप्लिकेशन का उपयोग करके, पंचायत कर देनदारियों का सटीक मूल्यांकन करती है और बिल बनाने तथा संग्रहण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राम पंचायत केवल संपत्ति कर से ही प्रति वर्ष लगभग ₹12 लाख की राशि एकत्र करती है, जो पंचायत के वित्तीय संसाधनों में योगदान देने वाले प्रमुख स्रोतों में से एक है।

परिणाम

संपत्ति कर से होने वाली आय का उपयोग कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए किया गया है। पंचायत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्राम सौधाका निर्माण है - यह एक आधुनिक पंचायत कार्यालय भवन है, जिसे ओएसआरका उपयोग करके लगभग ₹5 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इस भवन में गाँव के लिए काम करने वाले अन्य सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुँच बेहतर हुई है।

इसके अलावा, पंचायत एक बड़े पुस्तकालय का रखरखाव करती है जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा है, जिससे निवासियों को ज्ञान के संसाधनों और इंटरनेट सुविधाओं तक पहुँच मिलती है। पंचायत एक संतुलित व्यय पैटर्न अपनाती है, जिसमें ओएसआरका लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अवसंरचना में सुधार जैसे विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि शेष 40 प्रतिशत हिस्सा रखरखाव और परिचालन खर्चों के लिए आवंटित किया जाता है।

निष्कर्ष

हेम्मनाहल्ली ग्राम पंचायत यह दिखाती है कि डिजिटल साधनों की मदद से संपत्ति कर का कुशल प्रबंधन किस तरह स्वयं के स्रोत से राजस्व को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। कर के पारदर्शी मूल्यांकन, नियमित वसूली और निधियों के कार्यनीतिक उपयोग को सुनिश्चित करके, पंचायत ने अपनी वित्तीय क्षमता को मज़बूत किया है और स्थानीय अवसंरचना तथा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया है। यह मॉडल, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने में मज़बूत प्रशासनिक प्रणालियों और डिजिटल शासन के महत्व को रेखांकित करता है।

22. विरासत पर्यटन और सामुदायिक सेवा-आधारित राजस्व मॉडल – हिंगांग ग्राम पंचायत, मणिपुर

संदर्भ

हिंगांग ग्राम पंचायत मणिपुर के इम्फाल पूर्वी ज़िले में स्थित है, जो ज़िला मुख्यालय पोरोमपत से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर में है। यह पंचायत लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ की अनुमानित आबादी लगभग 8,000 निवासियों की है। इस गाँव की विशेषता यहाँ के विविध प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन हैं, जिनमें ताज़े पानी की झीलें, नदियाँ, पहाड़ियाँ, जंगल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं। ये विशेषताएँ पर्यटन और समुदाय-आधारित आर्थिक गतिविधियों के अवसर प्रदान करती हैं। इन स्थानीय विशेषताओं को देखते हुए, ग्राम पंचायत ने विरासत पर्यटन, सामुदायिक अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं का उपयोग करके 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) उत्पन्न करने का एक मॉडल तैयार किया है। इन पहलों के माध्यम से, **पंचायत औसतन लगभग ₹5.8 लाख का वार्षिक OSR सृजन करती है**, जो स्थानीय विकास और सामुदायिक सेवाओं के रखरखाव में योगदान देता है।



चित्र 39: बाईं से दाईं ओर चित्र- (क) और (ख) हिंगांग GP में जागरूकता अभियान; (ग) हिंगांग चिंग पर इपुथौ मार्जिंग खुबम

उद्देश्य

- स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों का लाभ उठाकर सतत 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' उत्पन्न करना।
- गाँव के विकास में विरासत पर्यटन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- ग्राम पंचायत की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना।
- सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर सृजित राजस्व का उपयोग करना।

संस्थागत तंत्र

हिंगांग ग्राम पंचायत ने एक सहयोगात्मक संस्थागत तंत्र अपनाया है, जिसमें स्थानीय समितियाँ और सामुदायिक संगठन शामिल हैं। पंचायत द्वारा प्रबंधित प्रमुख संपत्तियों में से एक इबुधौ मार्जिंग खुबम

विरासत स्थल है, जिसका संचालन 'इबुधौ मारजिंग खुबम कानबा लुप' नामक एक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं, जो मिलकर इस विरासत स्थल पर दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

पंचायत विरासत स्थल से जुड़ा एक सामुदायिक भवन भी चलाती है, जिसे सोशल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किराए पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत हिंगांग अवांग और माखा जलाशयकी जल आपूर्ति और स्वच्छता समितिके माध्यम से **पेयजल आपूर्ति सेवाओं** का प्रबंधन करती है। यह समिति जल आपूर्ति के अवसंरचना के रखरखाव की देखरेख करती है और घरों से उपयोग शुल्क की वसूली सुनिश्चित करती है।

ओएसआर सृजन

हिंगांग ग्राम पंचायत के लिए 'स्वयं के स्रोतों से राजस्व' (OSR) का मुख्य स्रोत, इबुधौ मारजिंग खुबम विरासत स्थल पर आने वाले पर्यटकों से लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क है। **इस स्थल पर औसतन हर दिन लगभग 280 पर्यटक आते हैं। प्रत्येक पर्यटक से ₹30 का प्रवेश शुल्क लिया जाता है, जिससे सालाना लगभग ₹30.24 लाख की आय होती है। इस राशि में से, ग्राम पंचायत को अपने हिस्से के रूप में 10 प्रतिशत मिलता है, जो उसकी सालाना OSR में लगभग ₹3.02 लाख का योगदान देता है।**

आय का एक और महत्वपूर्ण स्रोत विरासत स्थल पर स्थित सामुदायिक भवन और उससे जुड़ी सेवाओं को किराए पर देना है। इस भवन को अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर लिया जाता है। औसतन, हर हफ्ते चार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे **प्रति कार्यक्रम लगभग ₹4,000 से ₹5,000 की आय होती है। इससे लगभग ₹8.64 लाख का वार्षिक टर्नओवर होता है, जिसमें से 10 प्रतिशत—यानी लगभग ₹86,000—ग्राम पंचायत को राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।**

पंचायत, जल आपूर्ति सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के ज़रिए भी राजस्व सृजित करती है। लगभग 800 घर पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़े हुए हैं और **हर महीने ₹200 का शुल्क देते हैं।** इस सेवा से **सालाना लगभग ₹19.20 लाख का टर्नओवर होता है, जिसमें से ग्राम पंचायत को अपने हिस्से के तौर पर 10 प्रतिशत (लगभग ₹1.92 लाख) मिलते हैं।**

परिणाम

विरासत पर्यटन, सामुदायिक संपत्तियों और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से होने वाली अलग-अलग तरह की आमदनी ने ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को मज़बूत किया है। इन पहलों ने स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और अवसंरचना के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों ने गाँव की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक अवसरों को भी बढ़ाया है।

निष्कर्ष

हिंगांग ग्राम पंचायत यह दिखाती है कि विरासत पर्यटन और समुदाय-प्रबंधित सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके 'स्वयं के स्रोतों से राजस्व' (Own Source Revenue) कैसे उत्पन्न किया जा सकता है।

सांस्कृतिक संपत्तियों, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सहभागी शासन तंत्रों को एकीकृत करके, पंचायत ने एक ऐसा स्थायी राजस्व मॉडल तैयार किया है जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी संरक्षित रखता है।

23. "मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ)", नित्ते, कर्नाटक

पृष्ठभूमि

कर्नाटक की पहली 'मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी' (MRF) उडुपी ज़िले की निट्टे ग्राम पंचायत में स्थापित की गई थी, और यह इस क्षेत्र में मौजूद ऐसी पाँच फैसिलिटीज़ में सबसे पुरानी है। MRF को ज़िला पंचायत के जल एवं स्वच्छता विभाग के तहत गाँव के पीने के पानी के फंड का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करना था, और साथ ही एक आर्थिक रूप से स्थायी परिचालन मॉडल तैयार करना था।



चित्र 40: (क) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, निट्टे (ख) अपशिष्ट भंडारण सुविधा, नित्ते

संस्थागत और परिचालन फ्रेमवर्क

ज़िला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ट्रक रोज़ाना 45 ग्राम पंचायतों से सूखा कचरा इकट्ठा करता है, और दो चक्करों में प्रति चक्कर लगभग 3.5 टन कचरा ढोता है। इस सुविधा केंद्र में केवल सूखे कचरे की ही प्रोसेसिंग की जाती है, जबकि गीले कचरे का प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अलग से किया जाता है।

NGO साहसने ज़रूरी मशीनें उपलब्ध कराईं, और एक निजी एजेंसी इसके संचालन और रखरखाव की देखरेख करती है। यह सुविधा तीन कन्वेयर-आधारित सेग्रीगेशन बेल्ट का इस्तेमाल करके कचरे को कई श्रेणियों में अलग करती है, जैसे कि कार्टन, प्लास्टिक और कांच की बोतलें। इकट्ठा किए गए कचरे में से लगभग 40% रीसायकल करने लायक होता है, जबकि 50-60% रीसायकल न करने लायक होता है। रीसायकल न करने लायक हिस्से का लगभग 1-2%, जिसमें मुख्य रूप से मल्टी-लेयर प्लास्टिक शामिल होता है, सह-प्रसंस्करण (को-प्रोसेसिंग) के लिए सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है।

राजस्व और वित्तीय मॉडल

नित्ते MRF "शून्य-लागत" (zero-cost) मॉडल का पालन करता है, जिसमें सुविधा केंद्र और ग्राम पंचायतों के बीच कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं होता है। इसके बजाय, परिचालन की निरंतरता को निम्नलिखित तरीकों से सुनिश्चित किया जाता है:

- **पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की नीलामी के माध्यम से दलालों को बिक्री**
 - बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण (उदाहरण के लिए, कच्चे तेल की दरों में उतार-चढ़ाव के साथ प्लास्टिक की कीमतों में बदलाव)
 - साझेदारी और वित्तीय सहायता, जिसमें रीपर्स ग्लोबलका योगदान भी शामिल है
- बिक्री से पहले, रीसायकल की जा सकने वाली वस्तुओं को एक बेलिंग मशीन का इस्तेमाल करके दबाया जाता है। रीसायकल न हो सकने वाली वस्तुओं को सीमेंट फ़ैक्टरियों तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्ट का खर्च— जो प्रति ट्रिप INR 45,000–50,000 (हर महीने 4–5 ट्रिप) के बीच होता है—मंगला एजेंसी उठाती है।

“इस सुविधा केंद्र का औसत मासिक टर्नओवर लगभग 15 लाख रुपये है। हालाँकि, बाज़ार की स्थितियों के आधार पर मुनाफ़ा और नुकसान घटता-बढ़ता रहता है, लेकिन अतिरिक्त धनराशि को मरम्मत और रखरखाव में फिर से निवेश कर दिया जाता है, जिससे संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होती है।”

रोज़गार और सामाजिक प्रभाव

MRF स्थानीय स्तर पर रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दिन की पाली में आठ पुरुष, 22 महिलाएँ और तीन लोडर काम करते हैं, जबकि रात की पाली में पाँच पुरुष और दस महिलाएँ काम करती हैं। इससे आजीविका के अवसर सृजित करने में मदद मिली है—विशेष रूप से महिलाओं के लिए—और साथ ही, कचरा अलग करने की प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी भी मज़बूत हुई है।

प्रदर्शन और परिणाम

निते MRF रोज़ाना लगभग सात टन सूखे कचरे को प्रोसेस करता है, जो इसकी उच्च दक्षता और घरेलू स्तर पर मज़बूत सहयोग को दर्शाता है। इसकी सफलता, "पेबैक मॉडल" के तहत काम करने वाली सुविधाओं के बिल्कुल विपरीत है—जैसे कि रामनगर में—जहाँ सीमित सामुदायिक भागीदारी के कारण प्रोसेसिंग क्षमता प्रति माह केवल सात टन तक ही सीमित रह जाती है।

मुख्य परिणाम:

- 45 ग्राम पंचायतों में गाँव के सूखे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन
- संसाधनों की पुनःप्राप्ति और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- पंचायतों पर बिना कोई बोझ डाले वित्तीय आत्मनिर्भरता
- रोज़गार सृजन और संस्थागत सहयोग को मज़बूत बनाना

निष्कर्ष

निते सामग्री की पुनःप्राप्ति सुविधा (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) विकेंद्रीकृत ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करती है, जिससे संस्थागत सहयोग, गैर-सरकारी संगठनों की साझेदारी, निजी क्षेत्र की दक्षता और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। पुनर्चक्रण (रीसायकल) योग्य वस्तुओं की बिक्री से संचालित शून्य लागत और राजस्व-आधारित मॉडल को अपनाकर, यह सुविधा दर्शाती है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता और वित्तीय व्यवहार्यता को कैसे एकीकृत किया जा सकता है।

24. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीएसआर-आधारित विकास – जलाबपुर गुदल , उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि

जलाबपुर गुदल ग्राम पंचायत ने स्वच्छता परिणामों को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) को मज़बूत करने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। पर्यावरणीय गिरावट और सीमित वित्तीय संसाधनों की दोहरी चुनौती को पहचानते हुए, ग्राम पंचायत ने अपशिष्ट के व्यवस्थित पृथक्करण, खाद बनाने और ग्रे-वॉटर प्रबंधन के उपाय शुरू किए। जलाबपुर गुदल उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है, जिसने हाल ही में वर्ष 2023-24 में अपशिष्ट के लिए 'उपयोगकर्ता शुल्क' (User Fees) लेना शुरू किया है, जिससे उसे OSR के रूप में 50,658 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।



चित्र 41: बाईं ओर से चित्र – (क) और (ख) RRC केंद्र पर कचरा का पृथक्करण, (ग) घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, (घ) स्वच्छता जागरूकता अभियान

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल

ग्राम पंचायत ने एक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र स्थापित किया है, जहाँ अलग किए गए सूखे कचरे को संसाधित (Processed) करके रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कचरे को उसके स्रोत पर ही नियमित रूपसे अलग किया जाए। पुनर्चक्रण (रीसायकल) किए जा सकने वाले कचरे को बेचकर आय अर्जित की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत की स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR) में प्रत्यक्षयोगदान मिलता है।

तरल कचरा प्रबंधन के लिए, ग्रे वॉटर और ब्लैक वॉटर को संभालने के लिए दो सोख-गड्ढे बनाए गए। इससे गाँव में जल-जमाव और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में काफ़ी कमी आई। इसके अलावा, खाद के लिए गड्ढे भी बनाए गए ताकि गाँव वाले बहुत कम शुल्क पर अपना जैविक कचरा डाल सकें; इससे बायोडिग्रेडेबल कचरा खाद में बदल जाता है और आय का एक अतिरिक्त माध्यम भी बनता है। इन पहलों से न केवल साफ़-सफ़ाई के स्तर में सुधार हुआ, बल्कि कचरा, पंचायत के लिए आय सृजन करने वाली परिसंपत्ति में भी बदल गया।

मान्यता और पुरस्कार

प्रभावी कार्यान्वयन और स्वच्छता के निरंतर प्रयासों के कारण, ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुए: मुख्यमंत्री से 'स्वच्छ और हरित पंचायत पुरस्कार' (2018); और विकास प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 'दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार' (2021)।

सीएसआर-आधारित संसाधन जुटाना

वित्तीय बाधाओं को दूर करने और विकास कार्यों का विस्तार करने के लिए, ग्राम पंचायत ने सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) निधियों को जुटाया। ग्राम पंचायतअध्यक्ष ने सामुदायिक परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए नजीबाबाद स्थित भारतीय तेल निगम (IOC) और अन्य स्थानीय उद्योगों से संपर्क किया। स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षित सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करने वाले सुव्यवस्थित परियोजना प्रस्तावों की बदौलत, ग्राम पंचायतसीएसआरसहायता प्राप्त करने में सफल रही।

सीएसआर के माध्यम से विकास परिणाम

सीएसआरफंड का उपयोग सरकारी प्राथमिक स्कूलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए किया गया, जिसमें शौचालय ब्लॉक का निर्माण, वॉटर फिल्टर और कूलर लगाना, सुरक्षित पेयजल के लिए बोरवेल की खुदाई, मध्याह्न भोजन शेड का निर्माण, कक्षाओं में फर्श और पेंटिंग करवाना, तथा स्कूल परिसर के भीतर एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना शामिल है।

इन उपायों ने शैक्षिक अवसंरचनामें उल्लेखनीय सुधार किया और बच्चों के लिए सीखने का एक अनुकूल परिवेश तैयार किया।

प्रभाव: बेहतर स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता, पुनर्चक्रण योग्य कचरे की बिक्री और खाद बनाने के माध्यम से ओएसआरका सृजन, जलभराव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी, मजबूत शैक्षिक अवसंरचना, ग्राम पंचायतकी विश्वसनीयता और संस्थागत क्षमता में वृद्धि।

सफलता के मुख्य कारक: ग्राम पंचायत का सशक्त नेतृत्व और सक्रिय दृष्टिकोण, कचरा पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी, कचरे को राजस्व में बदलने के अभिनव तरीके, सीएसआरवित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ कार्यनीतिक जुड़ाव, तथा पारदर्शी कार्यान्वयन और प्रभावी प्रबंधन।

निष्कर्ष

जलाबपुर गुदल ग्राम पंचायत यह दिखाती है कि कैसे एकीकृत कचरा प्रबंधन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को मिलाकर वित्तीय स्थिरता और स्थानीय विकास को मजबूत बनाया जा

सकता है। स्वच्छता से जुड़ी पहलों को आय सृजन करने वाले साधनों में बदलकर और कॉर्पोरेट साझेदारियों का लाभ उठाकर, इस ग्राम पंचायत ने पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार और आर्थिक रूप से सशक्त ग्रामीण शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसे दूसरी जगहों पर भी दोहराया जा सकता है।



चित्र 42: जलाबपुर गुदल ग्राम पंचायत में कम्पोस्ट पिट



चित्र 43: बाई से दाईं ओर चित्र (क) प्राथमिक विद्यालय (ख) आंगनवाड़ी विद्यालय (ग) और (घ) आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि कक्षा में फर्नीचर, पीने का पानी, कूलर और शौचालय।

25. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं राजस्व मॉडल – वर्धा ज़िला, महाराष्ट्र

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले की ग्राम पंचायतों ने **कार्यशील पानी की पाइपलाइनों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है**, जिससे यह फील्ड मूल्यांकन के दौरान पाए गए ग्रामीण जल शासन के सबसे मज़बूत उदाहरणों में से एक बन गया है। कई अन्य राज्यों के विपरीत, जहाँ गाँव अभी भी कुओं, हैंडपंपों या खराब पाइपलाइनों पर निर्भर हैं, वर्धा ने सभी पंचायतों में घरों तक पूरी तरह से कार्यशील नल कनेक्शन सुनिश्चित किए हैं।

यह उपलब्धि, महाराष्ट्र सरकार के राज्य जल और स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा लागू की गई हर घर नल से जल (HGNSJ) पहल के तहत **जल जीवन मिशन** के कार्यान्वयन से काफी हद तक जुड़ी हुई है।



चित्र 44: बाईं से दाईं ओर चित्र (क) ग्राम पंचायत में ओवरहेड टैंक (ख) घरों तक पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति

संस्थागत फ्रेमवर्क

ज़िला परिषद वर्धा का ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभाग क्षेत्रीय और ज़िला-स्तरीय जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। दो संरचित मॉडल कार्यरत हैं:

1. एकल ग्राम योजना (एसवीएस)

- इसे उन ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है, जहाँ गाँव के भीतर ही जल स्रोत उपलब्ध है।
- इसका पूर्ण रखरखाव और प्रबंधन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
- जल शुल्क ग्राम पंचायत (GP) द्वारा एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग संचालन, रखरखाव और मानव शक्ति (मैनपावर) संबंधी लागतों के लिए किया जाता है।
- इससे प्राप्त संपूर्ण राजस्व ग्राम पंचायत के पास ही रहता है, जिससे उसके 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) को मजबूती मिलती है।

2. बहु-ग्राम योजना (एमवीएस)

- यह वहाँ लागू होता है जहाँ गाँवों में पानी का कोई आंतरिक स्रोत नहीं होता।
- पानी, ग्राम पंचायत (GP) की सीमाओं के बाहर स्थित नदियों या जलाशयों से लिया जाता है।
- इसका कार्यान्वयन और तकनीकी प्रबंधन 'ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभाग' द्वारा किया जाता है।
- **राजस्व-साझाकरण मॉडल: 80:20 का अनुपात, जिसमें पानी के शुल्क का 80% हिस्सा विभाग को (थोक आपूर्ति और अवसंरचना के रखरखाव के लिए) जाता है, और 20% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायतों के पास रहता है।**

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण फ्रेमवर्क के तहत पिछली व्यवस्थाओं से जारी यह 80:20 की संरचना, क्षेत्रीय प्रणालियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है, और साथ ही पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वितरण का प्रबंधन करने में मदद करती है।

राजस्व और स्थिरता मॉडल

- घरों से लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क से एक व्यवस्थित और नियमित आय का माध्यम बनता है।
- एकल ग्राम योजनाओं में, पूरी आय ग्राम पंचायत प्रबंधन परिचालन में सहयोग करती है।
- बहु-ग्राम योजनाओं में, साझा राजस्व सामान्य अवसंरचना की लागत और स्थानीय प्रबंधन जिम्मेदारियों को संतुलित करता है।
- ग्राम पंचायतें गाँव के अंदर पानी वितरण नेटवर्क का प्रबंधन करती हैं और स्थानीय जल आपूर्ति के कर्मचारियों को वेतन देती हैं।

प्रभाव

- ग्राम पंचायतों में सार्वभौमिक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी)।
- पारंपरिक और अविश्वसनीय जल स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
- पानी के शुल्क की व्यवस्थित वसूली के माध्यम से ओएसआरको मज़बूत बनाना।
- जिम्मेदारियों का स्पष्ट संस्थागत विभाजन, जवाबदेही में सुधार।
- लागत-साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रखरखाव फ्रेमवर्क।

सफलता के मुख्य कारक

- ज़िला परिषद का सक्रिय नेतृत्व।
- सुव्यवस्थित राजस्व-साझाकरण तंत्र।
- थोक आपूर्ति और स्थानीय वितरण के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन।
- जल जीवन मिशन के उद्देश्यों का सशक्त कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

वर्धा ग्रामीण जल आपूर्ति मॉडल यह दर्शाता है कि कैसे सभी तक सेवा पहुँचाना और वित्तीय स्थिरता, दोनों एक साथ चल सकते हैं। व्यवस्थित संस्थागत तालमेल और आय-बँटवारे के स्पष्ट तंत्र के ज़रिए, ग्राम पंचायतों ने जहाँ एक ओर पानी की भरसेमंद पहुँच सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर अपनी आय के

स्थायी स्रोत भी तैयार किए हैं। यह मॉडल उन अन्य ज़िलों के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है, जिसकी पुनरावृत्ति की जा सकता है; ये ज़िले वित्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना को मज़बूत करना चाहते हैं।

26. बाज़ार आधारित स्वयं के स्रोत से राजस्व मॉडल (मार्केट-लेड ओन सोर्स रेवेन्यू मॉडल), गोधी ग्राम पंचायत, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि

गोधी ग्राम पंचायत मुरादाबाद शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है; मुरादाबाद अपनी विश्व-प्रसिद्ध धातु हस्तशिल्प उद्योग के कारण "ब्रास सिटी" (पीतल नगरी) के नाम से लोकप्रिय है। यह ग्राम पंचायत 139.66 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी जनसंख्या 4,035 (633 परिवार) है। एक प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर के निकट स्थित होने और धातु-आधारित छोटे घरेलू उद्योगों की मौजूदगी के कारण, इसे एक मज़बूत आर्थिक आधार प्राप्त है।

राजस्व का मुख्य स्रोत

साप्ताहिक हाट बाजार (शुक्रवार बाजार): ओएसआरका मुख्य स्रोत हर शुक्रवार को लगने वाला सक्रिय साप्ताहिक ग्रामीण बाज़ार है। यह बाज़ार आस-पास के इलाकों के व्यापारियों और खरीदारों को आकर्षित करता है और इसमें सब्ज़ियाँ, बर्तन, कपड़े, हस्तशिल्प और पशुओं का व्यापार शामिल है। मुरादाबाद के धातु उद्योग केंद्र के पास इसकी कार्यनीतिक स्थिति के कारण, इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं।

राजस्व स्टॉल शुल्क, बाज़ार शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से सृजित होता है, जिसे पंचायत द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है। **सृजित वार्षिक ओएसआर: ₹47 लाख।**



चित्र 45: साप्ताहिक हाट बाज़ार (शुक्रवार बाज़ार)

ओएसआरका उपयोग

पंचायत ने अपनी स्वयं के राजस्व को सार्वजनिक कल्याण और अवसंरचना के विकास में कार्यनीतिक रूप से पुनः निवेश किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंचायत भवन का निर्माण
- स्वच्छता, गरिमा, सुरक्षा और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल निकासी प्रणालियाँ
- सड़क निर्माण और सुधार कार्य



चित्र 46: पंचायत भवन का निर्माण



चित्र 47: बाईं से दाईं ओर चित्र (क) सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) (ख) सड़क का निर्माण

शासन पद्धतियाँ

- बाज़ार विक्रेताओं से व्यवस्थित शुल्क संग्रह
- बाज़ार राजस्व का पारदर्शी लेखा-जोखा
- दृश्यमान सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए ओएसआर का प्रत्यक्ष उपयोग
- राजस्व सृजन को सेवा प्रदायगी सुधारों से जोड़ना

मुख्य बातें

- ग्रामीण बाज़ार (हाट-बाज़ार) गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत बन सकते हैं।
- औद्योगिक या वाणिज्यिक केंद्रों के निकट होने से राजस्व की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
- ओएसआरका स्वच्छता, सड़कों और सार्वजनिक अवसंरचना में पुनर्निवेश करने से जनता का विश्वास और अनुपालन बढ़ता है।

पुनरावृत्ति-योग्यता: ग्राम पंचायतें स्थानीय बाज़ारों को औपचारिक रूप देकर, उपयोगकर्ता शुल्कों को युक्तिसंगत बनाकर और सामुदायिक अवसंरचना में पारदर्शी पुनर्निवेश सुनिश्चित करके ओएसआरको मज़बूत कर सकती हैं।

निष्कर्ष

गोधी ग्राम पंचायत यह दर्शाता है कि बाज़ार के आधार पर राजस्व जुटाना किस प्रकार वित्तीय स्वायत्तता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है और सतत ग्रामीण विकास को सहयोग प्रदान कर सकता है।

27. केस स्टडी: समुदाय-आधारित स्वच्छता के माध्यम से 'कचरे से राजस्व' मॉडल — मोहिउद्दीनपुर ग्राम पंचायत, मेरठ, उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि

मोहिउद्दीनपुर ग्राम पंचायत, जिसकी आबादी 6,233 (जनगणना 2011) है, मेरठ शहर के पास स्थित है और 3.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महात्मा गांधी द्वारा स्वच्छता पर दिए गए ज़ोर से प्रेरित होकर, ग्राम पंचायत ने एक ग्राम सभा (22 अप्रैल 2022) में यह संकल्प लिया कि वह गाँव को कचरा-मुक्त बनाएगी, और साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से अपने 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) में भी वृद्धि करेगी।



चित्र 48: बाईं से दाईं ओर चित्र (क) मेरठ का मोहिउद्दीनपुर गाँव कचरा प्रबंधन में एक मिसाल कायम करता है (ETV भारत); (ख) कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन के पास एक SHG की महिला (ETV भारत); (ग) मोहिउद्दीनपुर में इकट्ठा किए गए कचरे को अलग करती महिला कार्यकर्ता (ETV भारत); (घ) कचरा अलग करने का केंद्र (ETV भारत)

सुधार संबंधी कार्यनीति

इस पहल की योजना सामुदायिक परामर्श और आधारभूत मूल्यांकन के माध्यम से बनाई गई थी। इसके प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल थे:

- तकनीकी सहायता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी की पहचान करना

- जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान
- भूमि की पहचान और कचरा अलग करने के लिए शेड का निर्माण
- कचरा ट्रक/कचरा दान लॉरी की खरीद
- गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए घरों में कचरा दान का वितरण
- घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करना।

राजस्व मॉडल

निम्नलिखित के माध्यम से राजस्व सृजन होता है:

- परिवारों से वसूल किए गए उपयोगकर्ता शुल्क
- पुनर्चक्रण योग्य सूखे कचरे की बिक्री
- खाद और कचरे से बने अन्य उप-उत्पाद

इस सुव्यवस्थित दृष्टिकोण ने ग्राम पंचायत को ओएसआरके रूप में सालाना ₹8.40 लाख की आय अर्जित करने में सक्षम बनाया है, जिससे परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित हुई है।

परिणाम

- घर-घर जाकर 100% कचरा संग्रह
- बेहतर स्वच्छता और पर्यावरणीय साफ-सफाई
- समुदाय का मज़बूत स्वामित्व और भागीदारी
- ग्राम-स्तरीय समिति के माध्यम से पारदर्शी निगरानी
- 6 स्थानीय श्रमिकों (मुख्यतः SHG सदस्यों) के लिए रोज़गार का सृजन
- संचालन और रखरखाव की वित्तीय आत्मनिर्भरता

मुख्य बातें

- कचरा प्रबंधन को राजस्व के एक टिकाऊ स्रोत में बदला जा सकता है।
- ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी, स्वामित्व की भावना को मज़बूत करती है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भागीदारी, सेवाओं की कुशल प्रदायगी और आजीविका के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करती है।
- उपयोगकर्ता-शुल्क पर आधारित स्वच्छता प्रणालियाँ, बाहरी अनुदानों पर निर्भरता को कम करती हैं।

पुनरावृत्ति-योग्यता: ग्राम पंचायतें उपयोगकर्ता शुल्क, स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भागीदारी और पारदर्शी निगरानी के साथ एक समुदाय-आधारित SLWM मॉडल अपना सकती हैं, ताकि एक ही समय में स्वच्छता में सुधार किया जा सके और अपने स्वयं के राजस्व (Own Source Revenue) को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष: मोहिउद्दीनपुर ग्राम पंचायत यह दर्शाती है कि स्वच्छता सुधार—जब समुदाय-नेतृत्व वाले और आर्थिक रूप से सुव्यवस्थित हों—तो वे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत राजस्व सृजन का एक व्यवहार्य मार्ग बन सकते हैं।

28. समुदाय-आधारित कर संग्रहण और सामाजिक कल्याण वित्तपोषण मॉडल, भानुकुमारी-1 ग्राम पंचायत, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल

पृष्ठभूमि

भानुकुमारी-1 ग्राम पंचायत कूच बिहार ज़िले के तुफ़ानगंज II उप-मंडल में स्थित है, जो कूच बिहार ज़िला मुख्यालय से 39 किमी दूर है। इस ग्राम पंचायतका क्षेत्रफल 836.57 हेक्टेयर है और यहाँ की आबादी 14,340 है, जिसमें 3,344 परिवार शामिल हैं (जनगणना 2011)। मुख्य रूप से कृषि-प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद—जहाँ ज़्यादातर निवासी किसान, मज़दूर और दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करते हैं—यह ग्राम पंचायतहर साल 'स्वयं के स्रोतों से राजस्व' (OSR) के रूप में ₹11.08 लाख अर्जित करता है।



चित्र 49: बाईं से दाईं ओर चित्र (क) GP सहायता और सेवाएँ प्रदान करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री वितरित करने के लिए अपने OSR का उपयोग करता है; (ख) और (ग) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की मरम्मत और रखरखाव।

राजस्व जुटाने की रणनीति

GP ने सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और व्यवस्थित राजस्व संग्रह के माध्यम से OSR को मजबूत किया:

- जागरूकता और कर संग्रह के लिए नियमित रूप से ग्राम-स्तरीय शिविरों का आयोजन।
- नागरिकों को कर अनुपालन और नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
- स्थानीय व्यवसायों के व्यापार लाइसेंसों का पंजीकरण और नवीनीकरण।
- ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए पूर्व अनुमति सुनिश्चित करना।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों के बीच निरंतर समन्वय।

सक्रिय नागरिक भागीदारी और पारदर्शी शासन पद्धतियों ने हाल के वित्तीय वर्षों में OSR में नियमित वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ओएसआरका उपयोग

पंचायत अपनी निधियों का रणनीतिक उपयोग करती है:

- गरीब माताओं और बच्चों को सहायता।
- ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता।
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री का वितरण।
- सार्वजनिक उपयोगिताओं की मरम्मत और रखरखाव।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियाँ और संबंधित खर्च।

ग्राम पंचायतदूरदराज के इलाकों में आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए अपने स्वयंके संसाधनों से एक बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की भी योजना बना रहा है।

OSR वर्ष 2019-20 में ₹9,19,303 से बढ़कर 2021-22 में ₹11,07,946 हो गया, जो इस अवधि के दौरान लगभग 20.52 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि नए करों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यवस्थित प्रवर्तन, बेहतर कवरेज और बढ़ी हुई अनुपालन दर के माध्यम से प्राप्त की गई।

मुख्य बातें

- नियमित कर शिविर और सामुदायिक जागरूकता से अनुपालन बेहतर होता है।
- व्यापारों का पंजीकरण और निर्माण की अनुमति गैर-कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- पारदर्शी कल्याणकारी उपायों के लिए OSR का पारदर्शी उपयोग जनता का विश्वास बढ़ाता है।
- मुख्य रूप से कृषि प्रधान ग्राम पंचायतें भी सहभागी शासन के माध्यम से अपनी वित्तीय क्षमता को मजबूत कर सकती हैं।

पुनरावृत्ति-योग्यता: ग्राम पंचायतें OSR को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए सुनियोजित जागरूकता अभियान अपना सकती हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित कर सकती हैं।

निष्कर्ष: भानुकुमारी-। ग्राम पंचायतयह दर्शाता है कि सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेह शासन ज़मीनी स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

29. “स्वच्छता-से जुड़ी उपयोगकर्ता शुल्क और बाज़ार राजस्व मॉडल”-सुभाषग्राम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

पृष्ठभूमि

सुभाषग्राम ग्राम पंचायत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान ज़िले की डिगलीपुर तहसील में स्थित है। डिगलीपुर के प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करते हुए, यह पंचायत एक ऐसी आबादी की सेवा करती है जो जनसांख्यिकीय रूप से विविध है और जिसमें कई धार्मिक और भाषाई समुदाय शामिल हैं।

द्वीप की भौगोलिक सीमाओं, ज़मीन की सीमित उपलब्धता और सेवाएँ पहुँचाने की ज़्यादा लागत को देखते हुए, स्थानीय विकास को बनाए रखने के लिए 'स्वयं के स्रोत से राजस्व' (OSR) को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी रहा है। सुभाषग्राम ग्राम पंचायत ने अपनी वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें स्वच्छता से जुड़े उपयोगकर्ता शुल्क, बाज़ार-आधारित किराया और सेवा शुल्क को आपस में जोड़ा गया।

उद्देश्य

इस पहल के उद्देश्य:

- व्यवस्थित उपयोगकर्ता शुल्क और बाज़ार-आधारित राजस्व तंत्रों के माध्यम से OSR को मज़बूत करें।
- स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता सेवाओं को राजस्व सृजन के साथ एकीकृत करें।
- लगातार गैर-कर आय के लिए अधिक आवाजाही वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों का लाभ उठाएँ।
- स्थानीय रूप से अर्जित राजस्व को सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में पुनः निवेश करें।

स्थान और कार्यात्मक संदर्भ

सुभाषग्राम, डिगलीपुर के क्षेत्रीय प्रशासनिक केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उसके मुख्य बाज़ार केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस पंचायत में मुख्य बस टर्मिनस और एक मिश्रित-उपयोग वाला बाज़ार स्थित है, जबकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक हेलीपैड भी मौजूद है। इन कारणों से यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, जिससे विक्रेताओं के लिए जगह, बाज़ार की दुकानों और सेवा सुविधाओं के माध्यम से आय अर्जित करने के अवसर सृजित होते हैं।

ओएसआरमॉडल और राजस्व प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सुभाषग्राम ग्राम पंचायत ने कई तरह के गैर-कर और उपयोगकर्ता-आधारित शुल्कों के ज़रिए ₹21.67 लाख का अपना खुद का राजस्व (OSR) जुटाया। राजस्व के मुख्य स्रोतों में घरेलू और व्यावसायिक उपयोगकर्ता शुल्क, ठोस कचरा और कूड़ा उठाने का शुल्क, प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क, बाज़ार की दुकानों का किराया, सब्जी और मछली बेचने वालों से रोज़ाना वसूला जाने वाला किराया, बर्तन किराए पर देने का शुल्क और अन्य विविध सेवा शुल्क शामिल थे।

नियमित OSR के अलावा, पंचायत को 2018-19 में 'सामान्य श्रेणी' के तहत 'दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार' जीतने पर ₹8 लाख की इनामी राशि मिली, और 2020-21 में उसे एक

बार फिर 'राजस्व सृजन' श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पंचायतों के लिए यह पुरस्कार दो बार हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।



चित्र 50: बाज़ार राजस्व मॉडल – सुभाषग्राम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

संस्थागत और परिचालन रणनीतियाँ

सफ़ाई कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर उपयोगकर्ता शुल्क और कचरा शुल्क इकट्ठा किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोग नियमों का पालन करें। सामुदायिक कूड़ेदानरोज़ाना साफ़ किए जाते हैं, जिससे सेवा और भुगतान के बीच का संबंध और मज़बूत होता है। बाज़ार से जुड़ी आय, पंचायत के मालिकाना हक वाले कमरों के मासिक किराए और बस टर्मिनस व सब्ज़ी मंडी के पास काम करने वाले विक्रेताओं पर लगाए जाने वाले दैनिक शुल्कों से होती है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रोत्साहनों के साथ जुड़ने से सफ़ाई के नतीजे और भी बेहतर हुए हैं; इसके तहत पंचायत को एसबीएम (जी) के अंतर्गत कई सम्मान भी मिले हैं। पंचायत ने कचरे को अलग करने और खाद बनाने की सुविधाएं स्थापित करने के प्रयास भी शुरू किए हैं, ताकि सब्ज़ी के कचरे को

जैविक खाद में बदला जा सके—इससे पर्यावरण और आय, दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं।

बुनियादी ढांचा विकास के लिए ओएसआर का उपयोग

ओएसआरके माध्यम से जुटाए गए राजस्व को इनमें पुनः निवेश किया गया है:

- पंचायत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रखरखाव
- सब्जी मंडी के पास, पैसे देकर इस्तेमाल किए जाने वाले (पे-एंड-यूज़) शौचालयों वाले सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण और संचालन।
- नियमित दैनिक किराया संग्रह के साथ निर्दिष्ट वेंडिंग क्षेत्रों का विकास।

प्रभाव

इस मॉडल ने सुभाषग्राम ग्राम पंचायत को भौगोलिक बाधाओं के बावजूद स्वच्छता, सफ़ाई और बाज़ार प्रबंधन के उच्च मानकों को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। स्वच्छता सेवाओं को उपयोगकर्ता शुल्कों के साथ एकीकृत करने से एक आत्मनिर्भर चक्र का निर्माण हुआ है, जबकि व्यवस्थित विक्रेता प्रबंधन ने दैनिक राजस्व की निश्चितता सुनिश्चित की है।

सफलता के मुख्य कारक

- सेवा प्रदायगी और उपयोगकर्ता शुल्कों के बीच मज़बूत जुड़ाव।
- अधिक आवाजाही वाले व्यावसायिक स्थानों का रणनीतिक मुद्रीकरण।
- शुल्क संग्रह और सेवा प्रदान करने में संस्थागत अनुशासन।
- राजस्व-सृजन करने वाले बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों और पुरस्कारों का प्रभावी उपयोग।

पुनरावृत्ति-क्षमता

सुभाषग्राम का अनुभव यह दिखाता है कि शहरी-आसपास और द्वीपीय ग्राम पंचायतें इन तरीकों से OSR (खुद के संसाधन) को काफी बढ़ा सकती हैं:

- स्वच्छता सेवाओं से जुड़ी घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता शुल्कको अनिवार्य बनाना।
- बाज़ार और ट्रांसपोर्ट हब में वेंडरों के लिए जगहें व्यवस्थित करना और उनकी नीलामी करना।
- पुरस्कार प्रोत्साहनको उन संपत्तियों में फिर से निवेश करना जिनसे भविष्य में आमदनी हो।
- कचरा प्रबंधन को खाद बनाने जैसी संसाधन रिकवरी की पहलों के साथ एकीकृत करना।

निष्कर्ष

सुभाषग्राम, ग्राम पंचायत का 'स्वच्छता-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क और बाज़ार राजस्व मॉडल' किसी द्वीपीय क्षेत्र में वित्तीय नवाचार का एक अनूठा उदाहरण है। अनुशासित उपयोगकर्ता-शुल्क प्रणालियों, कुशल बाज़ार प्रबंधन और प्रदर्शन-प्रोत्साहनों के पुनर्निवेश को मिलाकर, पंचायत ने एक मज़बूत OSR फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो सतत विकास और उच्च-गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देता है।



ATMANIRBHAR PANCHAYAT

Self - Reliant Panchayats Initiative

